खण्ड-349, अंक-4
गुरूवार, 7 फाल्गुन, शक संवत् 1902
(26 फरवरी, 1981 ई0)

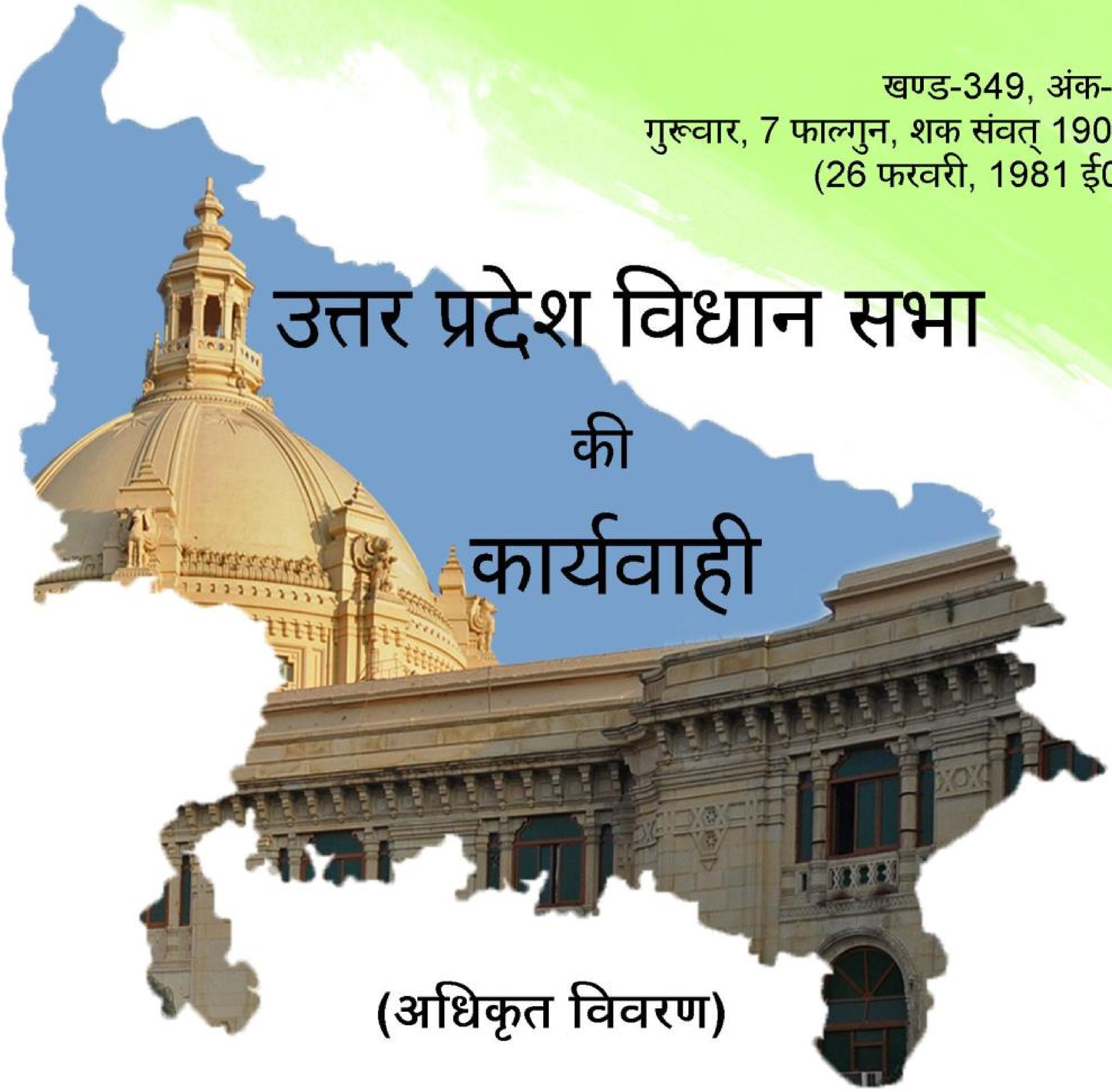

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 349 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५२२—५२७
प्रश्नोत्तर	५२९—५८०
देवरिया जिले के ग्राम परसिया भंडारी निवासी बदरी हरिजन को गांव के प्रधानाचार्य द्वारा पिटाई के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना ...	५८१
शारदा सहायक शाखा सुल्तानपुर नहर के रिसने तथा जल भराव से कतिपय ग्रामों की फसल की क्षति तथा राहत की मांग के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना ...	५८१—५८२
जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत गुडहा झील में पीढ़ापुर माइनर का पानी छोड़ दिये जाने तथा सीवेज होने से कतिपय ग्रामों की फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना ...	५८२
आगरा मेडिकल कालेज में श्री साहब सिंह का आपरेशन करते समय डा० वी० डी० शर्मा तथा अजय बंसल द्वारा कैंची पेट में छोड़ देने के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना ...	५८३
राजकीय कुष्ठ चिकित्सा कर्मचारी संघ द्वारा अनशन एवं मांगों के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना ...	५८३—५८४
श्री शंकर सिंह की गिरफ्तारी के उपरान्त जेल भेजे जाने की गलत सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	५८४—५८५
भूतपूर्व विधान सभा सदस्य श्री छेदासिंह चौहान की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य ...	५८५—५९४
उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) (संशोधन) विधेयक, १९८१ (पुरःस्थापित किया गया) ...	५९५
गांव जमई, थाना सिरसागंज जिला मैनपुरी में डाकुओं द्वारा कतिपय व्यक्तियों की निर्मम हत्या के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ...	५९५—५९९
१९८१-८२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ४६—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग तथा अनुदान संख्या ८५—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग—पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ...	६००—६४७
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं ...	६४७—६४८
नस्थियां ...	६४९—६५४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, २६ फरवरी १९८१

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३३९

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री उर्फ (फतेहपुर) (अनिल सिंह)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलगेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी) (उर्फ सुत्तनभैया)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (कानपुर)
नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय सदस्य
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहीउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी))
कैलाश टण्डन, श्री (गोरखपुर)
खरगत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद, अन्सारी श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)

गंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चारु चन्द्र आभा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद आभा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह श्री, (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती' (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनारायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीनानाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नारायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायन, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देबी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
धूप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायन द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाशंकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)

बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा0 (देवरिया)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्मदत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मशरूर जाफरी, श्री (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा))
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, (उर्फ लल्लन जी) गोरखपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईस उद्दीन बारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0 (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
राम जी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)

राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूपराम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायण सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नारायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)

सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जफीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरबंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)

नोटः—मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा श्रम मन्त्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

बिहार पंचायत सभा

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २६ फरवरी, १९८१

तारांकित प्रश्न

लखनऊ, आलमबाग क्षेत्र के ग्राम बरगवां, मदारी खेड़ा आदि में लकड़ी के खम्भे पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था

*१—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित आलमबाग क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बरगवां, मदारी खेड़ा, कासिमपुर पकरी व कासिमपुर खेड़ा में वर्ष १९७७-७८ में लकड़ी के खम्भे पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई थी ? यदि हां, तो उस पर शासन का कितना रुपया खर्च हुआ ? क्या वह अब भी चालू है ? यदि नहीं, तो उसकी व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)—

लखनऊ स्थित आलमबाग क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बरगवां, मदारी खेड़ा तथा कासिमपकरी में वर्ष १९७७-७८ में लकड़ी के खम्भों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई थी और इस पर कुल १,२५,७२८ रु० व्यय हुआ था। इस वर्ष असाधारण वर्षा के कारण यह व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। महापालिका अपने सीमित आर्थिक स्रोतों को दृष्टिगत रखते हुए इन गांवों में स्थायी मार्ग प्रकाश की व्यवस्था हेतु प्रयत्नशील है।

उपरोक्त तीनों गांवों में स्थायी मार्ग प्रकाश की व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि जो उन्होंने प्रश्न के उत्तर के पैरा २ में अभी बताया कि इस वर्ष असाधारण वर्षा होने के कारण व्यवस्था समाप्त हो चुकी है तो मैं जानना चाहती हूं कि क्या जो इतना धन इसमें खर्च हुआ है, तो क्या इसमें कभी लाइट खम्भों में आयी है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, यह लकड़ी के खम्भे स्लम योजना में जो धन था, उसमें लगाया और पता नहीं किन कारणों से लगाया गया था। मैं उनको लगाना उचित नहीं समझता हूं लेकिन क्यों लगाया गया, इसके बारे में बताना उचित बात नहीं है, चूंकि वह समाप्त हो गये हैं।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, यह तो पहला प्रश्न है। मैं कहना चाहती हूं कि क्या मंत्री जी को यह पता है कि यह जो लकड़ी के खम्भे और तार लगे, जिनकी नार्दन इंडिया पत्रिका

में तस्वीर छपी है कि भैंस मर गयी थी और वहां रोशनी तो आयी ही नहीं है, तो यह तथ्य क्या मंत्री जी को मालूम है कि वहां रोशनी कभी आयी ही नहीं है ? यह गम्भीर प्रश्न है ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

रोशनी आयी कि नहीं इसके बारे में सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस धन से कासिमपुर पकरी आदि तीन गांवों में जो बिजली लगी नहीं है, तो यह बिजली का धन था या विशेष रूप से हरिजन बस्तियों के सुधार का धन था, जो कि गैरकानूनी तरीके से बिजली के खम्भों में लगाया गया था ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, मलिन बस्तियों का यह धन था जो इसमें लगाया गया है ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस योजना में अब तक कितना पैसा व्यय हो चुका है और इसको संचालन करने वाला इंजीनियर क्या विधिवत इंजीनियरिंग पास नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

कितना पैसा व्यय हुआ है, यह मंत्री जी बतायें ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

व्यय काफी हुआ है, लेकिन पूरी रकम बताना सम्भव नहीं है ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

मान्यवर, मैंने यह भी पूछा है कि जो इंजीनियर इस योजना का संचालन कर रहा है, क्या वह इंजीनियर के काबिल है, जो वह इस योजना का संचालन करे और विधवत इंजीनियरिंग पास है ? मान्यवर, इसका भी मंत्री जी से उत्तर दिलवा दें ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, पता लगा लेंगे कि उसके पास डिग्री है भी या नहीं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, क्या यह सत्य है कि वह इंजीनियर केवल डिप्लोमा रखता है, इंजीनियरिंग पास नहीं है और सन् १९५२ से धन का शोषण कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर तो वे दे चुके हैं कि पता लगा कर जवाब देंगे ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इस तरह से यह जो धन मलिन बस्तियों और विशेष रूप से हरिजन मलिन बस्तियों के लिए १९७७-७८ के लिये था, तो क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि उसके बीस लाख रुपये खर्च हो गये हैं जैसा कि प्रश्न के उत्तर में नहीं दिया गया है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

पूरी रकम तो मैं इस समय नहीं बता सकता, लेकिन यह सही है कि काफी धन खर्च हुआ है ।

श्री विजय सिंह राना—

माननीय मंत्री जी ने दोनों प्रश्नों के उत्तर में स्वीकार किया है कि दोनों ही काम गलत हुए हैं, तो क्या इस सम्बन्ध में जांच के लिए कोई आदेश दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं दिये गये हैं, जब स्वयं आप इस बात को मान रहे हैं कि काम गलत हुए हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, इसके लिए जांच कराई जा रही है ।

श्री मुईद अहमद—

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसी से सम्बन्धित प्रश्न है कि बिजली के लिए खम्भों के लगाये जाने में लकड़ी पर काफी रुपया व्यय हुआ है, जो सरासर गलत हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो जिस पार्टी के जरिये यह भ्रष्टाचार हुआ है उसकी पूरी जांच कराये जाने के आदेश देंगे और क्या दोषी पाये जाने वाले जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

जब जांच करायेंगे, तो कार्यवाही तो होगी ही ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में स्वयं ही दोनों बातों को तस्लीम किया है और उन्होंने यह भी कहा कि जांच के आदेश दे दिये गये हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जांच के आदेश कब दिये गये और किस अधिकारी से जांच कराने जा रहे हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, तिथि तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने इसकी जांच के आदेश दे दिये हैं ।

यू० पी० इण्डियन मेडिसिन एक्ट की धारा ५० को खोलने की मांग

*२—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० इण्डियन मेडिसिन एक्ट, १९२९ की धारा ५० को खोलने पर विचार करेंगी जिससे भारतीय चिकित्सा प्रणाली से चिकित्सा करने वाले लोगों को पंजीकृत किया जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)—

जी नहीं ।

यू० पी० इण्डियन मेडिसिन एक्ट, १९२९ की धारा ५० के पुनः खोलने का कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, पूरे प्रदेश में, अनन्तरंग गांवों में चिकित्सा कार्य पंजीकृत करने की योजना थी, जिसमें डाक्टर और उनकी सेवायें जन उपयोगी दी गयी थीं । इसी को ध्यान में रखते हुए यू० पी० इण्डियन मेडिसिन एक्ट, १९२९ की धारा ५० को खोलने का प्राविधान किया गया था । परन्तु माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह कहा है कि इसका प्राविधान नहीं है । एक्ट १९२९ के अन्तर्गत धारा ५० को खोलने की आवश्यकता शासन को है और इसी के तहत १९६० में इस धारा को खोला गया था, लेकिन एक साल के समय में ५ महीने १० दिन ही रजिस्ट्रेशन का कार्य हो पाया और उसके बाद पता नहीं क्यों रोक दिया और उसके बाद वे नियम ८ बनाने में लग गये थे । क्या माननीय मंत्री जी ऐसे चिकित्सकों की सेवाओं को जो जन उपयोगी हैं पंजीकृत करायेंगे उनके रजिस्ट्रेशन करा देने से शासन को आय भी हो सकती है ? क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि नियम ४९ के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों के अनुसार धारा ५० को खोला जाय ?

श्री लोकपति—

श्रीमन्, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी लोगों की जीवन रक्षा की है, आय की नहीं । जीवन रक्षा के लिए उचित है कि इसे न खोला जाय ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मेरा प्रश्न है कि . . . ।

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि नहीं खोला जायेगा । जैसा प्रश्न है सप्लीमेन्टरी . . . ।

डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री इस बात को भूल गये हैं कि मेडिकल बोर्ड की उत्तर प्रदेश में स्थापना हुई थी और वह उसका संचालन कर रहे थे ? कई सालों में इस बात के लिए हाईकोर्ट में रिट भी किया गया था । इसके साथ ही साथ आयुर्वेदिक की तरफ भी ध्यान दिया जाय और उसका चुनाव कराया जाय । इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आपको जो प्रश्न करना हो प्रश्न करें । यह तो आप गठन और अन्य विस्तृत बातें पूछ रहे हैं, इससे सम्बन्धित बातें पूछिये । (किसी सदस्य के कुछ कहने पर) उन्होंने प्रश्न किया है मैं जब उसका उत्तर देने के लिए कहूंगा जब मंत्री जी उत्तर देंगे और मैंने उत्तर देने के लिए कहा नहीं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि प्राविधान नहीं है । शासन धारा ५० को खोल सकता है । मैं धारा ४९ की एक लाइन सुनाना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिए ।

श्री राम आसरे वर्मा—

धारा ४९ के अन्तर्गत जो अधिकार शासन को मिला है, उस अधिकार का प्रयोग करके शासन धारा ५० को खोल सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने उसका उत्तर दे दिया कि जन स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उनकी होती है और उसको दृष्टिकोण में रखकर उसको खोलना नहीं चाहते, ।

श्री राम आसरे वर्मा—

१९६३ में शासन ने २२२७० लोगों को रजिस्टर्ड किया था । आज इस प्रदेश के कोने-कोने में हजारों लोग कार्यरत हैं और चिकित्सक कार्य कर रहे हैं, तो शासन को कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए पंजीकरण करने में ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायें । शासन ने अपना विचार व्यक्त कर दिया कि वह नहीं खोलना चाहते । (डा० राम कृष्ण उपाध्याय के खड़े होने पर) अलग से प्रश्न कर लें, उपाध्याय जी, जो आप जानना चाहें ।

प्रदेश में डी० डी० टी० के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग

*२—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि डी० डी० टी० के जन्मदाता राष्ट्र अमेरिका ने इसके भयंकर परिणामों को देखते हुए अपने देश में इसके प्रयोग पर रोक लगा दी है ? यदि हां, तो फिर इस विनाशकारी डी० डी० टी० के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी तथा इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से पत्र व्यवहार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इस पर रोक लगा दी है परन्तु उसका यह निर्णय किसी और परिस्थिति में हुआ है । डी० डी० टी० विनाशकारी अवश्य है परन्तु यहां इसका उपयोग मलेरिया के रोक-थाम पर किया जा रहा है ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इस पर रोक लगा दी है । क्या माननीय मंत्री जी ने उस रिपोर्ट का अध्ययन किया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो डी० डी० टी० का जन्मदाता है, उसने रोक लगा दी है और यह भी प्रकाश में आया है कि जो गर्भपात हुए हैं उन दवाओं में भी विनाशकारी गुण पाये गये, तो जब उसका जन्मदाता अमेरिका उसको छोड़ सकता है, तो उसकी नकल करने वाला भारत क्यों उससे मोह किये हुए है इसका उत्तर दें ?

श्री लोकपति—

श्रीमन्, मैंने कहा उनकी परिस्थितियां भिन्न हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में डी० डी० टी० का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए रखा गया है । कृषि के माध्यम से जो अन्य चीजें हो सकती हैं उन पर अगर डी० डी० टी० का छिड़काव किया जाता है, तो वह आदमी के खून में आती हैं, तो उसको रोककर दूसरी औषधि दी है । यह हमारे यहां सम्भव नहीं है मगर हमारे यहां भी विचार होगा कि कृषि में अन्य कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाय ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

क्या मच्छर मारने में डी० डी० टी० का प्रयोग किया जाता है और क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने कोई दूसरी मच्छर मार दवाओं का प्रयोग नहीं किया है, जो भारत की अपनी हो ?

श्री लोकपति—

अभी तक नहीं किया है । हां, पुरानी जड़ी-बूटियां हैं ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

माननीय मंत्री जी ने उत्तर तो बड़ा प्यारा दे दिया और उसमें अपनी प्रशासनिक क्षमता दिखाई । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि डी० डी० टी० के नाम पर मलेरिया विभाग में ५० सौ लाख रुपयों का घोटाला हो रहा है, उसके बारे में क्या कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष—

यह घोटाले का प्रश्न नहीं है ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

यही डी० डी ०टी ०जो विष भी दे रहा है और धन का शोषण कर रहा है उसके बारे में दो शब्द कहने दीजिए ?

श्री लोकपति—

मान्यवर, डी० डी० टी० भारत सरकार बेचती है और हम छिड़काव करते हैं । पिछले ८ महीने से हम अनुरोध करते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है हमें डी० डी० टी० दिया जाय ताकि हम उनको नष्ट कर सकें ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

अभी पिछले साल ४४ लाख का डी० डी० टी० आया ।

श्री अध्यक्ष—

बाजपेयी जी आप बैठिये ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

मान्यवर, एक प्रश्न और कर लेने दीजिए । आप का हुक्म होगा, तो मैं बैठ जाऊंगा । मगर जरूरी प्रश्न है । राष्ट्रीय महत्व का है ।

श्री अध्यक्ष—

राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न किसी राष्ट्रीय संस्था में पूछिये ।

श्री जयदीप सिंह—

मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है अमेरिका में डी० डी० टी० का प्रयोग खेती पर ही होता है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खेती में खाद्यान्नों में डी० डी० टी० जमा हो जाता है, उसके कारण विष फैलता है, तो क्या हमारे यहां कोई ऐसी जांच की गयी है कि बाजार में बिकने वाली सब्जियां या खाद्यान्न में कितनी मात्रा में वह गया है, जिसके आधार पर मंत्री जी कह रहे हैं कि डी० डी० टी० से यहां कोई खतरा नहीं है ?

श्री लोकपति—

जो उत्तर मैंने दिया उसके सन्दर्भ में मैं आपका प्रश्न शायद नहीं समझा। मैंने यह कहा था कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में डी० डी० टी० का प्रयोग कृषि कार्यों में वर्जित कर दिया है।

श्री जयदीप सिंह—

मैंने स्पष्ट प्रश्न पूछा अमेरिका में इसलिए वर्जित किया गया है कि उससे विष फैलता है, सब्जियों, खाद्यान्नों और फलों में वह आता है, तो क्या यहां पर बाजार में बिकने वाली सब्जियों, फलों आदि की जांच की गयी है और उनमें डी० डी० टी० पायी गयी है अथवा नहीं ?

श्री लोकपति—

हमारे यहां तो खाद्यान्न के रख-रखाव में डी० डी० टी० का प्रयोग होता है।

डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोशियेशन की मांगें

*४—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९८० से जून, १९८० के बीच डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन का कोई प्रार्थना-पत्र एसोसियेशन की मांगों के सम्बन्ध में शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उनकी क्या मांगे थीं और प्रशासन की ओर से क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री लोक पति—

जी हां, डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन ने अपनी १८ मांगे प्रस्तुत की थीं। उनकी मांगों की एक प्रति तालिका 'क' में संलग्न है। उनकी पांच प्रमुख मांगें स्वीकार कर ली गयी थी जिनका विवरण तालिका † 'ख' में संलग्न है।

शेष जिन मांगों में वित्तीय भार निहित है तथा जो वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र में आती हैं, उन पर वेतन आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है। ऐसी मांगें जिनमें वित्तीय भार निहित है किन्तु वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आती तथा गैर वित्तीय भार वाली मांगों पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

†(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६४९ पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी ने बड़ी कुशलता के साथ यह उत्तर दिया कि उनकी १८ मांगों में से जो उन्होंने प्रस्तुत की थीं, उनमें से ५ को स्वीकार कर लिया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अप्रैल १९८० में इस सम्बन्ध में मैंने एक प्रश्न पूछा जिसके उत्तर में यह कहा गया था कि फार्मेसिस्टों की न्यायोचित मांगे गत वर्ष स्वीकार कर ली गयी थीं अर्थात् पुरानी सरकार के समय में स्वीकार हो गयी थीं। तालिका "ख" में वे ही मांगें हैं, जिनको पिछली सरकार ने स्वीकार कर लिया था। दूसरी बात अपने उत्तर में सरकार ने यह भी कहा है कि शेष जिन मांगों में वित्तीय भार निहित

हैं, तथा जो वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र में आती हैं, उन पर वेतन आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है। यह सभी जानते हैं कि वेतन आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर दी गयी है, अब वह केवल विसंगतियों के बारे में ही विचार कर रहा है, तो जिन मांगों के सम्बन्ध में जैसे चीफ फार्मेसिस्टों के पदों का सृजन, फार्मेसिस्टों के सेलेक्शन ग्रेड के वेतनमान में वृद्धि, फार्मेसिस्टों की सेवाओं का प्रान्तीयकरण, फार्मेसी प्रशिक्षण केन्द्रों की कमियों को दूर करना तथा फार्मेसी कौंसिल आफ इंडिया में एक सदस्य का मनोनयन आदि तो इनको कार्यान्वित करने के लिए क्या कोई राजाज्ञा निर्गत हो गयी है ? यदि हां, तो किस-किस विषय में, सम्बन्ध में, किस-किस तारीख को शासनादेश जारी हुए ?

श्री लोकपति—

मैं हर एक के बारे में बताये देता हूं। डिप्लोमा फार्मेसिस्टों के प्रशिक्षण का जहां तक सम्बन्ध है इसके सम्बन्ध में निर्णय लिया जा चुका है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं अभी तालिका "ख" में दी गयी मांगों के बारे में कह रहा हूं कि इनको पुरानी सरकार ने तय कर दिया था। आप यह बताने की कृपा करें कब-कब इनके बारे में राजाज्ञा जारी हुई ?

श्री लोकपति—

अभी राजाज्ञा जारी नहीं हुई है। जहां तक फार्मेसी कौंसिल आफ इंडिया में मनोनयन करके उनके प्रतिनिधि का नाम भेजने का प्रश्न है, वह भेज दिया गया है। उनसे विचार-विमर्श चल रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

श्रीमन्, निर्णय होने के बाद भी राजाज्ञा जारी नहीं हुई है। जो मनोनयन हुआ है, उसमें राजाज्ञा किन सिद्धान्तों की प्रतिबद्धता में जारी नहीं हुई ? एक व्यक्ति का मनोनयन कर दिया लेकिन यह बड़े दुःख की बात है कि जिन पांच मांगों पर पुरानी सरकार ने निर्णय ले लिया था, उनके बारे में अभी तक भी राजाज्ञायें जारी न होने के क्या कारण हैं ? मान्यवर, ५ जनवरी और पिछली २५ नवम्बर को उनके प्रतिनिधियों की और मंत्री जी की वार्ता हुई थी और संघ के महामंत्री को पत्र लिखा था कि उनकी मांगों की पूर्ति हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। जिन मांगों के सम्बन्ध में सहमति हुई थी, कहा गया था कि उनकी पूर्ति हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। जब हड़ताल की नोटिस उन्होंने दी थी, तो उस समय का यह पत्र है। आपने यह कहा था कि मैं इस पक्ष में हूं कि विभाग के सभी डिप्लोमा फार्मेसिस्टों को एक ही वेतन-क्रम में रखा जाय, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो ८ मांगें हैं, उनमें जो वित्तीय बाधा लगा देते हैं, उनको छोड़ देता हूं, शेष जो हैं जिनमें आपने आश्वासन दिया था, इनके सम्बन्ध में इस समय शासन द्वारा सभी मांगों को स्वीकार करने की जो कार्यवाही है, उसमें प्रगति क्या है और उनके सम्बन्ध में राजाज्ञा कब जारी हो जायेगी ? पुरानी न जारी किये जाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति—

पुरानी तो मान्यवर, मैं नहीं जानता । अप्रैल, १९८० में कोई सदन नहीं था । सदन उस समय डिजाल्व हो चुका था । मेरे सामने यह प्रश्न उठा फार्मेसिस्टों का जुलाई या अगस्त के महीने में, फिर हम उन्हें मिले, नवम्बर और जनवरी के बीच में उन्होंने हड़तालें कर दी थीं । श्रीमन्, परेशानी न हो, हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, पूछ लीजियेगा । यह आदेश शासन स्तर से डायरेक्ट्रेट को जाने वाले हैं और मुझे विश्वास है कि १५ दिन के अन्दर यह आदेश जारी हो जायेगा ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि दो साल पहले जो ५ मांगें मान ली गयी थीं, उनको पूरा कराने के लिए राजाज्ञा जारी करने के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये और अब तक उनके न जारी होने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति—

मान्यवर, हर जो निर्णय होता है विभाग का उसको पूरा करने के लिए कुछ प्रक्रिया होती है शासकीय, वह आपको भी विदित है, हमको भी विदित है और अध्यक्ष जी की आज्ञा हो, तो वह प्रक्रिया बता दूं । अब दो साल समय लगा, हमको भी लग गया साल भर चाहते हुए भी ।

श्री अध्यक्ष—

प्रक्रिया, माननीय मंत्री जी, रहने दें, बहुत से प्रश्न बाकी हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, एक प्रश्न की अनुमति दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

अब नहीं ।

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ के लिये मिडवाइफ, नर्स एवं कम्पाउन्डरों के पदों की वृद्धि की मांग

*५—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में जगह की कमी को देखते हुए नयी इमारत बनाने तथा उसके साज-सज्जा की व्यवस्था के लिए कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या मरीजों की संख्या को देखते हुए चतुर्थ श्रेणी व कम्पाउन्डर, मिडवाइफों, तथा नर्सों, दाइयों की बढ़ोत्तरी का भी कोई प्राविधान किया जा रहा है ?

श्री लोकपति—

जी हां, मरीजों की आवश्यकताओं को देखते हुए जो विस्तार होगा उसमें आवश्यकता के अनुसार पद सृजित किये जायेंगे ।

डाक्टरों को गृह जनपदों में नियुक्त न किये जाने की नीति

*६—श्री पंचानन (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने सरकारी डाक्टरों को अपने गृह जनपद में नियुक्त न किये जाने की कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसमें किस-किस श्रेणी के डाक्टर आते हैं ?

श्री लोकपति—

जी हां, इसमें सभी श्रेणी के चिकित्सा अधिकारी (पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों को छोड़कर) आते हैं । महिला चिकित्साधिकारियों को अपवाद स्वरूप इसमें शिथिलता दी जा सकती है ।

*७—श्री जटा शंकर सिंह—

[१९-२-८१ को तारांकित प्रश्न संख्या १३ द्वारा उत्तरित]

हलवाइयों को चीनी आपूर्ति सम्बन्धी कथित आदेश

*८—प्रभु नारायण सिंह—(अनुपस्थित)

क्या सरकार को जानकारी है कि नगर क्षेत्र के हलवाइयों को चीनी आपूर्ति का आदेश जिलाधिकारियों को है, परन्तु देहाती क्षेत्र के हलवाइयों के लिए इस प्रकार का कोई आदेश नहीं है ? क्या देहाती क्षेत्र के हलवाइयों को अपने व्यवसाय के सुचारु संचालन हेतु चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित की जायगी ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

जी नहीं ।

शहरी तथा देहाती क्षेत्रों के हलवाइयों की चीनी की आपूर्ति हेतु जिलाधिकारियों को कोई आदेश सम्प्रति नहीं है । खुले बाजार में चीनी उपलब्ध है जहां से शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के हलवाई चीनी खरीद कर अपना व्यवसाय कर रहे हैं ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पूर्ति निरीक्षक

*९—श्री छेदी लाल (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्ति कार्यालयों हेतु कितने पूर्ति निरीक्षकों के पद रिक्त हैं ? क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का शासन द्वारा निर्धारित कोटा पूरा है ? यदि नहीं तो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वासुदेव सिंह—

प्रदेश में पूर्ति निरीक्षकों के रिक्त पदों की संख्या २० है। पूर्ति निरीक्षक के पदों में अनुसूचित जाति तथा जनजाति का निर्धारित कोटा पूरा नहीं है। उपयुक्त कर्मचारियों में से कोटे को पूरा करने का यथासम्भव प्रयास किया जा रहा है।

*१०—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[७वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शाहजहांपुर में लम्बित आवश्यक वस्तु सम्बन्धी मुकदमें

*११—श्री सत्यपाल सिंह तथा श्री नाजिर अली (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत ऐसे कितने आवश्यक वस्तु अधिनियम के मुकदमें पड़े हुए हैं जिनमें पुलिस द्वारा लगायी गयी चार्जशीट अथवा फाइनल रिपोर्टों पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ? क्या शासन ऐसे मुकदमों पर शीघ्र कार्यवाही के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

जनपद शाहजहांपुर में वर्ष १९८० में २४ मामले ऐसे हैं जिनमें विवेचनाधिकारी द्वारा फाइनल रिपोर्ट/चार्जशीट प्रस्तुत कर दी गयी है, किन्तु उनमें आगे की कार्यवाही नहीं हुई है जिसका विवरण निम्न है :—

(१) २ मामलों में फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी किन्तु चूंकि इन पर जिला मैजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी इसलिए इन्हें सम्बद्ध थानों को जिलाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये वापस कर दिया गया है।

(२) ७ मामलों में चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की गयी और वे वहां विचाराधीन हैं।

(३) एक मामला विवेचनाधिकारी द्वारा चार्जशीट प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रासीक्यूटिंग अधिकारी के विधिक परामर्श के लिये लम्बित है।

(४) शेष १४ मामले जिनमें चार्जशीट तो प्रस्तुत की गयी है किन्तु उन पर जिला मैजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर की स्वीकृति न होने के कारण उन्हें सम्बद्ध थानों में जिला मैजिस्ट्रेट की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये भेज दिया गया है।

इन मामलों में शीघ्रतापूर्वक आगे की कार्यवाही करने के लिये जिला प्रशासन को निर्देशित कर दिया गया है।

सहकारी संघों के शीतगृह के निर्माण का व्यय

*१२—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

तीसरे शुक्रवार (१९-९-८०) के अतारांकित प्रश्न संख्या २५ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी संघ द्वारा

निर्मित कराये जा रहे शीतगृहों की निर्माण लागत ९० रुपया प्रति क्विंटल हो रही है, जबकि निजी क्षेत्रों के शीतगृहों की निर्माण लागत मात्र ५९ रु० से ६६.५८ रुपया प्रति क्विंटल है, फलस्वरूप उपरोक्त लागत व्यय में अत्यधिक अन्तर से करोड़ों रुपये का घोटाला हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस घोटाले की रोकथाम के लिये अविलम्ब प्रभावी कदम उठायेगी ?

श्री वासुदेव सिंह—

उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के शीतगृहों का निर्माण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार किया जा रहा है, जिनके आधार पर इनका निर्माण व्यय ९० रु० प्रति क्विंटल आता है। निजी क्षेत्र के शीतगृहों के स्पेसिफिकेशन्स का पूर्ण विवरण जब तक उपलब्ध न हो तब तक इनके लागत मूल्य की तुलना सहकारी शीतगृहों की लागत से नहीं की जा स्कती है। परन्तु सम्भवतः इनकी लागत मूल्य कम होने का कारण यही है कि इनके स्पेसिफिकेशन सहकारी शीतगृहों के लिये निर्धारित स्पेसिफिकेशन्स से भिन्न हैं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे तीसरे शुक्रवार, १९८० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५ के उत्तर में यह बताया गया कि सहकारी शीतगृहों की निर्माण लागत ९० रुपया प्रति क्विंटल हो रही है, और जो स्पेसिफिकेशन निजी क्षेत्र के शीतगृहों के लिए करना है, उनमें लागत मात्र ५९ रुपया से ६६.५८ रुपया प्रति क्विंटल आती है। यह शासन द्वारा स्वीकृत स्पेसिफिकेशन्स हैं। स्पेसिफिकेशन्स सहकारी शीतगृहों और निजी शीतगृहों का एक ही हो सकता है, दो नहीं। दूसरा हिस्सा मेरे प्रश्न का था, मान्यवर, कि यदि हां, तो इस घोटाले की रोकथाम के लिये क्या कदम उठायेंगे ? इसका उत्तर नहीं आया। और यह उत्तर आया है कि इनका लागत मूल्य कम होने के कारण उनके स्पेसिफिकेशन से भिन्न हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी यह करोड़ों रुपये का घोटाला, जो शीतगृहों में किया जा रहा है, उसको रोकने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, जो शीतगृहों का निर्माण किया जाता है, उसमें एक सहकारी होते हैं और दूसरे निजी। उनमें, मान्यवर, कुछ कारणों से खर्च में फर्क आता है। उसके मोटे कारण चार हैं। पहला तो यह है कि सहकारी क्षेत्र के स्पेसिफिकेशन उनसे भिन्न इस मायने में हैं कि उनमें भूकम्पीय शक्ति तथा असमान रूप से नींव बैठाने का समावेश नहीं किया जाता है। दूसरे, इनसूलेशन के लिये भी थरमोकोल या फाइबर ग्लास का इस्तेमाल नहीं होता है और सहकारी में होता है। तीसरे रैकिंग के लिये भी बांस या मामूली लकड़ी का प्रयोग होता है और सहकारी में अच्छी लकड़ी और साल का प्रयोग सामान्यतः होता है। दूसरे सहकारी क्षेत्र की डिजाइन आर० सी० सी० कालम और बीम पर आधारित होती है और छत पर समुचित विक टाइल इनसोलेशन किया जाता है। इसलिए दाम में फर्क आता है। मान्यवर, एक तकनीकी सेल इन चीजों को देखता भी है। जो माननीय सदस्य ने कहा है कि घोटाला है, तो कोई वैसी बात नहीं दिखाई देती।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित मान्यवर, लायसेंसिंग एथारिटी थर्माकोल फाइबर और सारी व्यवस्था को देखने के बाद निजी शीतगृहों को लाइसेन्स देते हैं, तो इसमें लागत में अन्तर का कोई औचित्य नहीं है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि उसमें भूकम्पीय बल आदि की बात होती है, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है जबकि सहकारी शीत-गृह कमजोर होते हैं और निजी कोल्ड स्टोरेज का जीवन भी ज्यादा होता है ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम की अध्यक्षता में शासन ने एक कमेटी गठित की है और उसकी रिपोर्ट आने वाली है। मान्यवर, फर्क तो होता ही है सहकारी और निजी इमारतों में। उसमें देखरेख और कई कारण उसमें हैं। इसलिए घोटाले का कोई प्रश्न नहीं क्योंकि उनमें अधिक खर्च है। लेकिन फिर भी इस चीज को देखने के लिये कि कम फर्क है कि ज्यादा फर्क है, शासन ने एक कमेटी गठित कर दिया है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो वजूहात बताया है, उसमें अगर उच्चस्तरीय कमेटी दूसरे विभाग के टेक्निकल इंजीनियरों से बनायी जायेगी तो रिजल्ट उलटा ही मिलेगा। मान्यवर, इसमें २४ रुपया प्रति क्विंटल का फर्क है। तो जो लम्बा चौड़ा घोटाला है, उसको देखवा लें, तो इसके लिये कुछ ऐसी उच्चस्तरीय कमेटी गठित करें कि जिसमें पी० डब्लू० डी०, सिविल और टेक्निकल आफिसर्स हों और इस तरह से जांच होकर चीजें सामने आयें कि घोटाला क्या है ? जांच होकर सामने आये कि कान्स्ट्रक्शन कैसा है ?

श्री वासुदेव सिंह—

उत्तर प्रदेश सहकारी संघ की शीतगृहों का एक तकनीकी सेल है। इसमें एक मुख्य अभियंता, दो अभियंता और तकनीकी कर्मचारी हैं, यह देख रहे हैं।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जब लाइसेंसिंग एथारिटी सारी सुविधाओं को देखकर लाइसेन्स देती है, तो सहकारी के लिये दूसरी इमारत और दूसरी के लिये दूसरी किस्म की इमारत बनाने का प्राविधान क्यों किया गया है ?

श्री वासुदेव सिंह—

सहकारी शीतगृह में जमीन को विकसित करने में लागत ५० लाख रिवाइज्ड भी ५० लाख, बिल्डिंग चेम्बर १४ लाख रिवाइज्ड १६.४३ लाख, कुडेनरेक्स ३.० लाख रिवाइज ६ लाख, इन्टर इलेक्ट्रीफिकेशन का ०.२५ लाख रिवाइज्ड १.२३ लाख सैनेटरी वर्क्स ०.१० लाख रिवाइज्ड .०४ लाख लगती है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मैंने तो पूछा ही नहीं । मैं तो यह जानना चाहता हूं कि लाइसेंसिंग एथारिटी ने क्या स्टैण्डर्ड कायम किया है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि डेढ़ सौ शीतगृह बनाने हेतु वर्ल्डबैंक से ७५ करोड़ रुपया कर्ज लिया गया है । क्या यह सही नहीं है कि जो तकनीकी लोग जांच कर रहे हैं वह उस भ्रष्टाचार में शामिल हैं और वह स्वयं भ्रष्टाचार पनपाने वाले हैं । क्या माननीय मंत्री जी कोई निष्पक्ष कमेटी बनाकर जांच करायेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

जैसा माननीय सदस्य का कहना है पूरा नहीं बनना है ७९-८० में ६ शीतगृहों का कार्य प्रारम्भ हो गया है यह हैं सोरावं (इलाहाबाद), शाहगंज (जौनपुर), काजिलनगर (देवरिया), डुमरियागंज (बस्ती), कोपागंज (आजमगढ़) तथा प्रतापगढ़ में । चूंकि कमेटी बैठी है उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है और अगर माननीय सदस्य चाहेंगे और जरूरत समझी गई तो इसकी जांच हो जायेगी । यह खर्च कम करने के लिये है वैसे भ्रष्टाचार के विशिष्ट मामले हमारे सामने लाये जायेंगे तो उनकी जांच अवश्य कराई जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर जो स्पेसिफिकेशन की जानकारी दी माननीय मंत्री जी ने, वह पुरानी है । इस समय जो नियम है कोल्ड स्टोरेज को सैंक्शन देने के लिये, उसमें दो तरह के स्पेसिफिकेशन्स हैं ही नहीं । उसी एक पर सहकारिता और निजी के बनते हैं । इस सूचना को सही मानकर क्या बतायेंगे कि इसके बावजूद लागत में इतना अन्तर किस कारण है और जो कमेटी बैठायी है वह कब बैठायी और उसकी रिपोर्ट कब तक आने की सम्भावना है ?

श्री वासुदेव सिंह—

१९८० में गठित की गयी थी । उसे लागत कम करने के उपायों पर भी विचार करने को कहा गया है और उसकी रिपोर्ट बहुत शीघ्र आने वाली है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जब दो तरह के मानक ही नहीं हैं . . .

श्री वासुदेव सिंह—

आपने एक हाइपोथिसिस खड़ी कर दी । मैं उसको देखूंगा । और जो निजी और कोआपरेटिव में फर्क है, अगर माननीय सदस्य अपनी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं तो . . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मामला है। मंत्री जी ने बताया है कि वहां पर ऐसे फाइबर लगते हैं, यह लगता है, वह लगता है, मेरी जानकारी बिल्कुल सही है कि दो तरह के मानक हैं ही नहीं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, प्रश्न और उत्तर से यह स्पष्ट हो जाता है कि निजी और सहकारी शीतगृहों में ३० रुपये से ज्यादा अन्तर है और लाखों रुपये का इस तरह से घोटाला हो रहा है। तो क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जो १७५ करोड़ रुपया लोन लिया जा रहा है, जब तक निश्चित न हो जाये कि किस आधार पर आगे कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, तब तक उस खर्च को रोकेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

जो कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं वह तो बनते ही रहेंगे लेकिन इसे दिखवा लेंगे।

बस्ती जिले के कस्बा खलीलाबाद के सेठ मोती लाल को सीमेन्ट का कथित आवंटन

*१२—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद के तूफानग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण हेतु कुछ सीमेन्ट का एलाटमेन्ट खलीलाबाद कस्बे के ऐसे फर्म को किया गया था जिसके हिस्सेदार सेठ मोती लाल को पिछली सरकार ने आर्थिक अपराध में मीसा में बन्द किया था ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी नहीं।

तूफानग्रस्त मकानों के पुनः निर्माण हेतु कोई सीमेन्ट आवंटन खलीलाबाद कस्बे के किसी ऐसे फर्म को नहीं किया गया जिसके हिस्सेदार सेठ मोती लाल हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि कोई सीमेन्ट खलीलाबाद, बस्ती के लिए नहीं दिया गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि तूफानग्रस्त मकानों के निर्माण हेतु बस्ती जनपद को सीमेन्ट एलाट की गयी और कितनी तथा किस फर्म को ?

श्री वासुदेव सिंह—

प्रबन्ध निदेशक, डाला फैक्ट्री से यह चाहा गया था कि बस्ती जिले के मेसर्स मोती लाल गुप्ता मे० राधिका एजेंसीज, मे० तीरथराम गुप्ता और मे० ईस्टर्न इंडिया कम्पनी को प्राथमिकता के आधार पर ७५-७५ मी० टन सीमेन्ट दिये जाने को कहा गया था कि एजेन्सियों की अग्रिम धनराशि फैक्ट्री के पास जमा थी और जिले का कोटा लैप्स हो रहा था।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, जिस मेसर्स मोती लाल गुप्त की बात माननीय मंत्री जी ने कही, उसी संदर्भ में यह प्रश्न था। २० हजार मीट्रिक टन सीमेन्ट का घपला है, १० हजार मीट्रिक टन सीमेन्ट बाजार में बिक गया। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिन लोगों ने सीमेंट उठाकर काला बाजार में बेचा है, क्या माननीय मंत्री जी उन व्यक्तियों की जांच कराकर दण्डित कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, मेरे सामने यह सारा मामला आया। प्रश्न गम्भीर है, इस पर सूचना एकत्रित की जानी चाहिए। चूंकि मैं "सूचना एकत्रित की जा रही है" के विरुद्ध हूं, इसलिये मैंने आपको यह सारी सूचना दी। मैं स्वयं सन्तुष्ट नहीं हूं। मैंने जिलाधिकारी एस० पी० को कह दिया है, इसे देखेंगे।

श्री मोहम्मद नबी—

मान्यवर, मेरी तहसील मेहदावल से यह मसला सम्बन्धित है। ५ मई को एक भयानक तूफान आया था बस्ती जिले में कई हजार मकान ध्वस्त हो गये थे। मोती लाल की बीबी के नाम ४० हजार बोरा सीमेण्ट का एलाटमेन्ट हुआ है, और वह ब्लैक कर दी गयी है। क्या माननीय मंत्री जी इस सूचना को मानकर कि ४० हजार बोरा सीमेन्ट का ब्लैक किया गया है, इसकी विधिवत जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

मैं इसकी जांच करूंगा, बहुत लम्बा मामला है। जिलाधिकारी द्वारा इनकी एजेन्सियां निलम्बित की गयीं, कमिश्नर के यहां अपील हुई, जिन्होंने इसे फिर जिलाधिकारी को भेज दिया, परगनाधिकारी ने इनको बहाल कर दिया। पेचीदा मामला है। इन सारी बातों को देखते हुए और इस पहलू पर जांच और गम्भीर कार्यवाही हो, इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, एक नीतिगत प्रश्न यह है कि जब उस आदमी का चालान आर्थिक अपराध में हुआ, तो लाइसेन्स निलम्बित हो जाना चाहिए था। यदि उनका लाइसेन्स निलम्बित हुआ था, तो किसने बहाल किया, क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

कलेक्टर ने परगनाधिकारी को सुपुर्द किया। परगनाधिकारी ने एक को बहाल कर दिया, इसमें सूचना की जरूरत पड़ेगी। इसकी जांच परगनाधिकारी, जिलाधिकारी और कमिश्नर तीनों के जरिये से हुई।

नगर महापालिका, लखनऊ के सीवर बेलदार (सफाई कर्मचारी) की पदोन्नति

*१४—अशफाक अहमद (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगर महापालिका, लखनऊ के स्वास्थ्य विभाग में सीवर बेलदार (सफाई कर्मचारी) के पद से कितने व्यक्तियों की सेनेटरी सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति पिछले दस वर्षों में की गयी ? क्या यह सही है कि पदोन्नति किये गये व्यक्तियों से ज्येष्ठ लोगों की पदोन्नति नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? उनकी ज्येष्ठता सूची क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

नगर महापालिका, लखनऊ के स्वास्थ्य विभाग में पिछले १० वर्षों में ४ सीवर बेलदारों (सफाई कर्मचारी) को सेनेटरी सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त किया गया । यह पद पदोन्नति के नहीं हैं । अस्तु पदोन्नति का प्रश्न नहीं उठता ।

यह नियुक्ति कार्य कुशलता, क्षमता एवं लिखने पढ़ने का भलीभांति से ज्ञान होने तथा अधीनस्थ स्टाफ से कार्य कराने की क्षमता वहन करने आदि को ध्यान में रखकर सफाई बेलदारों में से की गयी है ।

उल्लेखनीय है कि सैनिटरी सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति के संबंध में एक रिट याचिका एक सफाई कर्मचारी द्वारा उच्च न्यायालय की लखनऊ बेन्च में दाखिल किया गया है जो विचाराधीन है ।

संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, लखनऊ का शिलान्यास

*१५—श्री मित्र सेन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्थानीय किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ को मेमोरियल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ साइंसेज के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है और इसके साथ किसी व्यक्ति का नाम जोड़ा जा रहा है ? यदि हां, तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम जोड़ने के पीछे सरकार की क्या नीति है ? इसे आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ के नाम से स्थापित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री लोकपति—

शासन ने लखनऊ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज स्थापित करने तथा उसका नाम संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज रखने का निर्णय लिया है । इंस्टीट्यूट की रूप रेखा आदि के संबंध में गठित समिति ने इस संबंध में संस्तुति की है लेकिन इस संबंध में अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया गया है । स्वर्गीय संजय गांधी की याद में इस इंस्टीट्यूट का नाम संजय गांधी पोस्ट-ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट रखा गया है । इंस्टीट्यूट के नामकरण पर भलीभांति विचार करने के पश्चात् ही शासन ने उसका शिलान्यास महामहिम राष्ट्रपति द्वारा करवाया है तथा उपरोक्त नाम रखा है ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैंने अपने प्रश्न के अंतिम भाग में पूछा था कि इसे आल इंण्डिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ के नाम से स्थापित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ? प्रश्न के इस अंतिम हिस्से का जवाब दें दें कि इसका यह नाम रखने में क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय यादव जी, एक नाम रख दिया गया है। अगर पचास नाम और प्रस्तावित किये जायं कि इसको रखने में क्या कठिनाई है, इसको रखने में क्या कठिनाई है, तो इसका क्या उत्तर हो सकता है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि इस इंस्टीट्यूट का नाम संजय गांधी के नाम पर रखा गया है और चूंकि संजय गांधी का नाम विवादास्पद है, तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या इसका नाम लखनऊ मेडिकल इंस्टीट्यूट रखने पर विचार करेंगे।

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

आप सब बैठ जायं, मैं बुला लूंगा।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसमें नाम की कंट्रोवर्सी है। इसको समाप्त करके इस मामले को नान कंट्रोवर्सियल बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री लोकपति—

श्रीमन्, यहां हम जितने बैठे हैं सब कंट्रोवर्सी पर बैठे हैं किस-किस को समाप्त कर दें।

*१६—श्री नन्द किशोर सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

तहसील बिल्हौर जिला कानपुर का डाक्टर विहीन महिला अस्पताल

*१७—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि तहसील बिल्हौर, जनपद, कानपुर स्थित महिला अस्पताल में अर्से से कोई महिला डाक्टर नहीं है ? यदि हां तो महिलाओं के कष्ट को अनुभव करते हुए उक्त महिला अस्पताल में महिला डाक्टर की नियुक्ति शीघ्र ही की जायेगी ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

इस अस्पताल में महिला डाक्टर की तैनाती शीघ्र कर दी जायेगी ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, इस महिला अस्पताल में कब से डाक्टर नहीं हैं और मैं जानना चाहता हूं कि कब तक वहां डाक्टर की नियुक्ति हो जायगी ?

श्री लोकपति—

जब से हम लोग हटे हैं, तब से वहां डाक्टर नहीं हैं । हम आ गये हैं डाक्टर की नियुक्ति हो जायगी ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, कब तक नियुक्ति हो जायगी ?

श्री लोकपति—

इसी महीने के अन्त तक ।

नगरपालिका, कालपी में डाली गयी जल निगम की पाइप लाइन

*१८—श्री शिवपाल सिंह तथा श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जालौन जनपद की कालपी नगर-पालिका में जल निगम द्वारा जो नयी प्लास्टिक की पाइप लाइनें डाली गयी हैं वह सैकड़ों जगहों से लीक हो रही हैं तथा कई मुहल्लों के पानी की सप्लाई ही बन्द हो गयी है ? यदि हां, तो सरकार इन पाइप लाइनों को बदलवाने के सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

नगरपालिका, कालपी में जल निगम द्वारा जो पी० वी० सी० (प्लास्टिक) की पाइप लाइनें बिछायी गयी हैं, उनके परीक्षण के समय लीकेज हुए थे जो ठीक कर दिये गये हैं और अब उनसे सुचारु रूप से जल सम्पूर्ति की जा रही है । यह पी० वी० सी० पाइप भारतीय मानक संस्थान के मापदण्ड के अनुरूप हैं, अतः इन्हें बदलवाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह पाइप लाइन कब डाली गयी आपके उत्तर में है कि परीक्षण के समय लीकेज हुई, जिसको ठीक कर दिया गया, तो पाइप लाइन का परीक्षण कब तक चलता रहा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, समय बताना सम्भव नहीं है, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी नहीं बता सके कि कब तक परीक्षण चलता रहा । मैंने साफ कहा था कि जल निगम द्वारा जो पाइप लाइन डाली गयी है, उसमें जगह-जगह पर लीकेज है । वह लीकेज कब दूर की गयी ? दूसरा प्रश्न यह है कि आपने कहा है कि भारतीय मानक संस्थान के मापदण्ड के अनुरूप वह पाइप हैं, हमारे और भी साथी हैं, उनका तजुर्बा है कि जहां-जहां प्लास्टिक के पाइप डाले गये हैं, हर जगह से वह लीक हो गये हैं । यह भी मापदण्ड रहा होगा कि उसको कितना गहरा डाला जाय जिससे ज्यादा दबाव न पड़े, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पाइप लाइनें कितनी गहराई पर डाली गयी । आपके विभाग ने डाली या ठेकेदार से यह काम कराया गया, जिससे लीकेज आज भी हो रही है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, उसमें अब लीकेज नहीं है और जल व्यवस्था ठीक है । माननीय सदस्य कह रहे हैं कि लीकेज है, तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा ।

श्री शंकर सिंह—

आधे प्रश्न का उत्तर तो आया ही नहीं है मान्यवर । कई मुहल्लों में पानी की सप्लाई बन्द हो गयी है, इसका मंत्री जी के उत्तर में कोई जिक्र नहीं है । कालपी के मुहल्लों में पानी ठीक से चल रहा है, इस संबंध में आपने वहां के प्रशासक या एक्जीक्यूटिव आफिसर से कोई रिपोर्ट मांगी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, इस समय कालपी नगर में जल सम्पूर्ति का कार्य ठीक तरह से चल रहा है । यदि सदस्य कह रहे हैं कि किसी मुहल्ले में पानी की कमी है तो मैं उसकी छान-बीन करवा लूंगा ।

तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव में सस्ते गल्ले के दुकानदारों को शक्कर का आवंटन

*१९—श्री रईसुद्दीन वारसी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत तहसील हसनगंज के विभिन्न न्याय पंचायतों के सस्ते गल्ले के दुकानदारों को नवम्बर, १९८० की शक्कर दी गयी । यदि हां, तो, क्या इन दुकानदारों ने समय के अन्दर शक्कर वितरण किया ? यदि वितरण नहीं किया, तो इसका क्या कारण है ?

श्री वासुदेव सिंह—

उन्नाव जनपद की हसनगंज तहसील में कुल १३५ सस्ते गल्ले के दुकानदारों में से ७१ दुकानदारों ने नवम्बर, ८० में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से शक्कर उठाकर वितरित की। ५१ सस्ते गल्ले के दुकानदारों को भारतीय खाद्य निगम से विलम्ब से शक्कर मिलने के कारण, उन्होंने उसका वितरण दिसम्बर, १९८० में किया। अवशेष १३ दुकानदारों को भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में चीनी उपलब्ध न होने के कारण उसका वितरण नहीं कराया जा सका।

*२०—श्री पंचानन—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्स, लखनऊ की रूपरेखा से संबंधित डा० डी० एन० शर्मा की अध्यक्षता में समिति का गठन

**१—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री मित्रसेन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ में हाल ही में स्थापित संजय गांधी मेमोरियल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट (मेडिकल) के प्लानिंग तथा आर्गनाइजिंग कमेटी के वर्तमान चेयरमैन (डा०डी० एन० शर्मा, भू० पू० स्वास्थ्य निदेशक) को न तो किसी इंस्टीट्यूट में अध्यापन, रिसर्च तथा आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का अनुभव है और न ऐसे किसी इंस्टीट्यूट को चलाने का? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये कोई ऐसी कमेटी गठित करने पर विचार करेगी जिसमें अनुभवी वैज्ञानिक तकनीकी चिकित्सा के ज्ञाता प्रशासनिक योग्यता (आई० ए० एस०) इंजीनियर्स तथा डाक्टर्स हों और उसका चेयरमैन कोई अनुभवी मेडिकल प्रोफेसर, वाइस चांसलर या डीन आफ मेडिकल फेकल्टी हो जिससे उनके ज्ञान तथा अनुभव का लाभ उक्त संस्थान को मिल सके? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति—

लखनऊ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज की स्थापना हेतु उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिये डा० डी० एन० शर्मा, अवकाश प्राप्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित की गयी थी:—

(१) डा० जे० एस० नेकी, निदेशक, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, चण्डीगढ़।

(२) डा० वी० रामालिन्गा स्वामी, महानिदेशक, इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली (भूतपूर्व डाइरेक्टर आफ आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, नई दिल्ली)।

(३) डा० एम० एल० धर, अध्यक्ष, एकेडेमिक बाडी, आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, नई दिल्ली (भूतपूर्व डाइरेक्टर, सी० डी० आर० आई०, लखनऊ)।

(४) उत्तर प्रदेश शासन के वित्त सचिव, नियोजन सचिव तथा स्वास्थ्य सचिव ।

(५) स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।

(६) कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय ।

इसके अतिरिक्त डा० पी० एन० वाही, भूतपूर्व डाइरेक्टर जनरल, आई० सी० एम० आर०, भूतपूर्व कुलपति, आगरा विश्वविद्यालय तथा भूतपूर्व प्रधानाचार्य, आगरा मेडिकल कालेज को भी विशेष आमंत्री के रूप में रखा गया था। डा० शर्मा के ज्ञान तथा अनुभव पर भली-भांति विचार करने के पश्चात् ही उन्हें उक्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इंस्टीट्यूट की स्थापना विषयक रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई। अन्य कोई समिति गठित करने का कोई विचार नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे और क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि १९६७ में जब संविद सरकार बनी थी, तो उसने डा० डी० एन० शर्मा को कम्पलसरिली रिटायर कर दिया था। १९७० में जब कमलापति त्रिपाठी जी की सरकार बनी तो डा० शर्मा को पुनः सेवा में ले लिया गया। उसके बाद फिर वह रिटायर हुए और फिर जब आपकी सरकार आयी तो फिर से उनको सेवा में ले लिया गया। जिस समिति का उन्हें सदस्य बनाया गया है, उनमें पी० जी० आई० के प्रशासन, रिसर्च तथा कार्यप्रणाली के अनुभवी लोगों को रखा गया है लेकिन डाक्टर शर्मा का अनुभव शून्य है, प्रशासन के मामले में। यह जानते हुए कि डाक्टर शर्मा की कोई विशेष योग्यतायें नहीं हैं, तो भी उनको समिति का अध्यक्ष बनाया गया और नं० १ से लेकर ३ तक किसी भी सदस्य को अध्यक्ष नहीं बनाया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री लोकपति—

मान्यवर, प्रशासनिक योग्यता के कारण उनको अध्यक्ष बनाया गया।

श्री मित्रसेन—

डाक्टर शर्मा को इस पद पर रहने के कारण कौन सी सुविधायें प्रदान की गयी हैं और क्या यह सही है कि विशेष योग्यता उनकी यह है कि वह माननीय मंत्री जी के परिवार से संबंधित हैं ?

श्री लोकपति—

मुझसे तो सारा जगत ही संबंधित है क्योंकि मेरा नाम लोकपति है। जहां तक डाक्टर शर्मा को सुविधायें देने का सवाल है वह रिटायर्ड हैं। उनको जो आखिरी वेतन मिल रहा था, उसमें उनकी पेंशन काट कर उसी पर उनको रखा गया और जब जब बाहर जाते हैं, तो उनको यात्रा भत्ता दिया गया, और कोई सुविधा उनको नहीं दी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उस कमेटी में क्या यह भी संस्तुति है कि जो काम करने वाले डाक्टर्स होंगे उनको प्राइवेट प्रेक्टिस की सुविधा होगी और जो उनके द्वारा डिग्री दी जायगी, वह पी० जी० आई० द्वारा न दी जा कर लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा दी जायगी तो इसका क्या आधार है ?

श्री लोकपति—

समिति की रिपोर्ट तीन भाग में है। ३० सितम्बर तक जो रिपोर्ट आई थी वह इस संदर्भ में थी, आया लखनऊ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट की स्थापना हो या न हो। क्योंकि यह विषय प्रदेश के सन् ६२-६४ से चल रहा था, तो रिपोर्ट में यह संस्तुति थी कि यहां इंस्टीट्यूट की स्थापना हो और उसी पर कार्यवाही हो रही है। भाग दो व तीन अभी शासन के विचाराधीन हैं। पहली समिति में यह भी रूप रेखा दे रखी है यदि यह लखनऊ में स्थापित हो इस पर लगभग छठी पंचवर्षीय योजना में १५ करोड़ रुपये व्यय होंगे। इस प्रकार जो सबसे प्रथम भाग है, उस पर कार्यवाही हो गयी है। दूसरा शासन के विचाराधीन है और उस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री मोहन सिंह—

उक्त कमेटी में डाक्टर एम० एल० धर भी थे और उनकी संस्तुति है कि मौजूदा मेडिकल कालेज का स्टाफ पी० जी० आई० में प्रोमोट करने योग्य नहीं है, तो जो नई पी० जी० आई० बनने जा रही है इसके स्टाफ के रिक्रूटमेंट के लिए क्या व्यवस्था सरकार करने जा रही है ?

श्री लोकपति—

मैंने कहा था कि शासन अभी उस पर विचार कर रही है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

कमेटी में तीन बाहर के विशेषज्ञ रखे गये हैं, तो कमेटी कितनी बार बैठी और उसमें यह तीनों शरीक हुए या नहीं ?

श्री लोकपति—

कमेटी एक बार बैठी। उसके बाद वह सब कमेटीज में बट गयी। फिर एक बाहर हाल में बैठी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मेरा सीधा सवाल यह था कि जो विशेषज्ञ इस कमेटी में मेम्बर बनाये गये, वे इस कमेटी में आये या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न समिति के गठन का है। मीटिंग हुई या नहीं और क्या रिपोर्ट आई, इससे कोई संबंध नहीं है। माननीय मंत्री जी ने समिति के गठन के संबंध में उत्तर दे दिया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मेरा सुनिश्चित प्रश्न है कि कमेटी गठित हुई किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए और कमेटी में जिन लोगों को रखा गया, यदि वे नहीं आये, तो कमेटी की रिपोर्ट का क्या मतलब हुआ ?

मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह लोग किसी कमेटी की मीटिंग में आयें कि नहीं ?

श्री लोकपति—

मैंने पहले ही कहा कि पहले कमेटी की मीटिंग में लोग आये और उसके बाद कमेटी उप समितियों में बंट गयी, जिससे उसके बाद अलग-अलग रिपोर्ट आयी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, डाक्टर शर्मा की चर्चा हो रही है, तो उनके प्रशासनिक अनुभव को चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन जहां तक एकेडेमिक योग्यता की बात है, तो उसका उनको अनुभव नहीं था। इसलिये उस कमेटी में विशेष योग्यता प्राप्त लोग रखे थे। अब मैं अगला प्रश्न करता हूं जो उससे आगे है कि सब कमेटी बन गयीं थी, तो जब रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की बात थी, तो क्या यह विशेषज्ञ लोग उस बैठक में भाग लिये थे और उनके विचारों से कमेटी लाभान्वित हुई। यदि नहीं, तो इस गंभीरता को कि वह लोग नहीं आये उसमें शासन का क्या मत है।

श्री लोकपति—

मान्यवर, डाक्टर रामा स्वामी, डाक्टर वाही ने भाग लिया जब कि कमेटी की संपूर्ण बैठक हो रही थी। जो डाक्टर नहीं आये उनको आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। डाक्टर बाही, डाक्टर स्वामी, डाक्टर धर इक्सपर्ट हैं और एक व्यक्ति नहीं आया वह है डाक्टर नेगी, बाकी सब आये हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मंत्री जी ने कहा है कि डाक्टर शर्मा को उनके प्रशासनिक अनुभव के आधार पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो प्रशासनिक अनुभव की कसौटी क्या है, मंत्री जी की नजर में, वह बता दें ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जांय।

जन स्वास्थ्य रक्षकों के लिये दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम से दवाओं की खरीद

**२—श्री मोहन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने २१ जनवरी, १९८१ को दिल्ली के स्माल स्केल इंडस्ट्रीज से २,१०,७०,५२० रुपये की दवायें खरीदने के आदेश निर्गत किये हैं ? यदि हां, तो क्या इस फैक्ट्री की दवा बेचने अथवा दवा बनाने का लाइसेन्स प्राप्त है ? इन दवाओं की खरीद के लिए क्या निविदाएं आमंत्रित की गई थीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति—

दिनांक ४-२-१९८१ को दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम से जन स्वास्थ्य रक्षकों के लिए रुपये १,६६,०२,५०९.२८ केवल की होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक औषधि पेटिकाओं के क्रय संबंधी आदेश निर्गत किए गए थे ।

उक्त फर्म जन स्वास्थ्य रक्षकों के लिये होम्योपैथिक, एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक पेटिकाओं की आपूर्ति करने के लिए रजिस्टर्ड है तथा उन्हें औषधियां बेचने का भी लाइसेंस प्राप्त है ।

जन स्वास्थ्य रक्षकों के लिए प्रश्नगत होम्योपैथिक, एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक औषधि पेटिकाओं को क्रय करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निविदायें आमंत्रित की गयी थीं ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मेरे प्रश्न में पहले ही लिखा है कि क्या दवायें बनाने का इसे लाइसेंस प्राप्त था । मैंने निविदा को पढ़ा है, २७ नं० आइटम है, उसमें है कि दवायें बनाने का भी लाइसेंस उसे मिला रहना चाहिए । मेरा प्रश्न है कि यह जो दिल्ली औद्योगिक विकास निगम है जिसे १,६६,००,००० रुपये की दवायें खरीद रहे हैं, तो क्या यह अपने यहां दवायें बनाती है ? यदि हां, तो क्या उसे लाइसेंस मिला है ?

श्री लोकपति—

श्रीमन्, दिल्ली औद्योगिक विकास निगम, दिल्ली प्रदेश की संस्था है, तो दिल्ली औद्योगिक विकास निगम के अन्तर्गत उनकी कुछ संस्थायें होंगी जो दवायें बनाती होंगी ?

श्री मोहन सिंह—

उनकी फैक्टरी है कहीं ?

श्री लोकपति—

मुझे जो सूचना है, वह यह है कि उन्हें दवायें बेचने का अधिकार प्राप्त है ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैन्यूफैक्चरिंग के बारे में मैंने पूछा है, तो इसके बारे में यदि जानकारी नहीं है, तो स्थगित करायें। मेरे मूल प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया है।

श्री लोकपति—

मैंने श्रीमन् उत्तर के पैरा नम्बर २ में साफ दिया है कि होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक पैटिकाओं की आपूर्ति करने के लिए रजिस्टर्ड हैं तथा उन्हें दवाइयां बेचने का लाइसेंस प्राप्त है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, अभी भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है कि उन्हें मूल रूप से दवाइयां बनाने का लाइसेंस प्राप्त है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, इसका उत्तर क्या है ?

श्री लोकपति—

इसका उत्तर मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न स्थगित किया जाता है।

अतारांकित प्रश्न

दुर्गा जी होम्योपैथिक कालेज, चन्दौश्वर, आजमगढ़ के संबंध में कथित शिकायती-पत्र

१—श्री पंचानन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दुर्गा जी होम्योपैथिक कालेज, चन्दौश्वर आजमगढ़ में व्याप्त अनियमितताओं, भ्रष्टाचार एवं आर्थिक गोलमाल से संबंधित जिलाधिकारी, आजमगढ़ का अगस्त, सितम्बर, १९८० में शासन को कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसके प्रमुख बिन्दु, क्या हैं और इस संबंध में २९ दिसम्बर, १९८० तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास क्षेत्र आजमगढ़, जिला आजमगढ़ में सीमेन्ट का आवंटन

२—श्री पंचानन—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित आजमगढ़ ब्लाक में अक्तूबर एवं नवम्बर, ८० में कितनी बोरी सीमेन्ट वितरण की गयी ? यदि सीमेन्ट वितरित नहीं की गयी तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिये कौन लोग उत्तरदायी हैं ?

श्री वासुदेव सिंह—

आजमगढ़ जनपद में स्थित अजमतगढ़ ब्लाक में प्रश्नगत अवधि में दोहरीघाट के सीमेंट स्टाकिस्ट मेंसर्स कन्हैया लाल बद्री नारायन एवं मेंसर्स अशोक कुमार विजय कुमार के द्वारा २४०-२४० बोरी सीमेंट परमिटों पर वितरित करायी गयी । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

मेडिकल कालेज, झांसी के मरीजों का किया गया एक्सरे

३—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल कालेज, झांसी के चिकित्सालय में माह नवम्बर, दिसम्बर, १९८० में भर्ती मरीजों को कितने एक्स-रे बाहर जाकर कराना पड़ा ? उनकी संख्या क्या है तथा इसके कारण क्या हैं ?

श्री लोकपति—

भर्ती मरीजों में से कितनों ने एक्स-रे बाहर जाकर कराया इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसका कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

नगरपालिका, झांसी के मोहल्ला तालपुरा में पाइप लाइन डालने की मांग

४—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर पालिका के अन्तर्गत मुहल्ला तालपुरा में जलपूर्ति हेतु अभी तक लाइन नहीं डाली गई है, इसके क्या कारण हैं और कब तक लाइन दी जायेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां । झांसी नगरपालिका के तालपुरा क्षेत्र के लिए यथेष्ठ जल उपलब्ध न होने के कारण उक्त क्षेत्र में पाइप लाइन नहीं डाली जा सकी । निकट भविष्य में इस क्षेत्र में पाइप लाइन का विस्तार किया जाना सम्भव नहीं है ।

गोरखपुर जिले के ग्राम पकरडीहा में अस्पताल निर्माण की मांग

५—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत ग्राम बिशुनपुरा अमहीआ, मिर्जापुर, गजपुर में राजकीय चिकित्सालय चल रहे हैं ? यदि हां, तो, क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि ग्राम बिशुनपुरा (ब्लाक बृह्मपुर के अन्तर्गत) में चल रहे अस्पताल हेतु सन्निकट के ग्राम पकरडीहा में प्लाट नं० २८ मि० जिसका रकबा १-९६ एकड़ (एक एकड़ छानवे डिस्मिल) है, अस्पताल भवन आदि हेतु उपलब्ध हो गया है ? यदि हां, तो इस पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत ग्राम विशुनपुरा, मिर्जापुर तथा गजपुर में राजकीय चिकित्सालय चल रहे हैं । ग्राम अमहोआ में कोई राजकीय चिकित्सालय नहीं चल रहा है ।

ग्राम विशुनपुरा, ब्लाक बृह्मपुर के अन्तर्गत चल रहे अस्पताल के सन्निकट ग्राम पकरडीहा में अस्पताल भवन आदि हेतु भूमि अभी तक चिकित्सा विभाग को उपलब्ध नहीं हो पाई है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में धनाभाव के कारण निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है ।

ललितपुर में जिला सहकारी बैंक की स्थापना की मांग

६—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक कोआपरेटिव बैंक, ललितपुर में खोलने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां तो कब तक खुल जाने की संभावना है ?

श्री वासुदेव सिंह—

ललितपुर जनपद में डिस्ट्रिक कोआपरेटिव बैंक खोलने का प्रस्ताव शासन ने भारतीय रिजर्व बैंक के विचारार्थ भेजा है । रिजर्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही उक्त बैंक के स्थापित किये जाने की कार्यवाही हो सकेगी ।

झांसी, नगरपालिका में सीवर लाइन डालने की मांग

७—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि झांसी नगरपालिका क्षेत्र में सीवर लाइन डालने की शासन ने योजना स्वीकृत की है ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी नहीं ।

प्रदेश में गेहूं, सीमेंट एवं डीजल का आवंटन

८—श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री धरमपाल तथा श्री कुबेर भंडारी—

क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि माह दिसम्बर, ८० तथा जनवरी, ८१ में गेहूं, सीमेन्ट तथा डीजल प्रदेश के किन-किन जनपदों को कितना-कितना भेजा गया है ? और आपूर्ति करने का आधार क्या रखा गया है ?

श्री वासुदेव सिंह—

माह दिसम्बर, १९८० एवं जनवरी, १९८१ में प्रदेश के जनपदों को शासन द्वारा आवंटित गेहूं सीमेन्ट तथा डीजल की मात्रा सम्बन्धी विवरण क्रमशः संलग्न है । गेहूं तथा डीजल मासिक आधार पर एवं सीमेन्ट का त्रैमासिक आधार पर आवंटन किया जाता है ।

भारत सरकार से प्रदेश को प्राप्त होने वाले कोटे तथा प्रदेश में जिलों को वास्तविक आवश्यकता को आधार मानकर उपर्युक्त सामग्रियों की जिलों को आपूर्ति की जाती है ।

बलिया जिले में भट्ठों को कोयले का आवंटन

९--श्री मित्रसेन—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया में भट्ठों की संख्या क्या है ? और उसका मासिक कोयले का कोटा कितना है ? जनवरी, १९८० से जून, १९८० तक किन-किन कोल एजेन्टों को किस-किस माह में कितना-कितना कोयला आवंटित किया गया ?

श्री वासुदेव सिंह—

जनपद बलिया में वर्ष १९८०-८१ हेतु भट्ठे लाईसेन्सियों की संख्या १३२ है । जनवरी, १९८० से जून, १९८० तक का कोयले का मासिक कोटा एवं एजेन्टों को आवंटित कोयले का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६५२ पर) ।

†छापी नहीं गई ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के लेक्चरर्स एवं मेडिकल कालेज लखनऊ के लेक्चरर्स का वेतनमान

१०—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के लेक्चरर्स तथा मेडिकल कालेज, लखनऊ के लेक्चरर्स के वेतनमान वर्ष १९७३ के पूर्व क्या थे तथा इस समय क्या हैं ? क्या मेडिकल कालेज, लखनऊ के लेक्चरर्स के ग्रेड व लखनऊ विश्वविद्यालय के लेक्चरर्स के ग्रेड से कम हैं ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त दोनों लेक्चरर्स लखनऊ विश्वविद्यालय के ही क्षेत्र में हैं तो क्या सरकार इस असमानता को दूर करने के लिए कोई विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

वर्ष १९७३ के पूर्व लखनऊ विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कालेज, लखनऊ के लेक्चरर्स का वेतनमान ४००—९५० रुपये था । इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में लेक्चरर्स का वेतनमान ७००—१६०० रुपये हैं तथा मेडिकल कालेज, लखनऊ के लेक्चरर्स का ६५०—१३०० रुपये हैं ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के लेक्चरर्स का वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्राप्त योजना के अन्तर्गत पुनरीक्षित करके ७००—१६०० रुपये किया गया है । चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना मेडिकल कालेजों पर लागू नहीं थी अतः मेडिकल कालेज, लखनऊ के लेक्चरर्स का वेतनमान लखनऊ विश्वविद्यालय के लेक्चरर्स से कम है । मेडिकल कालेज, लखनऊ तथा राजकीय मेडिकल कालेजों के अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए संस्तुत वेतनमान दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन था लेकिन इस बीच वेतनआयोग की रिपोर्ट आ गई है और आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान स्वीकृत करने पर असमानता दूर होने की संभावना है ।

लखनऊ विश्वविद्यालय की बैचलर आफ डेन्टल सर्जरी की पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अनुसूचित जाति के छात्र

११—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बैचलर आफ डेन्टल सर्जरी की पूरक परीक्षा अक्तूबर, १९८० में कितने छात्र सम्मिलित हुए थे, उसमें से कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए ? क्या यह भी सही है कि उस परीक्षा में जितने हरिजन छात्र सम्मिलित हुए थे उनमें सबके सब अनुत्तीर्ण हो गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

कुल ६४ छात्र सम्मिलित हुए थे जिनमें से कुल ४६ छात्र उत्तीर्ण हुए। इस परीक्षा में जितने अनुसूचित जाति के छात्र सम्मिलित हुए थे उनमें से सब के सब अनुत्तीर्ण नहीं हुए।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल आफिसरों का स्थानान्तरण

१२—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले १ वर्ष में कितने ऐसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल आफीसर हैं जिन्होंने एक चिकित्सालय से स्थानान्तरण होने पर इसके स्थान पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है या ज्वाइन करके अनधिकृत अवकाश पर चले गये हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ? प्रदेश में कितने मेडिकल आफीसर एक स्थान पर ३ वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

१३—श्री गोपी नाथ वर्मा—

[५ वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या २० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

नगरपालिका, झांसी के सीपरी बाजार नाले, खुशीपुरा नाले की सफाई एवं गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था

१४—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगरपालिका क्षेत्र के नगरा, सीपरी, सिविल लाइन्स, खुशीपुरा, परकोटा क्षेत्र के बड़े नालों की वर्ष १९७९ में सफाई तथा मरम्मत न कराने के क्या कारण हैं ? इन नालों को पक्का कराने में शासन ने अभी तक क्या कार्यवाही की ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

वर्ष १९७९-८० में नगरपालिका झांसी क्षेत्र में सीपरी बाजार के नाले की पूर्ण सफाई कराई गई। इलाइट सिनेमा के पीछे नाले का निर्माण कराया गया। खुशीपुरा नाले की सिल्ट की सफाई का कार्य कराया गया। इस वर्ष खुशीपुरा मस्जिद से बेंजू काछी के बगीचे तक नाला पक्का कराये जाने का कार्य प्रगति पर है। नगर क्षेत्र में नाले को पक्का कराने हेतु रेलवे विभाग से पत्र व्यवहार हो रहा है। नगरपालिका की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण सीमित संसाधनों से कार्य हो रहा है। प्रश्नगत कार्यों हेतु शासन द्वारा आर्थिक सहायता दिये जाने की नीति नहीं है।

१५—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगरपालिका में गन्दे पानी के निकास की क्या व्यवस्था है और पूरी नगरपालिका का गन्दा पानी कहां एकत्रित किया जाता है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

नगरपालिका झांसी के कुछ क्षेत्रों (लक्ष्मी गेट, बड़ा गांव गेट, सैंयरगेट तथा खुशीपुरा) का गन्दा पानी नालों के माध्यम से लक्ष्मी तालाब में एकत्रित होता है। अन्य क्षेत्र दतिया गेट, उन्नाव गेट का गन्दा पानी कच्चे नालों के माध्यम से मानों के ताल में एकत्रित होता है तथा सीपरी नाले का पानी पाहूंज नदी में प्रवाहित होता है।

सेवा सदन, ठाकुरगंज, लखनऊ के भण्डारी, श्री शम्भू नाथ मिश्र एवं लिपिक श्रीमती चन्द्रप्रभा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

१६—श्री कुबेर भण्डारी, श्री हरिवंश सहाय तथा श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि सेवा सदन, ठाकुरगंज, लखनऊ के आश्रितों ने दैनिक वेतन भोगी भंडारी (श्री शम्भूनाथ मिश्र) एवं लिपिक (श्रीमती चन्द्रप्रभा) के प्रति जिसके अन्तर्गत जाली रसीदें बनाना, राशन कम निकालना, समय से भोजन, नाश्ता भरपेट न देना एवं उक्त दोनों कर्मचारियों द्वारा आश्रितों को परेशान किये जाने की शिकायतें हैं ? पत्र दिनांक ११-१२-८० द्वारा शासन का ध्यान आकृष्ट किया है और एक विधायक ने अपने पत्र दिनांक १७-१२-८० द्वारा शासन को पत्र लिख कर मांग की है कि सम्बन्धित कर्मचारियों का स्थानान्तरण करके सी० आई० डी० जांच कराई जाय ? यदि हां, तो मंत्री जी कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां। माननीय विधायक जी का पत्र दिनांक १७-१२-८० तथा उनके द्वारा प्रेषित आश्रितों का शिकायती-पत्र दिनांक ११-१२-८० प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत शिकायतों की जांच विभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही है। प्रारम्भिक जांच पूर्ण होने पर ही आवश्यकतानुसार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने अथवा सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा।

स्वास्थ्य निरीक्षक, श्री नागेन्द्र जैन, स्याना, जिला बुलन्दशहर का बकाया वेतन

१७—श्री नन्द किशोर सिंह, श्री हरिवंश सहाय तथा श्री कुबेर भंडारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि माह जुलाई, १९८० से अब तक नियमित कार्य अवधि का वेतन स्वास्थ्य निरीक्षक सयाना, जिला बुलन्दशहर (श्री नागेन्द्र जैन) को प्राप्त नहीं हो रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य निरीक्षक सयाना ने पारिवारिक आर्थिक गम्भीर दशा की परिस्थितियों को अवगत कराते हुए संयुक्त निदेशक, चिकित्सा,

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मेरठ मंडल, मेरठ एवं अन्य अधिकारियों को पत्र दिनांक ५-११-८० एवं ६-१-८१ को प्रेषित किया है ? यदि हां, तो क्या दोषी सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही से प्रेषित पत्रों को सदन के पटल पर रख कर अवगत करायेंगे ? उक्त कर्मचारी को वेतन दिलाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति—

दिनांक १-७-८० से १५-८-८० तक सरकारी सेवाओं से अनुपस्थित रहने के कारण श्री नागेन्द्र जैन का इस अवधि का वेतन आहरण नहीं किया जा सका है।

श्री नागेन्द्र जैन स्वास्थ्य निरीक्षक की कार्य अवधि दिनांक १-९-८० से ३१-१-८१ तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है तथा दिनांक १६-८-८० से ३१-८-८० तक का इनका वेतन निकाला जा रहा है। श्री जैन द्वारा भेजा गया प्रत्यावेदन दिनांक ५-११-८० प्राप्त हुआ था। इस मामले में किसी अधिकारी के दोषी होने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश को केन्द्रीय सरकार द्वारा डीजल का आवंटन

१८—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश को केन्द्र से सन् १९७८-७९, १९७९-८० में डीजल का कोटा कितना मिला था तथा कोटे के मुताबिक डीजल उठाया गया ? यदि हां, तो प्रदेश में सिंचाई कार्य हेतु प्रत्येक जिले में कितना डीजल दिया गया ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह—

वर्ष १९७८-७९ में अक्तूबर, ७९ के पूर्व डीजल वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं था और इसका विक्रय खुले बाजार में होता था। शासन ने १ अक्तूबर, १९७९ से डीजल वितरण पर नियंत्रण लागू किया और केन्द्रीय शासन द्वारा प्रदेश को डीजल के मासिक कोटे का आवंटन तभी से प्रारम्भ हुआ। अतएव अक्तूबर, ७९ से मार्च, १९८० तक की अवधि में केन्द्र से प्रदेश को प्राप्त डीजल के मासिक आवंटन और उसके विपरीत हुई उठाने का विवरण संलग्न है। तेल कम्पनियों के स्तर पर उपलब्धि एवं संचरण की समस्या तथा पूर्वी क्षेत्रों के शोध तेल कारखानों के बन्द हो जाने के कारण प्रश्नगत अवधि में डीजल की उठान आवंटन के अनुरूप नहीं हो सकी।

प्रश्नगत अवधि में कृषि कार्यों हेतु जिसमें सिंचाई कार्य भी सम्मिलित है, प्रत्येक जनपद के मासिक डीजल कोटे का ६० प्रतिशत भाग प्राथमिकता के आधार पर दिये जाने के निर्देश शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को दिये गये। मार्च, १९८० में तो कृषि कार्यों के लिए जनपद के मासिक डीजल कोटे में से अधिकतम ८० प्रतिशत तक दिये जाने के निर्देश दिये गये थे।

चूंकि केवल सिंचाई कार्य के लिए जनपदों को डीजल का पृथक् आवंटन नहीं किया गया अतएव उसके विवरण का सवाल नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६५४ पर) ।

विकास क्षेत्र, उतरौला, जिला गोंडा में चीनी का आवंटन

१९—श्री मसरूर जाफरी—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उतरौला विकास क्षेत्र जनपद गोंडा में माह दिसम्बर, १९८० के अन्त में शहर से लेकर ग्राम स्तर तक सरकारी दूकानों से चीनी का वितरण उपभोक्ताओं में हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

झांसी नगर के सीकरी क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना सम्बन्धी कथित आदेश

२०—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर में सीकरी क्षेत्र में किराये के भवन लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तुरन्त खोलने के छः माह पूर्व आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या कारण है कि छः माह समाप्त हो जाने के बाद भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोला गया है ?

श्री लोकपति—

जी नहीं । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

झांसी जिले में चावल एवं गेहूं तथा शक्कर का आवंटन

२१—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर तथा झांसी जनपद में माह नवम्बर, दिसम्बर, १९८० में गेहूं, चावल और शक्कर के वितरण की क्या प्रक्रिया अपनायी गयी ? क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि वे कौन से कारण हैं जिससे कि राजकीय सस्ते गल्ले की दूकानों पर राशन पर्याप्त नहीं पहुंच सका है ?

श्री वासुदेव सिंह—

प्रश्नगत अवधि में झांसी नगर तथा झांसी जनपद में शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित राशन स्केल के आधार पर गेहूं/चावल और शक्कर वितरित किये जाने की प्रक्रिया अपनायी गई । परन्तु भारतीय खाद्य निगम के पास शक्कर के पर्याप्त स्टाक उपलब्ध न रहने के कारण आवंटित मात्रा के बराबर आपूर्ति सम्भव न हो सकी और कम रही । पिछले तीन-चार महीनों से भारत सरकार से जन वितरण हेतु प्राप्त होने वाले गेहूं के मासिक कोटे में भारी कमी कर दी गई है । इस कमी के फलस्वरूप प्रदेश में

सरकारी गेहूं कि उपलब्धता में बहुत कमी हो गई है। फलतः गेहूं के जिलावार आवंटन में भी प्रदेश सरकार द्वारा कमी करनी पड़ी है। झांसी जनपद के गेहूं के मासिक आवंटन में भी कमी करनी पड़ी है जिसके कारण वहां की सस्ते गल्ले की दूकानों में गेहूं की पर्याप्त सम्पूर्ति सम्भव नहीं हो सकी है। परन्तु चावल के मासिक आवंटन में भारत सरकार द्वारा पूर्व की अपेक्षा पर्याप्त वृद्धि कर दी गयी है। अतएव, चावल के राशन स्केल में प्रदेश शासन ने वृद्धि करके उसे दूना कर दिया है और चावल की उपलब्धता में सामान्यतया कोई कमी नहीं है। झांसी जनपद में भी सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों से वितरण हेतु पर्याप्त मात्रा में चावल उपलब्ध है।

सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, में अनुसूचित जाति के शाखा प्रबन्धक

२२—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उ० प्र० राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि० में कुल कितने शाखा प्रबन्धक स्तर के अधिकारी हैं ? इनमें कितने अनुसूचित जाति के हैं ? आरक्षण के अनुसार क्या उनका कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दिनांक २७-७-७९ को कुछ फील्ड आफिसरों की पदोन्नति तदर्थ आधार पर शाखा प्रबन्धक के पद पर दी गयी है ? तो उनमें वरिष्ठ अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को शामिल न करने का क्या कारण है ?

श्री वासुदेव सिंह—

उ० प्र० राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि० में इस समय २८५ शाखा प्रबन्धक स्तर के अधिकारी हैं। इसमें से एक अधिकारी अनुसूचित जाति का है। शाखा प्रबन्धक स्तर पर अन्तिम नियुक्तियां १९६९ में हुई थी और उस समय बैंक के सेवा नियम में आरक्षण का प्रावधान नहीं था, इसलिए आरक्षण के अनुसार कोटा पूर्ण करने का प्रश्न नहीं उठा।

दिनांक २७-७-७९ को ५३ फील्ड आफिसरों की पदोन्नति तदर्थ आधार पर शाखा प्रबन्धक के पद पर की गयी। यह पदोन्नति नियमानुसार ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की गयी। ज्येष्ठता के अनुसार जो सूची बनायी गयी थी उस सूची में अनुसूचित जाति के केवल एक फील्ड आफिसर का नाम था जिस पर विचार किया गया परन्तु उसे पदोन्नति के योग्य नहीं पाया गया।

२३—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[२९-१-८१ को अतारांकित प्रश्न संख्या ९ द्वारा उत्तरित]

नगरपालिका, सीतापुर के अस्पताल की कथित बन्दी

२४—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका सीतापुर के स्वास्थ्य विभाग का अपना अस्पताल भी है जो अर्से से बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो कब से अस्पताल बन्द है और उसकी बन्दी की अवधि में उसमें नियुक्त डाक्टर व दवाई पर कोई धन-राशि खर्च की गयी ? यदि हां, तो अलग-अलग कितनी-कितनी धनराशियां खर्च की गयीं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां । नगरपालिका, सीतापुर का अपना संक्रामक रोग चिकित्सालय है जो बन्द नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

'दारुलशफा 'ए' ब्लाक के कूड़ों की सफाई

२५—श्री झिलमिट राम—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दारुलशफा ए-ब्लाक के पीछे सर्वेन्ट क्वार्टरों व नलकूप से लगाकर वर्षों से कई एक ट्रक कूड़ा-करकट इकट्ठा है जिससे मार्ग अवरोध तथा गन्दगी का वातावरण व्याप्त है ? उक्त गन्दगी को वहां से न हटाने का क्या कारण है ? क्या सरकार मार्ग अवरोध व जन स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर प्रश्नगत भूमि से कूड़ा-करकट गंदगी हटाने तथा भविष्य में वहां न रखने का आदेश निर्गत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

दारुलशफा 'ए' ब्लाक के पीछे सर्वेन्ट क्वार्टरों व नलकूप से लगा जो कूड़ा व मलवा एकत्र हुआ था, उसे उठवा दिया गया है । कूड़ा उठाये जाने की व्यवस्था ठीक कर दी गयी है ।

नगरपालिका, बिलग्राम, जिला हरदोई को दिया गया अनुदान

२६—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की नगर-पालिका बिलग्राम में सड़क तथा नालियों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने कितना ऋण और कितना अनुदान गत ४ वर्षों में दिया ? क्या बिलग्राम में सम्पूर्ण सड़कों का निर्माण हो चुका है ? और किन-किन मोहल्लों में सड़कें बनी हैं ? और क्या उनमें नालियों का निर्माण गन्दा पानी निकालने हेतु हो चुका है और मौके पर नालियां बनी हैं ? यदि नहीं, तो नगरपालिका के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जनपद हरदोई की नगरपालिका बिलग्राम को विगत ४ वर्षों से कोई भी ऋण सड़कों तथा गलियों के निर्माण हेतु शासन द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। इस अवधि में सड़कों के निर्माण हेतु वर्ष १९७८-७९ में २७,८०० की धनराशि का सड़क अनुदान स्वीकृत किया गया था जिसका उपयोग पालिका द्वारा किया जा चुका है। पालिका द्वारा बिलग्राम की एक मुख्य सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। मोहल्ला सुल्हाड़ा में सुक्खी हरिजन के मकान से पीपल चौराहा तक गन्दे पानी के निकास हेतु लगभग सवा छः सौ मीटर लम्बी पक्की नाली का निर्माण हो चुका है। इसी प्रकार पीपल चौराहा से डा० महेश के दवाखाना तक सड़क के उत्तरी किनारे पर मोहल्ला बजरिया में लगभग सवा दो सौ मीटर पक्की नाली का निर्माण हो चुका है तथा मौके पर मौजूद है।

साधन सहकारी समिति, सुल्हाड़ा, जिला हरदोई के सरपन्च, श्री अलीएन का कथित निलम्बन

२७—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति, सुल्हाड़ा (बिलग्राम विकास खण्ड बिलग्राम, जनपद हरदोई के निलम्बित सरपंच श्री अली एन उर्फ बाबू को अनियमितताओं के कारण निलम्बित किया गया था और उन्होंने अपना सम्पूर्ण चार्ज नहीं दिया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री वासुदेव सिंह—

श्री अली एन उर्फ बाबू को निलम्बित नहीं किया गया। उन्होंने अपना चार्ज दे दिया है।

हरदोई जिले के कतिपय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों की मरम्मत

२८—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलग्राम माधोगंज एवं मल्लावां चिकित्सालय के भवन की पुताई व मरम्मत कितने वर्षों से नहीं हुई है तथा वर्षा में भवन के टपकने से मरीजों को जो कठिनाइयां होती हैं इस ओर शासन ने क्या किया ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

आजमगढ़ जिले के लिए चीनी का आवंटन

२९—श्री पंचानन—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद को जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर, १९८० में कितनी चीनी दी गयी और उसमें से कितनी सगड़ी तहसील के लिए आवंटित की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह—

आजमगढ़ जनपद को जुलाई, १९८० में ११७० मी० टन, अगस्त, १९८० में ११६८ मी० टन एवं सितम्बर, १९८० में ११६६ मी० टन चीनी आवंटित की गई और उसमें से सगड़ी तहसील के लिए, जुलाई, १९८० में १२८.२ मी० टन, अगस्त, १९८० में १२८.१ मी० टन एवं सितम्बर, १९८० में १२८.८ मी० टन चीनी आवंटित की गई।

नगरपालिका, सहारनपुर के मास्टर प्लान का पुनरीक्षण

३०—श्री सुरेन्द्र कपिल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सहारनपुर नगरपालिका का मास्टर प्लान का पुनरीक्षण करने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां।

परन्तु प्रस्तावित पुनरीक्षण कार्य को पूरा करने हेतु निश्चित समय का बताना अभी सम्भव नहीं है।

३१—डा० शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी—

[५ वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मुजफ्फरनगर, खतौली मेले के आयोजन सम्बन्धी सलाहकार समिति का कथित गठन

३२—श्री धर्मबीर सिंह त्यागी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर, ने खतौली मेले के आयोजन हेतु एक सलाहकार समिति बनाने के निर्देश परगनाधिकारी, जानसठ को दिये थे ? क्या परगनाधिकारी ने कोई समिति गठित की ? यदि नहीं, तो क्यों ? खतौली मेले में आयोजित कवि सम्मेलन एवं मुशायरा जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में जनता अथवा अन्य किसी सलाहकार समिति का सहयोग प्राप्त किया गया ? क्या परगनाधिकारी ने जिलाधिकारी के निर्देशों का पालन न कर आदेशों का उल्लंघन किया है ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी नहीं। जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर ने खतौली में मेले के आयोजन हेतु एक सलाहकार समिति बनाने हेतु परगनाधिकारी, जानसठ को कोई निर्देश नहीं दिये थे और न परगनाधिकारी द्वारा कोई समिति गठित की गयी।

नगरपालिका, खतौली के अवक्रमण के पश्चात् वर्ष १९७८-७९ तथा १९७९-८० में भी आयोजित मेले हेतु किसी सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया था और इसी परम्परा के अनुरूप वर्ष १९८०-८१ में भी मेले का आयोजन किया गया था।

कवि सम्मेलन अथवा मुशायरा कार्यक्रमों में किसी सलाहकार की आवश्यकता नहीं समझी गयी, शेष का प्रश्न नहीं उठता।

साधन सहकारी समिति, कथोला भुलभुलिया, जिला गोंडा के सचिव के विरुद्ध चलाया गया मुकदमा

३३—श्री जटाशंकर सिंह—

उ० प्र० विधान सभा प्रथम सत्र १९८० के चौथे शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या २७ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि साधन सहकारी समिति कथोला भुलभुलिया, जिला गोंडा के सचिव के विरुद्ध अपराध संख्या १०७०/७४, दिनांक २५-८-७७ का आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जा चुका है और माह सितम्बर से अक्तूबर, १९८० में रामदेव व सत्तन द्वारा उक्त सचिव के विरुद्ध धारा ४०९ आई० पी० सी० थाना कोतवाली देहात, जिला गोंडा में पुनः एफ० आई० आर० दर्ज हुई है ? यदि हां, तो ऐसे सचिव को सेवानिवृत्त क्यों नहीं किया गया तथा अब तक उस सचिव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही क्या-क्या की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

उक्त सचिव के विरुद्ध अपराध संख्या १०७०/७४ से संबंधित आरोप-पत्र दिनांक २५-८-७७ को न्यायालय को भेजा जा चुका है। किन्तु माह सितम्बर से अक्तूबर, १९८० में रामदेव व सत्तन द्वारा उक्त सचिव के विरुद्ध धारा ४०९ आई० पी० सी० के अन्तर्गत पुनः एफ० आई० आर० दर्ज नहीं की गयी है। केवल श्री सत्तन पुत्र श्री छेदी, साकिन भुलभुलिया की लिखित सूचना पर थाना कोतवाली देहात, गोंडा में धारा ४०८ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अपराध संख्या ४०२/८०, दिनांक ३०-१०-८० को पंजीकृत हुआ और इसमें २४-११-८० को अंतिम रिपोर्ट लगाई जा चुकी है।

सचिव को निलम्बित किया गया था परन्तु माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ से स्थगन आदेश पारित हो जाने के कारण कार्यान्वियन रुक गया।

प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका गोरखपुर के विरुद्ध टैक्सी स्टैण्ड की नीलामी सम्बन्धी शिकायती-पत्र

३४—श्रीमती गौरी देवी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रभारी अधिकारी नगरपालिका, गोरखपुर के विरुद्ध टैक्सी स्टैण्ड के नीलामी के संबंध में शिकायती-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र संख्या १६/जी द्वारा दिनांक ६-१०-८० को भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां । जांच कराने पर शिकायती-पत्र में उल्लिखित आरोप सिद्ध नहीं पाये गये ।

साधन सहकारी समिति, हैदराबाद एवं करखिया रुस्तम सरायं, जिला आजमगढ़ के आंकिक एवं सचिव श्री साधो मिश्र की सेवा समाप्ति

३५—श्री पंचानन—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री साधो मिश्र, जो साधन सहकारी समिति, हैदराबाद-करखिया रुस्तम सराय ब्लाक हरैया, जनपद आजमगढ़ में आंकिक एवं सचिव के पद पर कार्यरत थे, को जुलाई, १९७८ में अनियमित तरीके से हटा दिया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस संबंध में इनका पत्र दिनांक ८ अक्तूबर, १९८० शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर १५ दिसम्बर, १९८० तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह—

श्री साधो मिश्र जुलाई, ७८ में साधन सहकारी समिति हैदराबाद एवं करखिया रुस्तम सराय में आंकिक एवं सचिव पद पर कार्यरत नहीं थे, इसलिए अनियमित तरीके से हटाने का प्रश्न नहीं है ।

श्री मिश्र का प्रार्थना-पत्र दिनांक ८-१०-८० प्राप्त हुआ जो १५-१२-८० तक उप निबन्धक, गोरखपुर के कार्यालय में विचाराधीन रहा ।

सहकारी विभाग, बाराबंकी की जनप्रतिनिधियों, पर बकाया धनराशि

३६—श्री श्यामलाल बाजपेई—

क्या सहकारिता मंत्री को पता है कि बाराबंकी जनपद में सहकारिता विभाग के विभिन्न अंगों की जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों तथा अन्य विशिष्ट लोगों पर कितनी धनराशि बकाया है ? क्या शासन उनके नाम बताते हुए वसूली के लिये कोई कारगर उपाय सोच रहा है ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां ।

सन्दर्भित बकाये की स्थिति निम्नवत् है :—

	रु०
श्री गजेन्द्र सिंह, विधायक	८,०७४.७७
श्री राम सागर रावत विधायक	१,२६९.२२
श्री कृष्ण मगन सिंह विधायक	७,१४५.७८
श्री जगदीश द्विवेदी, महामंत्री (कांग्रेस आई०)	१,६५९.७२
श्री एहतराम अली उर्फ तम्मू, महामंत्री (कांग्रेस आई)	६६५.७२
श्री इकरामुर्रहमान किदवई, अध्यक्ष (जनता पार्टी)	१३,२५३.५८

[श्री वासुदेव सिंह—]

उपरोक्त धनराशि की वसूली हेतु संबंधित सहकारी संस्थाओं द्वारा नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

नगरपालिका, भदोही, जिला वाराणसी की क्षतिग्रस्त सड़कें

३७—श्री ऊदल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि भदोही नगरपालिका, जिला वाराणसी की सभी सड़कों की हालत खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी सड़कों की जांच करायेगी और उसकी एक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

नगरपालिका, भदोही की सीमान्तर्गत सड़कों की कुल लम्बाई ४८.६ कि०मी० है जिनमें से लगभग ४३ कि०मी० सड़क पालिका की तथा ५.६ कि०मी० सार्वजनिक निर्माण विभाग की है। पालिका की सड़कों में से लगभग ३३ कि०मी० सड़क पक्की तथा १० कि०मी० कच्ची है। १० कि०मी० कच्ची सड़क इस वर्ष भीषण वर्षा एवं मेन सीवर की ट्रंक लाइन पड़ने के कारण खराब हो गयी है जिसका सुधार इसी वित्तीय वर्ष में किये जाने का प्रस्ताव है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग को ५.६ कि०मी० सड़कों में से .५ कि०मी० सड़क की स्थिति गत वर्षा ऋतु में अधिक खराब हो गयी थी। इसकी वाटर बाउन्ड कुटाई करके मरम्मत करा दी गयी है और तारकोल लेपन का कार्य जाड़े के मौसम के बाद किया जायेगा।

कोआपरेटिव यूनियन, लखनऊ के हितकारी पर्यवेक्षकों की पदोन्नति

३८—श्री झिलमिट राम—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन, लखनऊ के प्रदेश में कितने सहकारी पर्यवेक्षकों की पदोन्नति १९७० से नवम्बर, १९८० तक सहकारी निरीक्षक वर्ग—२ के पद पर की गई ? तथा कितने सहकारी पर्यवेक्षक वरिष्ठ पर्यवेक्षकों को पदोन्नति से वंचित करके उनसे कनिष्ठ पर्यवेक्षकों की पदोन्नतियां की गयीं और उसका क्या कारण है ?

श्री वासुदेव सिंह—

प्रश्नगत अवधि में ८१८ सहकारी पर्यवेक्षकों की पदोन्नतियां सहकारी निरीक्षक वर्ग—२ के पद पर की गयी तथा २७९ वरिष्ठ सहकारी पर्यवेक्षकों को पदोन्नति से वंचित करके कनिष्ठ सहकारी पर्यवेक्षकों की पदोन्नतियां की गयी। वरिष्ठ सहकारी पर्यवेक्षकों को पदोन्नति से वंचित करने के कारणों की जांच की जा रही है।

[१२ बजकर १० मिनट]

देवरिया जिले के ग्राम परसिया भंडारी निवासी बदरी हरिजन को गांव के प्रधानाचार्य द्वारा पिटाई के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ३०१ के अन्तर्गत कुछ सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिनमें से ५ सूचनायें स्वीकृत हुई हैं तथा शेष अस्वीकृत हुई हैं।

*श्री हरिवंश सहाय—

मान्यवर, देवरिया जिलान्तर्गत परसिया भंडारी के बदरी हरिजन को दिनांक १३ जनवरी, १९८० को पट्टे की जमीन पर कब्जा करने पर गांव के एक प्रधानाचार्य ने उसे पकड़वा कर पेड़ में बांध कर लटका दिया तथा उसे डंडों से मारा। चार घण्टे के बाद बदरी के परिवार के लोगों की प्रार्थना पर उसे बंधन से मुक्त किया लेकिन यह शर्त रही कि वह रपट नहीं देगा। जब दूसरे दिन वह थाना खुखुन्दू जाकर रपट देने की सूचना मिली तो उसके भाई को भी पीटा गया। थाने में रपट नहीं लिखा गया। सभी अधिकारियों को दरखास्त दिया गया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

परसिया देवार के ६५ भूमिहीनों को पट्टा मिला, कब्जा दिला दिया गया। उस गांव के रिटायर्ड जज अधिकारियों पर दबाव डालकर ६५ आवंटियों को जेल भेजवा दिया गया तथा जमीन को १४५ धारा के तहत जब्त कर ली गयी।

तहसील सलेमपुर के अन्तर्गत २,५६५ भूमिहीनों को कागज में पट्टा मिला है जबकि मौके पर १,००० परिवार ही काबिज हुए हैं शेष पट्टेदार कचहरी का चक्कर काट रहे हैं। अगर ये भी कब्जा करेंगे तो उनकी भी हालत परसिया देवार एवं परसिया भंडारी के आवंटियों जैसा जुल्म सहना पड़ेगा।

अस्तु, आज माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय राजस्व मंत्री से मांग करता हूं कि उक्त मामलों की जांच कराकर कार्यवाही करावें तथा आवंटियों को कब्जा दिलाकर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करावें।

शारदा सहायक शाखा सुल्तानपुर नहर के रिसने तथा जलभराव से कतिपय ग्रामों की फसल की क्षति तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री मित्रसेन—

मान्यवर, आपकी अनुमति से एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना आदरणीय सदन और शासन के अन्तर्गत शारदा सहायक शाखा सुल्तानपुर नहर के जल भराव एवं रिसने के कारण सैकड़ों हेक्टेयर रबी की फसल पूरी तरह नष्ट हो गयी है, दर्जनों गांव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मित्र सेन—]

गम्भीर रूप से प्रभावित हैं। जलभराव के कारण लोगों के मकान ध्वस्त हो रहे हैं। गांवों में आदमी एवं जानवरों का रहना दूभर हो गया है। गांव धनेषा वारासिधौना, गोकुला मलधुआ, गवैणी सोंराव विशेष रूप से प्रभावित हैं और दाने-दाने को मोहताज हो गये हैं। आदमी और जानवरों के भरण-पोषण के लिये कठिन समस्या पैदा हो गयी है। शासन और विभाग की तरफ से कोई राहत कार्य नहीं किया जा रहा है। सिंचाई विभाग मूकदर्शक एवं किंकर्तव्यविमूढ़ हो गयी है। विगत कई वर्षों से लगातार इसी प्रकार से किसानों की फसल क्षतिग्रस्त होती चली आ रही है किन्तु अभी तक कोई मुआविजा एवं क्षतिपूर्ति नहीं दी गयी है। इस जलभराव और रिसन के कारण आदमी और जानवरों के खाने और चारे की गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है।

अतएव श्रीमान जी, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि तत्काल राहत कार्य आरम्भ किया जाय। क्षतिग्रस्त किसानों को मुआविजा दिया जाय। सभी कृषि देय, लगान सिंचाई को माफ किया जाय तथा उनके जीवन की रक्षा हेतु दवा एवं खाद्यान्न की व्यवस्था की जाय।

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत मुड़हा झील में पीढापुर माइनर का पानी छोड़ दिये जाने तथा सीवेज होने से कतिपय ग्रामों की फसल की क्षति के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रदीप कुमार यादव—

मैं आपकी अनुमति से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। जिला बाराबंकी अन्तर्गत तहसील रामसनेही घाट, परगना दरियाबाद, के श्यामनगर, देनापुर, ततारपुर, रूपऊपुर, निकठापुरवा मजरे सहरी तथा घुसिहया आदि गांव सिंचाई विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अदूरदर्शिता से नहर दरियाबाद, सामानान्तर शाखा से निकली पीठापुर माइनर का पानी मुड़हा झील में छोड़ दिये जाने के कारण जलमग्न हो रहे हैं। इन ग्रामों की सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि की पोस्ता, गेहूं, चना आदि की फसल नष्ट हो गयी है। इसी नहर के दोनों पटरियों के किनारे काफी दूर तक सीपेज पैदा हो गया है जिससे हजारों मकान गिर गये हैं तथा खेती की जमीन परती हो गयी है। परिणामस्वरूप लोग जमीन होते हुए भी भुखमरी के शिकार हो रहे हैं।

श्रीमन्, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल जल निकासी की व्यवस्था की जाय एवं क्षतिग्रस्त मकान व फसल का मुआवजा दिया जाय। सीपेज के कारण परती कृषि भूमि की लगान माफ की जाय तथा सीपेज दूर करने का स्थाई हल तत्काल निकाला जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आगरा मेडिकल कालेज में श्री साहब सिंह का आपरेशन करते समय डा० वी० डी० शर्मा तथा डा० अजय बंसल द्वारा कैंची पेट में छोड़ देने के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय सिंह राना—

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक-महत्व के एक गम्भीर मामले की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें आगरा मेडिकल कालेज के एक वरिष्ठ डाक्टर और सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डा० वी० डी० शर्मा व उसके सहयोगी डा० अजय बंसल ने एक मरीज का आपरेशन के बाद कैंची को उसके पेट में छोड़ दिया।

घटना का विवरण यह है कि इटावा जिले के पिलखर गांव का साहब सिंह नामक एक व्यक्ति को गोली लगी, उसकी गम्भीर देशा देखकर उसे ८ नवम्बर, १९८० को आगरा के सरोजनी नायडू अस्पताल में दाखिल किया गया। दो-तीन दिन बाद उसका उक्त डाक्टर ने आपरेशन किया और ६ इंच लम्बी कैंची उसके पेट में ही छोड़ दी। करीब एक महीने के बाद मरीज को उसके घर भेज दिया गया। वहां उसके पेट में दर्द उठा तो डाक्टरों की सलाह पर उसका एक्सरे कराया गया जिसमें उसके पेट की कैंची साफ साफ दिखाई देती थी। मरीज के घर वाले बेचारे भोले-भोले ग्रामीण एक्सरे को लेकर आगरा आये तो अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। डाक्टर वी० डी० शर्मा को मालूम पड़ा तो उन्होंने संबंधित कागजात और सामग्री अपने कब्जे में कर ली और पता चला है कि यह सभी रिकार्ड बदला जा रहा है तथा मामले को पूरी तरह दबाया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि सम्पूर्ण मामले की सी० आई० डी० जांच कराई जाय तथा दोषी डाक्टरों को दण्डित किया जाय। यह डाक्टर प्राइवेट आपरेशन में ४,००० रु० लेता है और अस्पताल में सामान्य जन-जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। ऐसे जघन्य लोगों के विरुद्ध शासन से वक्तव्य की मांग करता हूं।

राजकीय कुष्ठ चिकित्सा कर्मचारी संघ द्वारा अनशन एवं मांगों के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री नन्द किशोर सिंह—

मान्यवर, राजकीय कुष्ठ चिकित्सा कर्मचारी संघ, उ० प्र० के आवाहन पर १६ फरवरी, १९८१ को एक रैली किया गया जिसमें प्रदेश भर के कार्यरत कर्मचारियों के साथ-साथ रोगी भी भाग लिए। १७ फरवरी, १९८१ को कुष्ठ विभाग के कर्मियों ने सामूहिक रक्तदान भी किया। इस पर भी मांगें पूरी नहीं हुई तो विवश होकर १८ फरवरी, १९८१ को २ बजे से क्रमिक अनशन पर बैठ गये। इससे प्रदेश के लाखों रोगी अस्पतालों में पड़े हैं जिनकी उचित दवा नहीं हो पा रही है। समस्त प्रदेश के कुष्ठ रोगियों तथा कर्मियों की आंखें उत्तर प्रदेश शासन की तरफ लगी हुई हैं। इनकी मांगें मुख्य हैं :—

१—प्रशिक्षित कुष्ठ कर्मियों को टेक्निकल घोषित किया जाय।

२—पैरा मेडिकल वर्कर के प्रशिक्षण के लिए चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विज्ञान एवं जीव विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नन्द किशोर सिंह—]

३—वर्ष १९६५ के पूर्व वेतनमान को आधार मानकर कुष्ठ कर्मियों की वेतन विसंगतियों को अविलम्ब दूर किया जाय।

४—विशेष कुष्ठ वेतन समस्त कर्मचारियों को चिकित्सा अधिकारियों की ट्रेय तिथि से अविलम्ब दिया जाय।

५—कुष्ठ कार्य में संलग्न फिजियोफिरेफी टेक्निशियन को टेक्निशियन स्तर एवं उसी प्रकार का वेतन दिया जाय।

६—कुष्ठ कर्मियों को ३३ प्रतिशत सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय।

७—तीन वर्ष से अधिक सेवारत कुष्ठ कर्मियों को अविलम्ब स्थाई किया जाय।

अस्तु, आज माननीय सदन के संज्ञान में इस लोक-महत्व के प्रश्न को लाकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि राजकीय कुष्ठ चिकित्सा कर्मचारियों की समस्त मांगें मानकर ९ दिनों से चले आ रहे अनशन को समाप्त कराने की कृपा करें।

श्री शंकर सिंह की गिरफ्तारी के उपरान्त जेल भेजे जाने की गलत सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, नियम ३०० में, मैंने एक औचित्य का प्रश्न दिया था। मान्यवर, मैंने यह औचित्य का प्रश्न दिया था कि आपके पटल कार्यालय की १६ फरवरी की बुलेटिन संख्या १९ द्वारा जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, जालौन ने अपने वायरलेस दिनांक ६ फरवरी, १९८१ से आप को यह सूचित किया कि मुझे कालपी हमीरपुर मार्ग पर वाहनों को रोकने के संबंध में कदौरा में गिरफ्तार किया गया और न्यायिक मैजिस्ट्रेट, उरई के आदेशानुसार उरई जेल भेजा गया जब कि वास्तविकता यह है कि उक्त गिरफ्तारी के बाद मुझे जेल नहीं भेजा गया और मुझे जाती मुचलके पर रिहा कर दिया गया। दूसरा पार्ट है उसको मैं ड्राप करता हूं। मान्यवर, जिलाधिकारी जालौन, पुलिस अधीक्षक जालौन ने ऐसी सूचना भेजी . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, सुन लिया...

श्री शंकर सिंह—

यह सूचना आपको देना कि गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मुझे जेल नहीं भेजा गया। एक न्यायिक मैजिस्ट्रेट को भी इनवाल्व किया गया। कोई ऐसे न्यायिक मैजिस्ट्रेट के आदेश नहीं हुए। जेल नहीं भेजा गया। आपको जो सूचना दी गई उससे आप की प्रतिष्ठा गिरी है और सदन की प्रतिष्ठा गिरी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेट, और पुलिस अधीक्षक, जिन्होंने गलत सूचना आप के पास भेजी है के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के आदेश दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

इस संबंध में गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया या जातीय मुचलके पर छोड़ा गया, यह जो आपने उठाया है, इसकी सूचना प्राप्त की जायगी। जहां तक गिरफ्तारी के समय में २ बजे और ७ बजे का डिफरेन्स का सवाल है, २ बजे की सूचना मैजिस्ट्रेट की भी आई थी, २ बजे की सूचना दूसरे की भी आई थी। सूचना में कोई गलती नहीं थी। हमारे विभाग ने दो बजे की ही सूचना बुलेटिन में छापी और २ बजे की ही सूचना छापने के लिए गई थी . . .

श्री शंकर सिंह—

फर्स्ट पार्ट बड़ा गम्भीर है।

[१२ बज कर २५ मिनट]

भूतपूर्व विधान सभा सदस्य श्री छेदा सिंह चौहान की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २०-२-१९८१ को सायं ६ बजे जब श्री छेदा सिंह चौहान, भूतपूर्व विधायक अपने स्कूटर से एक शादी में सम्मिलित होने जा रहे थे, तो बनी हरौनी रोड पर नगवां पुल के पास एक हरे रंग की कार ने टक्कर मारकर स्कूटर को गिरा दिया और गोली मारकर श्री छेदा सिंह चौहान की हत्या कर दी। थाना बंथरा पर उसी दिन सायं सवा सात बजे घटना की रिपोर्ट मृतक के पुत्र श्री राम गोपाल सिंह से प्राप्त होने पर धारा ३०२ भारतीय दण्ड विधान का मुकदमा अपराध संख्या ७२ दर्ज हुआ और तत्काल ही घटनास्थल पर पुलिस अधिकारीगण पहुंचे। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि घटना के बाद एक हरे रंग की कार मोहान (जनपद उन्नाव) की ओर भागी। इस संबंध में सन्देह होने पर कार संख्या यू० पी० यू०—७९७६ हिरासत में ली गयी और डायरेक्टर फोरेन्सिक साइन्स लेबोरेटरी द्वारा स्कूटर पर टक्कर के दौरान लगे हुए कार के पेन्ट के रंग एवं संदिग्ध कार के पेन्ट की तुलना करायी गयी जो भिन्न-भिन्न पाये गये। इस कार पर कुछ लाल वस्तु के निशान भी लगे थे किन्तु रासायनिक परीक्षण से वे खून के निशान नहीं पाये गये। दिनांक २१-२-८१ को इस मामले की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी है।

दिनांक २०-२-१९८१ को पूर्वान्ह थानाध्यक्ष, बंथरा एक अन्य अभियोग में शहादत हेतु लखनऊ आये थे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण क्षेत्र से दिनांक २१-२-१९८१ से २ दिन का अवकाश भी लिया था और वे उसी दिन सायंकाल रेल द्वारा (त्रिवेणी एक्सप्रेस से) इलाहाबाद चले गये थे।

रिपोर्ट लिखने में कोई आनाकानी किये जाने तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के आदेश से रिपोर्ट लिखने में विलम्ब किये जाने की बात सही नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, बड़ा गम्भीर प्रश्न है। इस आदरणीय सदन के एक भूतपूर्व सदस्य की हत्या का मामला है। एक प्रश्न की अनुमति दे दें।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर . .

(अनुमति दिये जाने पर)

मैं जानना चाहता हूं मान्यवर, कि इस सन्दर्भ में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गयी थी उस में क्या तथ्य हैं, आदरणीय सदन को बता दें ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, एफ० आई० आर० मेरे पास मौजूद है उसके अनुसार श्री छेदा सिंह स्कूटर से पांच बजे अपरान्ह बंथरा जा रहे थे और वे अपनी निजी काम से लखनऊ आये थे . . .

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

आप सदन को अज्ञानता में न रखें। इसमें गम्भीर बातें हैं। आप पूरी रिपोर्ट पढ़ें। आप तो दूसरा पैरा पढ़ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, मुझे एफ० आई० आर० पढ़ने में कोई एतराज नहीं है। वह इस प्रकार है—श्रीमान थानाध्यक्ष, थाना बंथरा, जनपद लखनऊ, महोदय, मेरे पिता गत १९७७ के चुनाव में सरोजनी नगर क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए थे जिसमें उन्होंने राजा विजय कुमार त्रिपाठी को पराजित किया था। जिला सहकारी बैंक लखनऊ के चुनाव में श्री राजा विजय कुमार त्रिपाठी के गुट को पराजित मेरे पिता के कारण होना पड़ा। मेरे पिता की प्रतिद्वन्द्विता के कारण राजा साहब और मेरे पिता में काफी रंजिस थी। मेरे पिता के कारण राजा साहब के भाई सुरेन्द्र कुमार बाजपेयी को जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद से हटना पड़ा। चूंकि श्री सुरेन्द्र कुमार बाजपेयी राजा साहब के सगे भाई हैं। इससे काफी दुश्मनी बढ़ गयी थी। गत वर्ष १९८० के चुनाव में भी मेरे पिता राजा विजय कुमार त्रिपाठी के विरुद्ध लड़े थे जिससे वे मेरे पिता से बहुत बुरा मानने लगे और अपना रास्ता साफ करने में सदैव तत्पर रहे। इसी कारण हमारे पिता सदैव सतर्क रहते थे। (विरोध पक्ष से शेम-शेम की आवाज) । आज दिनांक २०-२-८१ को प्रातः १० बजे मेरे पिता लखनऊ गये थे और वहां से वापिस आकर सायं ५ बजे बंथरा में प्रधान श्री बृजभान सिंह के यहां रुके। उसके बाद उम्मेद खेड़ा निवासी श्री वासुदेव सिंह के लड़के की बारात में हरौनी उमेश सिंह के यहां स्कूटर से जा रहे थे। करीब ६ बजे शाम नगवां पुल के आगे पुलिया के पास एक हरे रंग की कार आई और स्कूटर में टक्कर मार कर गिरा दिया।

कार से दो व्यक्ति उतर कर ताबड़तोड़ गलियां चला दी जिससे मेरे पिता की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। कार पर ड्राइवर के अलावा यही दो व्यक्ति थे। बारात जाते हुए मैं व शैलेन्द्र सिंह, पुत्र बम्हा सिंह दादूपुर, महादेव सिंह, पुत्र सहदेव सिंह, गढ़ी चुनौटी, शिव कुमार सिंह पुत्र दिगपाल सिंह, सहाय शहजादी तथा अन्य बहुत से रास्ते पर चलने वाले तथा आसपास खेतों पर काम करने वालों ने ललकारा। मुल्जिमान मेरे पिता को छोड़कर कार में बैठकर हरौनी की ओर भाग गये। गवाहन ने मुल्जिमान को भली प्रकार से देखा है। सामने आने पर पहचान लेंगे। मुझे विश्वास है कि मेरे पिता की हत्या राजा विजय कुमार त्रिपाठी व उनके सगे भाई सुरेन्द्र कुमार बाजपेयी की साजिश से हुई है . . (विरोध पक्ष से शेम-शेम की आवाजें)। मेरे पिता की लाश मौके पर पड़ी है, रिपोर्ट भेज रहा हूं लिखकर कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी राम गोपाल सिंह।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एफ० आई० आर० पढ़ी गयी मैं जानना चाहता हूं कि इसमें इस आदरणीय सदन के एक माननीय सदस्य और उनके भाई को नामित किया गया है और मौके पर कार भी पकड़ी गयी है जो कि पुलिस कस्टडी में ली गयी है। तो जो दो व्यक्ति नामित किये गये हैं उनको गिरफ्तार न होने के क्या कारण हैं। दूसरी बात यह है कि जो सी० आई० डी० द्वारा जांच की बात कही गयी है उसके बारे में यह बता दें कि इस इन्क्वायरी की मांग किसने की थी ? क्या यह सही नहीं है कि तथ्यों को छिपाने के लिये और उसको दूसरा रूप देने के लिये सी० आई० डी० इन्क्वायरी की घोषणा कर दी गयी हो ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, मैंने रिपोर्ट पढ़ी। उसमें साजिश की कोई बात नहीं है। अभियुक्तों को नामजद नहीं किया गया है। दूसरे सी० आई० डी० की जांच इसलिए की जाती है ताकि निष्पक्ष और प्रभावशाली जांच हो जाय और तथ्य सामने आ जायं। मामले की गंभीरता को देखते हुए ही हमने ऐसा किया है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं सूचना दे दूं कि जिन एक माननीय सदस्य का नाम इसमें आया है उन्होंने भी मुख्य मंत्री जी को २४ फरवरी को लिखा है कि मैं शासन से जोरदार अनुरोध करता हूं इस पर इस मामले पर कड़ाई से कार्यवाही की जाय और जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर २/३ सालों से आरोप लगाये जाते हैं, उनकी रोकथाम की जाय।

*श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जो कार थी उसका पीछा एस० एस० पी० महेन्द्र त्रिपाठी ने स्वयं किया था और स्वयं उसे पकड़ा था जो कार लाल रंग की बताई गयी है और इसमें यह भी लिख दिया कि इसमें व्यक्ति का खून नहीं था। तो उसके साथ यह क्यों नहीं रिपोर्ट आई कि लाल रंग के खून के निशान किस चीज के थे और जब श्री महेन्द्र त्रिपाठी ने स्वयं पकड़ा तो फिर सी० आई० डी० को क्यों दे दिया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ब्रह्म दत्त—

पुलिस अधीक्षक ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें यह नहीं कहा है कि उन्होंने स्वयं कार को पकड़ा। उसमें कहा गया है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र तथा क्षेत्राधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गये। पूछताछ के दौरान यह बताया गया कि हरे रंग की कार घटना के बाद हरौनी की ओर तेजी से भगाकर ले जाई गयी है। इस हरे रंग की कार की खोज कराई गयी तो यह पता चला कि आलमनगर तक एक हरे रंग की कार घटना के उपरान्त तेजी से आती हुई लोगों ने देखी है लेकिन कोई उल्लेखनीय बात कार के संबंध में नहीं मालूम हो सकी। पूछताछ करने पर यह बात प्रकाश में आई कि बाबली पुलिस चौकी के निकट श्री प्रशांत वीर पांडे पुत्र श्री सदानन्द पांडे रहते हैं, उनकी एक हरी कार अवश्य है। कार के बारे में पूछताछ की गयी तो यह बताया गया कि कार मरम्मत हेतु गंगा आटोमोबाइल्स में भेजी गयी है। तत्पश्चात् कार को देखा गया तो उस पर बांई ओर खरोंच के निशान तथा आगे की खिड़की पर बाहर की ओर खून जैसी लाल लकीर पायी गयी जिससे यह सन्देह उत्पन्न हुआ कि सम्भवतया यही कार उक्त घटना को करने में अभियुक्तों द्वारा प्रयोग में लायी गयी है। वैज्ञानिक परीक्षण करने के उपरान्त यह बात प्रकाश में आई कि कार में जो खून जैसी लाल रंग की लकीर बांई ओर अगली खिड़की पर पायी गयी थी, वह खून की नहीं थी और जो हरा रंग स्कूटर पर कथित कार के धक्का मारने से पाया गया वह इस कार नं० यू० पी० यू० ७९७६ के रंग से भिन्न था।

श्री विजय सिंह राना—

मैं जानना चाहता हूं कि यह यू० पी० यू० ७९७६ किस शहर से अनुबंधित है।

श्री ब्रह्म दत्त—

मालिक का नाम तो मैंने बता दिया और नम्बर यू० पी० यू० ७९७६ किस शहर का नम्बर है यह मुझे मालूम नहीं है।

श्री विजय सिंह राना—

मेरे प्रश्न का उत्तर तो रह गया।

श्री अध्यक्ष—

बता दिया है कि किस शहर की है, उन्हें मालूम नहीं है।

(व्यवधान) जब कार का नम्बर बता दिया है तो यह आप मालूम कर सकते हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

इतना जघन्य अपराध किस तरह से बूश एसाइड कर रहे हैं। इससे इस बात का सबूत मिल रहा है . . .

श्री अध्यक्ष—

सबूत नहीं हैं। आप प्रश्न करें।

श्री जनार्दन प्रसाद झंझा—

मान्यवर, शासन की नीति स्पष्ट हो गयी है। एफ० आई० आर० में ३०२ नहीं तो कंसिपरेसी के संबंध में कुछ लोगों के नाम दिये हैं। मेरी निश्चित जानकारी है कि यह कार उन्हीं लोगों की है या उनके संबंधियों की है जिनके नाम की चर्चा एफ० आई० आर० में दी हुई है। मैं नहीं जानता कि इतनी जल्दी रंग की एनेलिसिस भी हो गयी और यह तय हो गया कि यह खून नहीं है, रंग है। तो इतनी तेजी से सब काम चल रहे हैं इससे शक पैदा हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो नाम एफ० आई० आर० में आये हुए हैं उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही, जो कि आई० पी० सी० में दिये हुए हैं, क्यों नहीं की गयी ?

दूसरी बात यह कि उस कार को किसने पकड़ा और कहां से पकड़ा इसका उत्तर दे दें।

श्री ब्रह्म दत्त—

शासन की नीति तो यह है कि किसी की भी हत्या हो उस पर तत्परता से जांच हो और दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाय। इसी उद्देश्य से यह मामला अपराध अनुसंधान शाखा को दिया गया है। जहां तक कार के बारे में पकड़े जाने का संबंध है वह आलमनगर के पास से पकड़ी गयी। मैंने उस कार के मालिक का नाम बता दिया है और यह भी बता दिया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (व्यवधान) . . .

श्री अध्यक्ष—

उत्तर पूरा नहीं होगा तो बीच में प्रश्न करने से क्या लाभ ?

(व्यवधान)

अनेक सदस्य—

मान्यवर, मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया सब बैठ जायं ?

श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, यू० पी० यू० आगरा शहर का नम्बर है। मैं जानना चाहता हूं कि कार का माडल कौन सा था और कार की नम्बर प्लेट सही है या गलत ?

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि कार किसने और कहां पर बरामद की ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

ओझा जी, आप बैठ जायं। और अन्य सदस्य भी बैठ जायं। अभी एक प्रश्न पूछा गया, उसका उत्तर आया नहीं और दूसरा प्रश्न पूछ लिया गया तो अगर आप कहें तो आज प्रश्न ही प्रश्न पूछ लें और उत्तर के लिए दूसरा दिन निर्धारित कर दूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि २ १/२ बजे रात में उस कार को किसने बरामद किया और कहां पर और किस तरीके से बरामद किया ? वह कार किस व्यक्ति की है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

स्थिति यह है कि घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण क्षेत्र) तथा क्षेत्राधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गये। पूछताछ के दौरान यह बताया गया कि हरे रंग की कार घटना के बाद हरौनी की ओर तेजी से भगाकर ले जायी गयी है। इस हरे रंग की कार की खोज करायी गयी तो यह पता चला कि आलमनगर एक हरे रंग की कार घटना के उपरान्त तेजी से आती हुई लोगों ने अवश्य देखी है लेकिन कोई उल्लेखनीय बात कार के सम्बन्ध में नहीं मालूम हो सकी। पूछताछ करने पर यह बात प्रकाश में आयी कि बावली पुलिस चौकी के निकट श्री प्रशान्त बीर पांडे पुत्र श्री सदानन्द पांडे रहते हैं, उनकी एक हरी कार अवश्य है। कार के बारे में खोज करायी गयी तो पता चला कि कार मरम्मत हेतु . . . .

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, किसने खोज करायी ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें ?

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, एफ० आई० आर० में स्पष्ट आरोप है कि कांग्रेस (आई) के विधायक राजा विजय कुमार और उनके सगे भाई का इसमें हाथ है और आरोप यह भी है कि इस इलाके

में राजनतिक प्रतिद्वन्द्विता के कारण १२ हत्यायें हुई हैं, तो जब उस इलाके में हुई हत्या के बारे में एक स्पष्ट आरोप है सत्ताधारी विधायक के खिलाफ तो मुकामी पुलिस ने क्या उस अभियुक्त से जिस पर अभियोग लगाया है, कोई पूछताछ की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, सारे मामले को अपराध अनुसंधान शाखा को दिया गया है और जो भी जरूरी कार्यवाही होगी सी० आई० डी० करेगी ।

*श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, अभी यह सदन में देखा गया और मान्यवर, आपने भी देखा कि माननीय मंत्री जी को जब रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा गया तो पहले तो माननीय मंत्री जी रिपोर्ट को छिपा रहे थे, दूसरा पैरा पढ़ रहे थे । मान्यवर, यह बिलकुल स्पष्ट है कि यह सरकार अभियुक्त की मदद कर रही है और मदद करेगी । मान्यवर, इसलिए सी० आई० डी० द्वारा निष्पक्ष जांच होने की सम्भावना नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह इसकी जांच सी० बी० आई० से कराने के लिए तैयार हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

*श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, जो रिपोर्ट है, एफ० आई० आर० पढ़ी गयी, उस रिपोर्ट के अनुसार आपको भी ज्ञान होगा, हमें माननीय मंत्री जी एक बात बता दें, आई० पी० सी० में जो धारा १२० है, जो कांस्पेरेसी के लिए होती है, इसमें ३०२ में दर्ज हुई है ? यदि नहीं, तो यह धारा १२० क्यों नहीं लगायी गयी है, यह बता दें ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, सारा मामला सी० आई० डी० को सौंप दिया गया है, उसमें सभी तथ्य आ जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन, माननीय मंत्री जी जान-बूझकर यह छिपा रहे हैं । इसके विरोध में मैं वाक आउट कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

(श्री रियासत हुसैन अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी तथ्य को छिपा रहे हैं। तथ्य के छिपाने के आरोप में हम सदन का त्याग कर रहे हैं।

(श्री राम आसरे वर्मा सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मित्रसेन—

मैं भी सदन त्याग कर रहा हूं।

(व्यवधान)

(श्री मित्रसेन अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री खैरुल बसर—

पागलों की सरकार मुर्दाबाद।

(व्यवधान)

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, मेरा प्रश्न नहीं हो पाया था, बीच में व्यवधान हो गया। मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि सी० आई० डी० के आदेश तो शासन ने बाद को किये, एफ० आई० आर० जब दर्ज हुई, उसका जो मैटर था, उसके मुताबिक थाने में धारा १२० क्यों नहीं लगायी गयी? इसका उत्तर मैं जानना चाहता हूं। वह तो सी० आई० डी० का आदेश बाद में हुआ। अगर १२० नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि आप कांस्पेरेसी स्वीकार ही नहीं करते हैं।

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, रिपोर्ट में यह लिखा था कि "मुझे विश्वास है कि मेरे पिता की हत्या उनकी साजिश से हुई थी।"

(व्यवधान)

श्री खैरुल बसर—

मान्यवर, इस तरह से लीपा-पोती नहीं होनी चाहिए। कातिल यहां पर बैठा हुआ है।

(व्यवधान)

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

किसी को चरित्र हत्या करने का भी आई० पी० सी० में कोई प्राविधान है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप सब बैठ जायं। मैंने इस पर वक्तव्य देने के लिए कहा था और यह भी कहा था कि जैसे वक्तव्य होगा, उस पर भी कुछ प्रश्न करा देंगे। इसमें बहुत से प्रश्न हुए और ऐसे भी प्रश्न कर दिये गये कि "कातिल यहां पर बैठा है।"

(व्यवधान)

एक सदस्य—

यह सही है।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया बैठ जायं।

इस चीज को गंभीरता से देखना चाहिए। एक वक्तव्य पर जितने प्रश्न सम्भव हो सकते थे,कराये। मैं यह मानता हूं कि निश्चित रूप से ऐसे अपराधों की सही रूप से जांच होनी चाहिए। लेकिन केवल इस तरह से उत्तेजना से कह देना कि कातिल यही बैठा है, ऐसे शब्द यहां शोभा नहीं देते और नहीं कहना चाहिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। केवल जो तथ्य प्रस्तुत किये हैं, उस पर कहना चाहता हूं। बड़ा गम्भीर मामला यह है कि एक एफ० आई० आर० लिखाई जाती है। उसका उत्तर दिया जाता है कार के बारे में। कार कैसे आ गयी? आन्सर सुना दिया गया। दो बातें जानना चाहता हूं। कार पुलिस की कस्टडी में कैसे आयी? कौन लाया? दूसरी बात है कि सी० आई० डी० की इन्क्वायरी की मांग किसने की? क्यों आ गयी? मेरी सूचना को सही मानकर कि सी० आई० डी० की मांग उनके परिवार वाले नहीं करते? मैं कहना चाहता हूं कि जो एफ० आई० आर० लिखाई है, उसमें जो कानून के तहत बनता है उसमें पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की कार्यवाही क्यों नहीं की जाती? सी० आई० डी० से इन्क्वायरी कराने के लिए किसने कहा है?

मान्यवर, मुझे मालूम हुआ है कि इसी तरह से एक संसद सदस्य का भी, उनका भी मर्डर राजा विजय कुमार त्रिपाठी कराना चाहते हैं। जब ऐसे आरोप उन माननीय सदस्य, के खिलाफ आ रहे हैं, तो इन सभी मामलों की जांच पुलिस के द्वारा न करने का क्या कारण है?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैं निवेदन कर चुका हूं, जो इस तरह के मामले होते हैं, उनको गम्भीरता से लेते हैं। उनको अपराध अनुसंधान शाखा को दिया जाता है। सी० आई० डी० से जांच करायें जाने की राय ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दिया था, जिसको शासन ने स्वीकार कर लिया है।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, यह साजिश है। १२ पोलिटिकल मर्डर कराये हैं।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, थाना इन्चार्ज, बथरा जो हैं, उन्होंने २१ और २२ की छुट्टी ली थी। २० को यह घटना होती है। २० तारीख को ही रवाना हो जाते हैं। आप कहते हैं कि पूर्वान्ह में रवाना हो गये। तो क्या इस बात से यह चीज नहीं स्पष्ट हो जाती कि मामला थानाध्यक्ष की साजिश से था और उसकी पेशबंदी में दो दिनों की छुट्टी ले ली और पूर्वान्ह से ही रवाना हो गये ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, थानाध्यक्ष, बंथरा २० फरवरी को यहां जुडीशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में शहादत देने आये थे और ४-४० बजे त्रिवेनी एक्सप्रेस से इलाहाबाद चले गये।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इस मर्डर के मामले को उत्तर प्रदेश शासन दबाना चाहता है और इसीलिये सी० आई० डी० को मामला देकर इसको रफा-दफा करा देना चाहता है और एक पार्टी के वरिष्ठ आदमी को बचाने की कोशिश में है। लिहाजा मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री मोहन सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह जाहिर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीति अपने पार्टी के आदमी को संरक्षण देने की हो रही है। इसके खिलाफ मैं अपनी पार्टी सहित वाक आउट करता हूं (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)।

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, किसी को भी संरक्षण देने की नीति शासन की नहीं है। इस मामले में पूरी कार्यवाही की जायेगी।

(श्री राम स्वरूप वर्मा भी सदन से उठ कर बाहर चले गये)।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, यह प्रशासन लोगों की जान माल की रक्षा करने में खासतौर से जो विरोधी दल के राजनैतिक लोग हैं—उनकी—असमर्थ है और आये दिन प्रशासन के द्वारा राजनैतिक हत्यायें करायी जा रही हैं। जब निष्पक्ष जांच के लिए कहा जाता है, तो सही तथ्य सामने नहीं आते। इसके विरोध में मैं अपने दल के साथ वाक आउट करता हूं।

(श्री प्रदीप कुमार यादव अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)।

उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) (संशोधन) विधेयक, १९८१ †

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन (संशोधन) विधेयक, १९८१ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) (संशोधन) विधेयक, १९८१ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) (संशोधन) विधेयक, १९८१ को पुरःस्थापित करता हूं ।

गांव जमई, थाना सिरसागंज, जिला मैनपुरी में डाकुओं द्वारा कतिपय व्यक्तियों की निर्मम हत्या के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

[१२ बजकर ५० मिनट] ।

श्री अध्यक्ष—

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ७ सूचनायें प्राप्त हुई थीं और ७ की सातों सूचनायें श्री मोती लाल देहलवी, राजेन्द्र कुमार गुप्त, मित्रसेन यादव, जनार्दन प्रसाद, दलगंजन सिंह आदि को एक विषय को लेकर हैं । यह सभी सूचनायें २३/२४ फरवरी, १९८१ की रात्रि में गांव जमई, थाना सिरसागंज, जिला मैनपुरी में डाकुओं के एक दल द्वारा दस लोगों की निर्मम हत्या एवं कई अन्य लोगों को गम्भीर रूप से घायल कर देने से उत्पन्न आतंक एवं असुरक्षा के संबंध में हैं । इसी के सम्बन्ध में नियम ५१ में भी सूचनायें आई हैं । नियम ५१ में मैंने इस पर वक्तव्य स्वीकृत किया है और इन सभी को अस्वीकार करता हूं ।

(व्यवधान)

---

† दिनांक २७ फरवरी, १९८१ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय अध्यक्ष जी बड़े खेद का विषय है कि इस प्रदेश में नरसंहार की जो श्रृंखला शुरू हुई है उसका अन्त होगा या नहीं होगा। आज ठीक १० दिन पहले २२ लोगों का कत्ल हुआ उसके १० दिन बाद १० लोगों का कत्ल हो गया। इस बीच और जो छुटपुट घटनायें हुई होंगी उसका कोई हिसाब नहीं। यह इतना अहम सवाल है कि आज लोगों का जीवन इस प्रदेश में असुरक्षित हो गया है। ऐसा कभी भी ३०-३५ वर्षों के इतिहास में नरसंहार नहीं हुआ था। इस प्रकार मैं चाहूंगा कि व्यापक पैमाने पर यह परम्परा खत्म हो इस आदरणीय सदन का कार्य स्थगित करके पूरे दिन इस पर बहस हो कि इसका कैसे अन्त होगा या नहीं होगा। इसलिए मैंने इस कामरोको प्रस्ताव को दिया है। यह मान्यवर शर्म, लज्जा और खेद की बात है कि ३ परिवार साफ हो गया। यहां न माननीय मुख्य मंत्री जी हैं न गृह मंत्री जी हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह प्रदेश कहां जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने भाषण सुनने के लिए नहीं बुलाया था आप ग्राह्यता पर कहिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, यह भाषण नहीं है यह मन की पीड़ा है। ११ करोड़ लोगों की वेदना है। भाषण तो मैं अपने क्षेत्र में करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि सदन की कार्यवाही स्थगित की जाय और इस पर बहस कराई जाय तथा माननीय मुख्यमंत्री जी जहां भी हो सदन में तुरन्त आने का निर्देश दिया जाय।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस घटना के संबंध में २-३ बातें कहना चाहता हूं। मैंने कार्यस्थगन के प्रस्ताव की सूचना इसलिए दी थी। अभी थोड़े दिन पहले बेहमई ऐसा काण्ड हुआ वहां का खून सूख भी नहीं पाया था कि मैनपुरी में फिर उसकी पुनरावृत्ति हो गई। उस ओर से माननीय मुख्य मंत्री द्वारा इस सदन में बड़ी घोषणायें की गई कि हमने दस्यु दलन, डाकू उन्मूलन का प्रयास किया है और एक आई० जी० को निकाल दिया लेकिन इसके बाद तत्काल फिर दूसरी घटना हो गयी। तो समस्या यह है कि आज जो प्रदेश की जनता में अविश्वास फिर पैदा हो गया है कि सरकार हमारी जान-माल की रक्षा करने में असमर्थ है, अगर इसके पहले बेहमई का काण्ड न हुआ होता, २२ लोग मारे न गये होते। मान्यवर, घटना से दो दिन पहले उसी गांव के लोग थाने गये और कहते हैं कि हम को फिर से पत्र मिला है और जानमाल का खतरा उत्पन्न हो गया है। पुलिस अधिकारी हंस कर उसे टाल देते हैं और दो दिन बाद ही यह घटना हो जाती है। एक ही परिवार के २० आदमी मार दिये जाते हैं और मान्यवर, दस-पांच बच्चे, विधवायें, उनका क्या अपराध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था। सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है इसलिए आवश्यक है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव पर हम चर्चा करें और मुख्य मंत्री के पास त्याग पत्र के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है। इसी आधार पर हम इसकी ग्राह्यता पर बल देते हैं।

*श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, बेहमई में अभी थोड़े दिन पहले २० लोगों की नृसंश हत्या हुई और १५ दिन भी पूरे नहीं हुए यह दूसरी घटना हो गई। जघन्य अपराध हो गया। यह उससे ज्यादा गंभीर हो गया है क्योंकि इस गांव में एक नवयुवती जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई थी, ससुराल भी जाने नहीं पायी, उसके साथ डाकुओं ने पहले बलात्कार किया और बाद में उसको गोली से मार दिया। तो मान्यवर इस पर विचार करना, काम रोकना इसलिए जरूरी हो गया है कि आखिर यह सरकार कितने लोगों को चबायेगी कब इस्तीफा देंगे ? यह सीधा आरोप है कि यह सरकार लोगों के जान माल की रक्षा करने में पूर्णतया असमर्थ, अक्षम है, फेल हो गई है, इनको हया शर्म भी नहीं रह गया है। अगर जरा भी हया हो तो इस दूसरी घटना के बाद माननीय मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए।

*श्री दल गंजन सिंह—

मान्यवर, जो काण्ड हुआ है उससे मैं इस सरकार से इस्तीफे की मांग करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति को संविधान में जीने का अधिकार है। यदि इसकी रक्षा नहीं की जायेगी तो जो जिलों में हो रहा है वह एक दिन इस असेम्बली में भी वह डाकू करेंगे। मैं मांग करता हूं कि सारे काम को रोक कर उस पर पहले चर्चा होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मेरठ में ४ आदमियों की, ७ आदमियों की हत्या कर दी गई है। मेरा निवेदन है कि सारे काम को रोक कर इस विषय पर पहले चर्चा करें और अगर सरकार व्यवस्था करने में सफल नहीं होती तो इस को शासन करने का कोई अधिकार नहीं है।

*श्री प्रदीप कुमार यादव—

जहां तक मान्यवर, ग्राह्यता का प्रश्न है, इस संबंध में दो बातों की तरफ ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात घटना हाल की होनी चाहिए और लोक महत्व की होनी चाहिए। यह जो काण्ड २३/२४ की दरम्यान रात को हुआ है, यह बहुत ही दुखद घटना है। इसके पूर्व भी अभी १४ तारीख को बेहमई में भी एक घटना हो चुकी है, यह उसकी पुनरावृत्ति है। १० लोगों का परिवार साफ कर दिया, इससे गांव के लोग आतंकित हैं। इस सरकार के रहते हुए इस प्रशासन के रहते हुए किसी की जानमाल की हिफाजत होना सम्भव नहीं है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री से इस्तीफे की मांग करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री मिब्सन—

मान्यवर, यह मसला जो सामने है, बड़ा गम्भीर मसला है और प्रदेश की १० करोड़ जनता के लिए, प्रदेश की सरकार और प्रदेश के पुलिस प्रशासन को चुनौती है। अभी १० दिन भी नहीं बीते, फूलनदेवी ने अपने पति के बदले में २२ आदमियों को कत्ल किया और दूरबीन सिंह ने अपनी पत्नी के बदले में १० व्यक्तियों का कत्ल किया। ऐसी घटनायें जो आतंकपूर्ण हैं, पूरे प्रदेश को आतंकित कर रही हैं। यह जो हमारी वर्तमान सरकार की लाडली पुलिस है, जिसकी यह रोज टोपी बदल रहे हैं, वह इसमें कुछ नहीं कर पा रही है। सरकार इन काण्डों को रोकने में असफल है, यह पुलिस भी असफल है। ऐसे गम्भीर प्रश्नों पर सदन का कार्य स्थगित करके जन-जीवन की सुरक्षा के विषय पर चर्चा आवश्यक है।

*श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, न तो मैं माननीय मुख्य मंत्री के इस्तेफे की मांग करूंगा और न और कुछ, मैं सिर्फ इस बात के ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ६ महीने पहले उसी गांव के अन्दर डाकू दूरबीन सिंह की जो प्रेमिका थी रेनू बाला, उसका कत्ल किया गया, उसका बदला लेने के लिए दूरबीन सिंह ने यह कत्ल किये। इस प्रकार यह सारा क्षेत्र प्रेमी और प्रेमिकाओं के बदले और इन्तकाम लेने का सेण्टर बन गया है। और दूसरे, ६ महीने पहले यह वारदात हुई थी १० बजे रात को। गांव के लोग थाने में गये लेकिन पुलिस नहीं आयी। तो माननीय रिजवी साहब और मुख्यमंत्री जी, आपकी पुलिस तो आयी नहीं। पुराने जमाने में जब पुलिस और प्रशासन नाकारा हो जाते थे तो राजा लोग स्वयं पांचों हथियार लेकर जाते थे। तो मेरा कहना है कि सारे मिनिस्टर्स मुख्यमंत्री सहित पांचों हथियार लेकर यहां जायं और उन डाकुओं को चैलेंज करें। आपकी पुलिस और आई० जी० डी० आई० जी० के बस का यह मसला नहीं है।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, अभी विगत दिनों में मैनपुरी में बेहमई में २२ परिवार के लोगों की हत्या कर दी गयी। पुनः मैनपुरी में हुकम सिंह के परिवार में १० लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। यह सरकार कहती है कि हम सुरक्षा व्यवस्था की गारण्टी लेते हैं। मेरा यह कहना है कि यह सरकार प्रशासन चलाने में अक्षम है।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मैं, मान्यवर, ग्राह्यता पर व्यवस्था चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—

इस पर कई लोग बोल चुके हैं। यह कोई चर्चा का विषय नहीं है। आप कृपया बैठ जायं।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मान्यवर, मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, आपने तो प्रस्ताव भी नहीं दिया है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर।)

आप सभी लोग बैठ जायं। यह नियम ५६ में सातों सूचनायें आयीं थीं फरवरी २३/२४ के कांड के संबंध में। इस संबंध में नियम ५१ में एक प्रस्ताव आया जिसको मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया है। इस पर आपने अपने विचार व्यक्त किये हैं। निसंदेह यह एक ऐसी घटना है जिस पर सबको दुख है और चर्चा करना चाहिए। लेकिन मैं इस संबंध में आपसे निवेदन करूंगा कि आपका यह बजट सत्र चल रहा है और इसमें २३-२४ मार्च को गृह एवं सामान्य प्रशासन से संबंधित अनुदानों पर बहस होगी। आप विशेष तौर से शासन की असफलता की बात कहना चाहते हैं तो उस समय भी आप कह सकते हैं। मैंने नियम ५१ में वक्तव्य के लिए भी स्वीकार किया है। उसमें स्पष्टीकरण का अवसर दिया जायगा। मैं आपसे यह भी निवेदन कर रहा हूं कि उस समय कोई ऐसी बात आयेगी या जिससे आप संतुष्ट न हों, सदन संतुष्ट न हो और हम संतुष्ट न हों तो उस वक्त जो स्थिति पैदा होगी उसके अनुसार निर्णय लिया जायगा।

श्री जसवंत सिंह विष्ट—

मान्यवर, तब तक पता नहीं कितने कत्ल हो जायेंगे। हम भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। कत्लेआम का यह जो सिलसिला चल रहा है उस पर आपको गम्भीरता से सोचना चाहिए।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, नियमावली में नियम ५६ में कार्य स्थगन प्रस्ताव आते हैं और अभी तक जबसे विधान सभा चल रही है तब से कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ है। सब बातें अविलंबनीय लोक महत्व की हैं, पहले चर्चा हो चुकी है कि नहीं, इसकी पूर्ति हो जाती है प्रश्न केवल लोक महत्व का आता है। मान्यवर, आप निर्णय कर दें कि जब तक ५०० या एक हजार आदमी नहीं मारे जायेंगे तब तक लोक महत्व नहीं माना जायगा। तो हम प्रस्ताव न दिया करें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं। आप विधायक भी हैं और भूतपूर्व मंत्री भी हैं। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यह कार्य मैं तो नहीं कर सकता कि मैं निर्देश दूं कि इतने आदमी मारे जायं, आप मारें या शासन मारे तब मैं स्वीकार करूंगा। मैं तो निर्देश दे सकता हूं कि रक्षा कीजिए। शासन अगर सक्षम नहीं हो पा रहा है तो आप भी रक्षा करने में सहायता दीजिए।

श्री जसवंत सिंह विष्ट—

मान्यवर, शासन रक्षा करने में असमर्थ है।

१९८१-८२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४६—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग तथा अनुदान संख्या ८५ हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग—पूंजीगत परिव्यय

[समय १ बजकर ६ मिनट]

*हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री छेदा लाल चौधरी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४६—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा, स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५२,३९,४७,००० रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८५—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५५,००,००० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, यह हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण का बजट है । इस पर क्या हमदर्दी है इससे ही पता चल जायगा ।

मान्यवर, १९७१ की जनसंख्या के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या एक करोड़ ८५ लाख थी जो हमारे प्रदेश की कुल जनसंख्या का २१ प्रतिशत है । समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जातियों जनजातियों आदि के लिए मुख्यतः ३ प्रकार की योजनाएं बनाता है, शैक्षिक उत्थान की योजना, आर्थिक उत्थान की योजना और सामाजिक उत्थान की योजना । वर्ष १९८१-८२ के लिए इस विभाग का कुल बजट ५७ करोड़ १० लाख १८ हजार रु० है जिसमें ५६ करोड़ ४४ लाख १८ हजार अनुदान संख्या ४६ के अन्तर्गत और ४६ लाख रु० अनुदान संख्या ८५ के अन्तर्गत है । शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, जनजातियों व विमुक्त जातियों के लिए छात्रवृत्ति, मेधावी

(इस समय १ बजकर ८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

बच्चों के लिए प्रोत्साहन के लिए प्राइमरी स्कूलों में कक्षा ४ व ५ में ५ रुपए छात्रवृत्ति प्रतिमास प्रत्येक बच्चों के हिसाब से देने की योजना है । दसवीं कक्षा में प्रोत्साहन के लिये ४०० रुपया पुरस्कार स्वरूप रखा है । पहाड़ी क्षेत्रों में यह रकम गरम वस्त्रों के रूप में और मैदानी क्षेत्र में एक साइकिल के रूप में रखा है । प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से गोविन्द बल्लभ पन्त पालिटेक्निक लखनऊ द्वारा तीन प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ, गोरखपुर और नैनीताल में चलाये जा रहे हैं जिसमें ७६ प्रतिशत छात्र अनुसूचित जाति व जनजाति के और १५ प्रति-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शत पिछड़े वर्ग के हैं। इसके लिए आवासीय सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा चिकित्सा, इंजीनियरिंग, टेक्नोलोजी विषयों में अध्ययन करने के लिए छात्रों को पुस्तकीय सहायता, छात्रवृत्ति सहायता और उपकरण आदि के लिए भी सहायता की व्यवस्था की जा रही है। अनुसूचित जाति के लोगों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की जा रही है। आर्थिक उत्थान के लिए विशेषकर कुटीर उद्योग चलाने के लिए महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में अनुसूचित जाति के लिए २७ लाख, अनुसूचित जनजाति के लिए २ लाख और विमुक्त जातियों के लिए भी २ लाख, रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है। कुटीर उद्योगों की स्थापना और प्रोत्साहन के लिए अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का विकेन्द्रीकरण जिला स्तर पर किया जा रहा है। अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), एक प्रबंधक और एक लेखाकार का स्टाफ कर दिया गया है जो राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण आदि दिलाने में लोगों की मदद करेगा। सामाजिक उत्थान में अस्पृश्यता निवारण और हरिजनों का उत्पीड़न दूर करने के लिए काफी व्यवस्था की गई है। इस वर्ष इसके लिए २९ लाख १० हजार रुपए की व्यवस्था की गयी है।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, क्या यह लिखा हुआ भाषण ही पढ़ेंगे।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी नोट्स से सहायता ले रहे हैं।

श्री छेदालाल चौधरी—

१९८१ का वर्ष विकलांगों का वर्ष मनाया जा रहा है लिहाजा विकलांगों की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभी तक उनकी संख्या निश्चित नहीं थी। उसके लिए रेवेन्यू विभाग से मदद ली गयी है कि वह मदद करे ताकि उनकी संख्या का पता चल सके। दूसरे रेवेन्यू विभाग से उनकी आय के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र हासिल करने में बड़ी दिक्कत होती थी। अब इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था कर दी गयी है कि केवल चिकित्सक का ही प्रमाण-पत्र काफी है। हमारे देश व प्रदेश में लाखों करोड़ों लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। शासन के द्वारा यह तय किया गया है कि छठी पंचवर्षीय योजना में उनका स्तर इतना ऊंचा कर दिया जाय कि वे स्वावलम्बी बन जायं और इसके लिए विशेष कम्पोनेन्ट प्लान तैयार किया गया है। हरिजन समाज कल्याण अधिकारी तथा अनुसूचित वित्त विकास निगम का विकेन्द्रीकरण जिले स्तर पर कर दिया गया है और वे देखेंगे कि कुटीर उद्योग तथा धन्धों में उनकी क्या आर्थिक सहायता की जा सकती है? यह इतना बड़ा काम है जिसमें जहां सारे शासन की जिम्मेदारी है वहां शासन के अलावा समाज की भी जिम्मेदारी है और पक्ष तथा विपक्ष के सभी लोगों की भी जिम्मेदारी है। जो सुझाव आप महानुभाव देंगे उन पर हम काम करेंगे। मैं आपकी

[श्री छेदा लाल चौधरी—]

सद्भावना और सहयोग की अपेक्षा करता हूं और इस विभाग में जिस स्तर पर भी आपको कमी दिखाई दे आप मुझे बतलायें मैं ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करने को तैयार रहूंगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने बजट की मांगों को पेश कर रहा हूं। मुझे आशा है कि सम्मानित सदन इन्हें पास करेगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८५—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, माननीय मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें जो ब्यौरा दिया है उससे मुझे ऐसा आभास होता है कि इन पिछड़े हुए तथा सताए हुए लोगों के लिए जो बजट रखा गया है वह वाजिब बजट नहीं है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान खंड ५ (क) उत्तर प्रदेश शासन १९८१-८२—राजस्व व्यय के ब्यौरेवार अनुमान की तरफ ले जाना चाहूंगा। जिसमें यह दिखाया गया है कि पिछले वर्ष जितना व्यय इस पर किया गया उससे कम इस साल किया जा रहा है तो इससे कैसे आभास होगा कि जिनकी संख्या रोज बढ़ती जा रही है उनका कल्याण हो सकेगा। इसके पेज ४९३ के खंड (ख) में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों का कल्याण के लिए जो बजट पिछले साल पुनरीक्षित अनुमान के आधार पर दिया गया वह आयोजनागत में दिया २१ करोड़ १३ लाख ४५ हजार और आयोजनेतर में २३ करोड़ ७३ लाख ४ हजार रुपये और इस साल आयोजनागत में २७ करोड़ ४८ लाख ६५ हजार और आयोजनेतर में २४ करोड़ १४ लाख ३२ हजार रुपये बजट में प्राविधान किया गया है।

मान्यवर, इस प्रकार से इन दोनों को जोड़ने के बाद इस वर्ष कमी आ जाती है तो यह कमी ३,१०,५३,००० रुपये करके कौन सा कल्याण करेंगे। पिछले साल जितना दिया उससे कम देने के बाद भी अपेक्षा करते हैं कि पिछड़े लोगों को ऊंचे ले जा सकें कम्पोनेन्ट स्कीम के अन्तर्गत सहायता देकर उनको ऊंचा ले जाने की बात करते हैं। मान्यवर, इसमें ही नहीं कमी की गयी है बल्कि और भी कमी की गयी है जिसकी तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, महिला कल्याण पर भी आप देखें। पृष्ठ ४९४ जिसमें पिछले वर्ष जो धन था १९८०-८१ में उसके मुकाबले में इस वर्ष के धन में कमी हो गयी है २५,०९,००० रुपये और कल्याण करेंगे महिलाओं का। इसलिए यह कौन सा तरीका है इनके पास उन लोगों के जीवनस्तर में बढ़ोत्तरी करने का।

अब मैं समय की कमी से और आंकड़ों में नहीं जाऊंगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार और भी मामलों में कमी आयी है। जैसे अन्य पिछड़ी जातियों में, शिक्षा के मद में कमी आयी है और जो अनुदान की बात कहा है उसमें भी कमी आयी है, पुनर्विस्थापित लोगों को जो बजट पिछले साल दिया गया था उससे इस साल १८ हजार रुपये कम दिया गया है जिससे मालूम होता है कि अब बाहर से आने वाले लोग नहीं हैं इसलिए १८ हजार रुपये की कमी कर दी गयी है। जबकि शिक्षा के बारे में उद्देश्य है कि इन पिछड़े लोगों को, हरिजनों का यह उद्धार करेंगे और उनके जीवन स्तर शिक्षा के स्तर को यह ऊंचा उठायेंगे और स्कूल चलायेंगे, छात्रों को छात्रवृत्ति और बुक एड देंगे लेकिन जो सहायता है उसमें भी कमी आयी है। समय कम है इसलिए मैं आंकड़े नहीं प्रस्तुत करना चाहता हूं लेकिन मंत्री जी उनको जानते होंगे। पिछड़े वर्ग के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति जो दी जाती थी वह कक्षा १० तक अनिवार्य है लेकिन उस पर भी रोक लगायी। पिछले साल बजट पास कराया जिसमें प्राविधान है ५ करोड़ रुपये का और इस साल ४.५० करोड़ रुपये का बजट पास करा रहे हैं। पिछले साल ५ करोड़ रुपये का उपयोग नहीं किया गया चूंकि इनकी नीति निर्धारित नहीं है और पता नहीं कि इस साल भी यह देंगे कि नहीं लेकिन ४.५० करोड़ रुपया फिर भी पास करा रहे हैं। इसलिए इसमें एक समान नीति निर्धारित करें। मंत्री जी ने कहा मैं अनुसूचित जातियों, जनजातियों के छात्रों को इसमें अनुदान दे रहा हूं जिसके आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। मान्यवर, इस साल जो छात्रवृत्ति के लिए रुपया दे रहे हैं वह पिछले साल के मुकाबले अधिक है लेकिन इस साल छात्रों की संख्या कम हो जायेगी जैसे कि पिछले साल १,९०,००० हरिजनों, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को छात्रवृत्ति दी गयी जबकि इस साल दे रहे हैं १,६०,००० लोगों को। तो मान्यवर, जब छात्रवृत्ति का यह हाल है तो आप इसकी शैक्षिक योग्यता को बढ़ाने की कैसे बात करते हैं? छात्रवृत्ति बांटने के लिए आपने हरिजन अधिकारी बनाये, डिप्टी डाइरेक्टर बनाये हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं माननीय मंत्री जी से कि हरिजनों के नाम पर बड़े लोग जो आपके कधों पर बैठ कर शासन चलाने की साजिश करते हैं मुझे तो शर्म आती है आपको सामने देख कर। आपको मेरे जिले की सूचना मिली होगी कि मेरे जिले में १ लाख रुपये का गबन हुआ लेकिन विनाशकारियों की निगाह गहरी है, वे गरीबों का पैसा हड़प कर जाते हैं। यदि आप ईमानदारी से हरिजन बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए प्रबन्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए हरिजन अधिकारियों को बरखास्त कर दीजिये। हरिजन अधिकारियों को बरखास्त कर देना चाहिए। कई बार इस बारे में शासन को लिखा भी गया परन्तु कुछ नहीं हो रहा है।

इसी तरह से छात्रवृत्तियों में घपला होता है, चाहे जितना आप दीजियेगा, उन सही लोगों तक वह नहीं पहुंचेगा। मैं मानवता के आधार पर कहता हूं इसको

[श्री माता प्रसाद पाण्डेय—]

आप सही धरातल पर देखिये और सोचिये कि आपने अब तक जितनी स्कीमें बनायीं, उनका सही पालन हुआ कि नहीं । आप बहादुरी से उन लोगों तक राहत पहुंचाइये, जिनके बल आप आज शासन में मौजूद हैं, आप उनको ऊंचा उठाने की बात करते हैं जिन्होंने आपकी सरकार बनायी है, आप को यहां तक पहुंचाया है ।

छात्रवृत्तियों के सन्दर्भ में आप जानते हैं कि कितने घपले प्रकाश में आये हैं । मान्यवर, जो हरिजन अधिकारी हैं, वे छात्रवृत्ति देने जाते हैं इसमें तमाम प्रशासन का पैसा खर्च होता है, उसे कम दिखाया गया है । दो लाख के करीब रकम को कम दिखाया गया है । पिछले साल ८४ लाख प्वाइन्ट कुछ थी और इस साल ८२ लाख और कुछ प्वाइन्ट कर दिया । या तो उन हरिजन अधिकारियों को निकाल दिया जाय या फिर उनका भत्ता कम कर दिया जाय । लेकिन मैं फिर भी माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि कुछ तो यह प्रगति लाने की बात करते हैं, चाहे उन्हें निकाल करके करें चाहे भत्ता कम करके करें ।

मान्यवर, अब हरिजन आफिस की बात लें, उनका काम है छात्रवृत्ति को बांटना । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आप कम्पोनेन्ट स्कीम चलाने जा रहे हैं उसमें आप एक ए० डी० एम० को नियुक्त कर रहे हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी दीजियेगा, बाबू दीजियेगा, स्टैनो दीजियेगा फिर हरिजन अधिकारी द्वारा इसे बांटे जाने का क्या औचित्य है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसे स्कूल, कालेज के लिए जो छात्रवृत्ति दी जाती है, इसको भी इसी रूप में बंटवाने की सुचारु रूप से व्यवस्था करें । आप अधिकारियों पर इस तरह नियन्त्रण रखें, उनको कुछ इस प्रकार के अधिकार दें, मैजिस्टीरियल पावर दें जिसके द्वारा वह जांच करें कि जिन मामलों में पैसा मिलता है, अगर उसका सही रूप से वितरण नहीं किया गया है तो उन लोगों को जिन्होंने उनका पैसा हड़पा है या उनके पैसे को हड़प करने की कोशिश की है, तो उनके आदेश से ही वे व्यक्ति गिरफ्तार हो सकें । इस प्रकार की उनको पावर दे दीजिए जिला स्तर पर तभी कुछ कार्य बन सकेगा ।

अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने जीपों की बात कही कि वे १४ जीपें दे रहे हैं विभाग को । यह सब जीपें ए० डी० एम० को चली जायेंगी । तो मैं इस मामले में माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि विभागों को जो पैसा आप बांटने के लिए देते हैं उसमें आप कटौती न करें बल्कि सही बांटने के लिए नियन्त्रण रखें ।

मान्यवर, इलाहाबाद और लखनऊ से तमाम जगहों से रिपोर्ट मिली है, मैं उन अधिकारियों का नाम लेकर नहीं कहता हूं, माननीय मंत्री जी को तो मालूम ही है कि जो धन बांटते हैं, तो कैसे-कैसे उसका दुरुपयोग करते हैं । जब मंत्री जी यहां बैठते हैं तो समझते हैं कि हमने बहुत दे दिया परन्तु जब ये गांव में जाते हैं और वहां की विभीषिका को अपनी आंखों से देखते हैं तो उसे बढ़ा देते हैं । हमारे पास एक रिपोर्ट है महालेखाकार, इलाहाबाद की उसमें उन्होंने लिखा है कि १९७७-७८ और

१९७८-७९ में उन्होंने आडिट किया । रिपोर्ट के पैरा दो पृष्ठ २४ पर लिखा गया है कि १ करोड़ ९ लाख ६५ हजार का अधिक व्यय करके सूचित किया गया । तो मैं मान्यवर, मंत्री जी को आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि धनराशि बढ़ाने के मुख्य कारण क्या थे जो यहां बैठे इनको नजर नहीं आये और जब वहां गये तो बजट को बढ़ा दिया और उसकी पूर्व स्वीकृति भी नहीं ली । मान्यवर, इसी प्रकार पेज ३६ पर अंकित है कि आवश्यकता से पहले ही निधि का आहरण किया गया । चमोली जिले में १ लाख ५ हजार रु० की धनराशि अभी तक वितरित नहीं की गई । पिछली बार जो बजट पेश किया गया था उसमें ४ करोड़ ७१ हजार के करीब धनराशि को ३१ मार्च की रात को १२ बजे आपने बजट भेजा । समाज कल्याण विभाग के बाहर आपके अधिकारी और दलाल लगे रहते हैं और वह सारा पैसा दलाल ले आते हैं और वह दलाल आपको यहां पहुंचा देते हैं और सारा पैसा खा जाते हैं । मान्यवर, यदि आप समय से बजट दें दें तो समय से यह पैसा बंट जाय । जब आप समय से बजट ही नहीं देंगे तो सारी हरिजन छात्रवृत्ति रुकी रहती है । बजट के पैसे टाइम से भेजे जायें और जिनको आप देना चाहते हैं उनको ही मिले यह मेरा सुझाव है । मान्यवर, मैं दो-तीन मामलों में और कहना चाहूंगा । जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है उसमें क्या कहा जाय लाखों-लाख मामले हैं भ्रष्टाचार के मेरे जिले में । जो लोग वित्त मंत्री की जीप में घूमते हैं उन्होंने रुपया हड़प लिया ।

(मेज थपथपाकर तालियां बजाई गईं)

यह आपका गौरव है । मैं तो आपकी भलाई के लिए खड़ा हुआ हूं । इलाहाबाद जिले में कहिये तो दो-एक नाम बता दूं । (शोर मचाने पर) आपको तो खुशी होनी चाहिए धर्मसिंह जी कि मैं आपकी वकालत करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

वकीलों को आपस में बहस करने की छूट नहीं है । उसमें गलती आपने यह किया कि बिना वकालत नामे के वकालत शुरू कर दी ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

इलाहाबाद जिले में १ लाख ३२ हजार ६६० रु० का गबन हुआ । यह गबन जो आपके समाज कल्याण अधिकारी होते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है या कराया जाता है । दूसरा ६५ हजार का गबन हुआ । वहां के मो० अजीज जिला हरिजन कल्याण अधिकारी थे उन्हीं के समय में यह गबन हुआ यह हरिजन कल्याण अधिकारी एसोशियेसन के अध्यक्ष हैं । पता नहीं ये अधिकारी अपने विभाग के कर्मचारियों के पैसों की रक्षा कैसे कर पाते होंगे । मान्यवर, अब बहुत ज्यादा न कहकर नीतिगत विषयों की ओर कहना चाहूंगा । एक कम्पोनेन्ट स्कीम चलाई गई है उसके बारे में बहुत कुछ बताया गया । यह बताया गया कि जो गरीब लोग हैं, इनकी जो विवरण पुस्तिका है उसमें से इस कम्पोनेन्ट स्कीम द्वारा प्रति वर्ष १० प्रतिशत लोगों को गरीबी की इस रेखा से ऊपर को

[श्री माता प्रसाद पाण्डेय—]

लायेंगे। मान्यवर, जो आंकड़े हैं और जैसा बताया जाता है इस समय एकूरेट आंकड़े तो हमारे पास हैं नहीं लेकिन मान लीजिए कि ५० प्रतिशत से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में इस श्रेणी में आते हैं तो इनके हिसाब से अगले ५ वर्षों में कोई गरीब नहीं रह जायेगा। यहां ढाई करोड़ के करीब इनकी जनसंख्या है। अब तक जो अंशदान इन्होंने दिया है उसका १८ प्रतिशत व्यय हो सका है। अनुदान संख्या ४६ में ५१ करोड़ ६२ लाख की धनराशि में लगभग ३० प्रतिशत व्यय हो सका है। मैं यह कहना चाहता था कि ये जो आंकड़े हैं इनसे साफ साबित होता है कि इनकी नियत सुधारने की नहीं है। यह तो केवल ललचाते हैं, दिखलाते हैं कि लो यह कम्पोनेन्ट स्कीम आई है, माननीय मंत्री जी ने बनाई है। गांव के दो-चार हरिजनों को लेकर इनका दलाल ए० डी० एम० के यहां चला जायगा और उसकी जेब भर जायगी। इस कम्पोनेन्ट स्कीम के अन्तर्गत लगभग १ लाख ६० हजार लोगों को, जहां तक मेरी जानकारी है, को ही अभी तक मिला है, जो यह लाभान्वित करने की योजना बनाई गई है अब तक लाभ हुआ है। ढाई करोड़ लोगों को आप पांच वर्ष में कैसे इसके अन्दर ला पायेंगे। मैं मोटे-मोटे आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। मान्यवर, जब से हरिजन कल्याण विभाग खुला है तमाम जातियों के दिल में एक गुद-गुदाहट उठी है कि उसका लाभ उठायेंगे। इस समय चार-छः जातियां हैं। कहार जाति है, गोंड़ जाति है। कहार से भी आप अपने घर में पानी मंगा कर पी लेते होंगे। अब इनको भी हरिजन की सूची में लाने की मांग की जाने लगी है।

श्री उपाध्यक्ष—

मान्यवर, एक पुस्तिका भारत सरकार की निकली है उसमें कौन सी जाति है, किसमें आती है, यह लिखा हुआ है। इनके कहने से नहीं होगा। गोंड जाति और कहार जाति में फर्क है। गोंड जनजाति में आते हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, जब हमारा संविधान बना उस समय यह योजना बनाई गई। हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा कि पिछड़ी जाति, जनजाति और शेड्यूल्ड कास्ट के लोग सताये हुए लोग हैं, निर्बल हैं, इसलिए इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। उस समय जनसंख्या कम रही होगी इसलिए १८ प्रतिशत की व्यवस्था आरक्षण की की गई। आज उसकी संख्या बढ़कर उत्तर प्रदेश में २१.५ प्रतिशत हो गई जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा जबकि ३० साल में आज तक यह केवल १८ प्रतिशत भी नहीं भर सके। यदि आने वाले दिनों में यह इसे नहीं भर सके तो क्या यह सम्भव नहीं है कि ऐसे लोग इस अधिकार से वंचित हो जायेंगे और ये मांग करेंगे कि उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाय। इसीलिए माननीय मंत्री जी को मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। मान्यवर, आंकड़े ये हैं। जनवरी, १९७९ में श्रेणी प्रथम में स्थायी नौकरी ४.६५ प्रतिशत भरी, अस्थायी २.७९ प्रतिशत भरी गई। श्रेणी दो में ४.३६ प्रतिशत परमानेन्ट और ४.५३ अस्थायी। समूह "ग" तीसरी श्रेणी में परमानेन्ट ९.७७ प्रतिशत और अस्थायी ८.१८ प्रतिशत। समूह

"घ" श्रेणी ४ में परमानेन्ट १५.१ प्रतिशत, जिसमें स्वीपर शामिल नहीं हैं, और १५.५१ प्रतिशत अस्थायी। ये आंकड़े हैं। मान्यवर, एक जांच समिति बनी थी। हरिजन कल्याण जांच समिति उत्तर प्रदेश उसके चेयरमैन थे हमारे माननीय बैजनाथ कुरील, संकटा प्रसाद शास्त्री और हमारे माननीय मंत्री जी स्वयं उसमें खुद रहे। उस समिति की रिपोर्ट में उन्होंने कुछ सुझाव दिये थे और यह कहा था कि नौकरियों में आरक्षण पूरा न करने पर उसको क्या दण्ड दिया जाय। मान्यवर, यह प्रतिवेदन के पृष्ठ १२ पर है। उसका जो सारांश है उसमें लिखा है—नियुक्ति विभाग का शासनादेश संख्या ४५०४/२—क—७-१-७९, दिनांक २० अप्रैल, १९७२ में इस प्रकार का संशोधन कर दिया जाय कि जिन अधिकारियों ने आरक्षण संबंधी शासनादेश की उपेक्षा एवं अवहेलना की है उनको प्रतिकूल प्रविष्टि के अतिरिक्त समुचित दण्ड जैसे पदोन्नति से वंचित कर दिया जायेगा या अपने वर्तमान पद से अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण पद पर स्थानान्तरण कर दिया जायेगा। साथ ही जिन अधिकारियों ने इस दायित्व को निभाने में प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य किया हो उन्हें अनुकूल प्रविष्टि के अतिरिक्त समुचित रूप से पुरष्कृत किया जायेगा। जैसे पदोन्नत करना अधिक महत्वपूर्ण पद देना या अग्रिम वार्षिक वृद्धि देना।

मैं जानना चाहता हूं कि उस समय ये लोग एक असहाय स्थिति में रहे होंगे। उसके जो अध्यक्ष थे, कुरील, संकटा प्रसाद शास्त्री और आप इन तीनों से मेरा सुझाव है कि जब आप चतुर्थ वर्ग में भी इनका कोटा पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो तृतीय वर्ग की क्या स्थिति होगी। उस प्रतिवेदन में जो आपने संस्तुतियां की थीं, उनको तो आप मानें। शिक्षा के बारे में आपने कहा था कि प्राविधिक शिक्षा, मेडिकल और इन्जीनियरिंग में १८ प्रतिशत आरक्षण किया गया है। आपने यह भी उसमें कहा था कि मेडिकल में और प्राविधिक शिक्षा में हर ९ छात्र में एक छात्र अनुसूचित जाति का होगा। लेकिन उसे भी नहीं किया गया।

मान्यवर, आपने प्रदेश के हरिजनों का आर्थिक ढांचा ऊंचा करने के लिए कम्पोनेन्ट्स बढ़ाये और उनके लिए गृह निर्माण की योजना बनाने का ढिंढोरा पीटा है। उसमें धन दिया जाता है २ हजार रुपया। आपका हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास विकास निगम है वह निर्मल विकास निगम हो गया है। इसको आप तोड़ दीजिए। मैं कहता हूं कि यदि आपको उसके द्वारा निर्मित मकान रहने के लिए दिया जाय तो उसमें आप अपने जानवर भी नहीं रखना चाहेंगे। आप हरिजनों को अपने विभाग द्वारा मकान बनवाकर दीजिए। पैसा नहीं है तो बजट को बढ़ायें। आपके हाथ में सत्ता है जिनकी बैसाखी से आप यहां पर सत्तारूढ़ हुए हैं। इन जातियों की तरक्की के लिए आप इन्हें कुटीर उद्योग लगाने को भी धन आवंटित कर रहे हैं, वह आपने २ हजार से साढ़े चार हजार रुपया तक दिया है। मैं आपसे पूछता हूं कि इतने कम धन में कैसे वह कोई उद्योग लगा सकेगा। यदि आप में दम है और आप उनकी भलाई करना चाहते हैं तो आप उनके लिए नई योजना बनाइये, धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अन्यथा इस तरह से आप उनको धोखा न दीजिए। हम भी जेल गये हैं और बड़े-बड़े कारणों को लेकर

[श्री माता प्रसाद पाण्डेय—]

जेल गये हैं डाक्टर लोहिया के नेतृत्व में। उन लोगों की भीड़ जो मेरे पास जुटती है वह आपसे ज्यादा होगी और अपने कष्ट को बताती है।

श्री उपाध्यक्ष—

वह लग रहा है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

तो मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने दो हजार रुपये मैदानी क्षेत्र के लिए और ३ हजार रुपये पर्वतीय क्षेत्र के लिए मकान के लिए रखे हैं। आपकी ही संस्तुति है कमेटी की है आप पन्ना पलट कर देख लीजिये कि ५ हजार रुपये इसके लिए दिये जायं तीन हजार अनुदान के रूप में दिये जायं लेकिन आप दो हजार दे रहे हैं। यह आपही की संस्तुति है तो क्यों नहीं अब उसे पूरा करते हैं। यह जो निर्बल वर्ग आवास निगम है यह गला घोंटू है यह कोई मकान नहीं बनाता है। बी० डी० ओ० ने कोई स्कीम बताई तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं लेकिन मालूम पड़ता है उसके लिए ए० डी० एम० आयेंगे और वह देखेंगे। मैं नहीं जानता कि ए० डी० एम० कभी पहुंचे हों मैंने अपने जिले में तो कभी उनको देखा नहीं है। मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं इस निगम को रुपया न देकर इसे आवास विकास परिषद् को दीजिए और निर्देश दीजिए कि जो शहरों में कालोनीज बन रही हैं उनमें २० प्रतिशत हरिजनों के लिए आरक्षित कर दी जायं और गांवों में भी इसी निगम के द्वारा मकान बनाइये। यह जो निर्बल वर्ग आवास निगम बनाया है इससे कोई काम नहीं होने वाला है इसमें आपने एक आई० ए० एस० को चेयरमैन बना कर बैठा दिया है। इसलिये इसे आवास विकास परिषद् में समाहित कर दीजिए।

आपने एक तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम बनाया है उसकी अंश पूंजी आपने बढ़ा दी है लेकिन उसके कार्यों का विवरण में मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि १०० क्विंटल गेहूं और आलू का बीज इसके द्वारा वितरित कराया। थारू जाति के लोगों के लिए ५१ हजार रु० की सिलाई मशीन खरीदी गई। तो बाकी क्या काम हुआ जिसके लिए इतनी अंश पूंजी आपने बनाई है।

ऐसे ही छात्रावास की बात है। उसमें भी कोई कार्य नहीं हुआ है। आपने एक वित्तीय विकास निगम बनाया है वह क्या काम करता है। बैंकों से ऋण लेकर मारजिनल मनी जमाकर रुपया दिलाता है जिसके लिए फार्म भरना पड़ता है मैंने भी कुछ हरिजनों के फार्म भरे थे और जिला हरिजन अधिकारी के पास गया उन्होंने कहा कि इसको लेकर लखनऊ भेजेंगे। तीन साल हो गये उनका पता नहीं है। उसमें भी जो १० परसेन्ट ब्याज देना होता है उसको कम करके ४ परसेन्ट किया गया कि नहीं इसका जरा आप निरीक्षण करा लें। तो जो आपने इस प्रकार के निगम बना दिये हैं इससे कोई फायदा नहीं हुआ और प्रशासनिक व्यय जरूर बढ़ गया उसके लिए आपने आई० ए० एस० को चेयरमैन बनाकर रख दिया। मैं कहना चाहता हूं कि यह आप जैसे मन्त्री के लिए शर्मनाक बात है क्योंकि आपसे यह अपेक्षा की जा सकती है कि गरीबों के पैसे का अपव्यय

न होने दें। मान्यवर, प्रदेश में हरिजनों के प्रति अत्याचारों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। उसी पक्ष के लोग जो उनके कंधों पर बैठ कर यहां पर आये हैं, उनके द्वारा नये-नये अत्याचार किये जा रहे हैं। कहा गया कि उत्पीड़ित हरिजनों को वित्तीय सहायता दी जायेगी। अगर किसी कमाने वाले हरिजन की हत्या हो गयी तो उसके परिवार वालों को ५,००० रुपया दिया जायेगा और अगर न कमाने वाले व्यक्ति की हत्या हो गयी है तो उसे १,००० रुपया दिया जायेगा। कितने शर्म की बात है कि आपने इसमें सीमा बांधी है। आपने एक व्यक्ति के जीवन की सीमा ५ हजार और १ हजार रुपया बांध दी है। इसमें यह भी बताया कि अगर गम्भीर आघात के फलस्वरूप किसी व्यक्ति का शरीर अपंग हो जाता है तो उसे आप कमाने वाले को १,८०० रुपया अगर किसी के मकान को जला दिया गया हो तो उसे ५०० रुपये दिये जायेंगे। जब उसका मकान जलेगा तो उसके पशु भी जलेंगे और आदमी भी जलेंगे। मैं माननीय मंत्री और न कमाने वाले व्यक्ति को केवल ५०० रुपया ही दूंगे। माननीय मंत्र जी को यह भी जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इसकी कभी जांच भी करायी है? और काम करने वाले व्यक्ति और काम न करने वाले व्यक्ति में फर्क करने के लिए क्या आधार होता है? पिछड़ी जाति का कौन आदमी ऐसा है जो काम नहीं करता है? लिखने पढ़ने का काम तो आपके यहां चला गया। उनके हाथ में कुदाल और झाड़ू ही रह गयी है। आप भी उनसे सेवा कराते हैं और ठाकुर और ब्राह्मण तो कराते ही हैं। मेरी मंत्री जी से आपके माध्यम से प्रार्थना है कि इसमें सुधार लायें और उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इस सीमा को तोड़िये।

जहां तक छात्रवृत्तियों का प्रश्न है इसमें वर्ष १९८१-८२ में १ लाख ६० हजार रुपया प्रस्तावित है। इसके विवरण में न जाकर मैं २-३ बातें ही कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप काफी बोल चुके हैं। अब कुछ और व्यक्तियों को बोलने का मौका दीजिए?

श्री माता प्रसाद पांडेय—

माननीय मंत्री जी देखेंगे जैसा कि उन्होंने कहा है कि प्राइमरी से पढ़ने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता देंगे। लेकिन मान्यवर, आपके माध्यम से उनसे एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि आपने जो कोल्विन और ताल्लुकेदारों के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी सहायता देने की व्यवस्था की है उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है बनिस्बत उनके जो बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर शासन नहीं कर सकता है तो आप अपने स्तर पर प्रतिबन्ध लगा कर करवायें कि जो लोग कॉन्वेन्ट्स और कोल्विन स्कूलों में पढ़ेंगे उनको राजकीय सेवा में नहीं लिया जायेगा तब हमारे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का स्वाभिमान बढ़ेगा। मान्यवर, मंत्री जी को मालूम होगा कि उनका रोब क्या है जो प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं और हमारे मुख्य मंत्री जी

[श्री माता प्रसाद पाण्डेय—]

का क्या रोब है जो कान्वेन्ट्स में शिक्षा पायें हैं। इस फर्क को मिटाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। मान्यवर, इसको अगर आप नहीं मिटा सकते तो मान्यवर, फिर कौन मिटायेगा। मान्यवर, चूंकि आप अनुभवी हैं सन् ५२ से इस सदन में रहे हैं, तो मान्यवर, आप तो इसको कम से कम मिटाने की बात कीजिए और इसका वजीफा दिलवाइये। लेकिन मेरा ख्याल है कि प्राइमरी स्कूल का मास्टर खा जायेगा। आप इन संख्याओं की भी जांच करा लीजिए। इसमें जो संख्या लिख कर आती है, यह सही नहीं हुआ करती है। इसका आप सर्वेक्षण करा लीजिए। मेरा आपसे यह सुझाव है। सुन लीजिए कि मैं गरीबों की बात कर रहा हूं। आपने इसमें लिखा है गृह की मरम्मत और विस्तार। उन मकानों की आकस्मिक प्रकोपों से अगर क्षति होती है, तो मैदानी इलाकों के लिए १ लाख रुपया और पर्वतीय इलाके के लिए भी एक लाख रुपया दिया है। एक लाख रुपये एक जिले के लिए ही काफी नहीं है अधिक भिजवायें। मैं आग्रह करूंगा कि इन मदों को आप बढ़ावें। उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए बढ़ावें। आप इस पर भी विचार करके ध्यान दें। मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के विरोध में अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करके सम्मानित सदन के सदस्यों और साथियों से निवेदन करूंगा कि अगर उनके अन्दर उन गरीबों के प्रति कुछ करने की उत्कंठा है, तो वह इसमें सहयोग करें।

श्री धर्म सिंह—

माननीय हरिजन मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं और माननीय पाण्डेय जी ने जो १ रुपया परम्परा के अन्तर्गत जो रखा है, मैं नहीं जानता कि उनके हृदय में या उनकी पार्टी के हृदय में क्या गुंजाइश है। उन्होंने जो १ रुपया का कटौती का प्रस्ताव किया है, मैं उसका कठोर विरोध करता हूं। मान्यवर, यह परम्परायें हैं, मैं जानता हूं उनकी मजबूरी है। यह तो जब कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे तब मुझे प्रसन्नता होगी। एक रुपया को गरीब की कमाई का इस बजट में जोड़ देते और वापस लेते तो उधर के बैठने वालों को प्रसन्नता होती और मान्यवर, इधर के बैठने वालों को भी प्रसन्नता होती। जहां तक माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, हम लोग कोई नये आदमी नहीं हैं, इस हाउस के लिए, माननीय मंत्री जी भी इस हाउस के लिए कोई नये आदमी नहीं हैं। इन्होंने बचपन से राजनैतिक जीवन उन गरीब आदमियों के बीच काटा है जिसमें मैं भी शामिल हूं। चाहे उधर बैठने वाले हों, चाहे इधर बैठने वाले हों, जिन्होंने गरीबी काटी है, वे ही उसके बारे में जानते हैं। मुझे प्रसन्नता होती है कि पाण्डेय जी हम लोगों की समस्याओं से अवगत हैं, लेकिन विरोधी पक्ष के पास क्या और कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कटौती के प्रस्ताव को पेश करता और जो कहता कि मैं इनकी गरीबी को जानता हूं, समझता हूं। देखने की बात और कहने की बात और है।

[समय दो बजे]

मैं कहना चाहता हूं कि मुझे १९५२ का समय याद है कि जब पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त यहां बैठे हुए थे। हाउस खचाखच भरा हुआ था और जब बजट प्रस्तुत हो रहा था, तो डा० सीताराम, देवरिया जिले के पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी थे। मान्यवर, आपको भी मालूम है और बहुत से लोगों को मालूम है। मान्यवर, तब पन्त जी ने कहा था कि चाहे बजट में संशोधन करना पड़े, हरिजनों के उत्थान के लिए उनकी गरीबी दूर करने के लिए, पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए अगर जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, उसमें पैसे की कमी नहीं होने दी जायेगी। हम तो गांधी जी के नेतृत्व में विश्वास करने वालों में से हैं। मैं मानता हूं, मैं तब विद्यार्थी था और गांधी जी के नेतृत्व में काम नहीं कर सका। लेकिन जिन लोगों ने काम किया है, चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, वे जानते हैं कि चाहे हरिजन हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोगों या चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, उनकी तकलीफों को किस तरह से दूर किया जा सकता है। और यह हमारा संकल्प है। नीति के नाम पर यदि कोई कमी आती है, तो जहां तक हरिजनों के उत्थान की बात है, पैसे की कमी की वजह से कोई कमी नहीं आने पायेगी

इसके साथ ही, मान्यवर, २-४ बातों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान सुझाव के तौर से आकर्षित करना चाहता हूं। आपने डिपार्टमेन्ट का रिआर्गेनाइजेशन किया है। हरिजन और सोशियल वेलफेयर को अलग-अलग कर दिया है। मेरी इनफार्मेशन गलत भी हो सकती है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, यह कहां तक ठीक है? मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूं मैं जानता हूं कि हेड आफ डिपार्टमेन्ट सुप्रीम बाडी है। तमाम सूबे को डील करते हैं। उसके बाद सेक्रेटरी होता है, माननीय मंत्री जी हैं और कैबिनेट होती है। रिआर्गेनाइजेशन के बारे में सीधे एक नोट भेज दिया गया। मुझसे किसी ने नहीं बताया कि कौन हेड आफ डिपार्टमेन्ट है? लेकिन जब मुझे पता चला तो कह रहा हूं। हो सकता है कि मेरी बात गलत हो। उसको सरकार दुरुस्त कर सकती है। लेकिन मेरी जानकारी है कि बिना हेड आफ दी डिपार्टमेन्ट को कान्फीडेंस में लिये हुए प्रपोजल आता है और कैबिनेट सुप्रीम बाडी होने की वजह से गवर्नमेन्ट के द्वारा ले जाया गया और उसको अलग कर दिया गया। ठीक है। उसमें ऐतराज नहीं। लेकिन एक तरीका होना चाहिए। एक नियम होना चाहिए। इस तरह की मिसाल नहीं मिलेगी कि जहां पर हेड आफ डिपार्टमेंट को बिना कान्फीडेन्स में लिए एक मामला कैबिनेट में चला जाय और एप्रूवल ले लिया जाय। मेरी प्रार्थना है इसको आप देख लेंगे।

धन की बात कही गई मैंने बजट को पढ़ा नहीं है पाण्डेय जी ने पढ़ा है और बहुत सारे आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। हो सकता है किसी ग्रान्ट में कुछ ज्यादा पैसा दे दिया हो, हो सकता है किसी में कुछ कम पैसा हो। लेकिन मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके आधार पर मान्यवर, छठीं पंचवर्षीय योजना में जो इस वक्त माननीय नारायण दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया है, आज तक उत्तर प्रदेश के हरिजनों को

[श्री धर्म सिंह—]

नहीं दिया गया । मैंने सन् ५२ का जमाना देखा है, सन् ५७ का जमाना देखा है सन् ६२ का देखा है सन् ६७ का देखा है, ६९ का देखा है और ७४ का देखा है तथा ३ साल का ७७ का जमाना भी देखा है जब मैं इस हाउस का सदस्य नहीं रहा । १९८० का जमाना देखा है । जहां तक पैसे का सवाल है जितना पैसा माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में श्री छेदा लाल चौधरी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को दिया गया है कभी नहीं दिया गया । आप बजट को उठाकर देखिए । कोई ताज्जुब नहीं कुछ एलोकेशन कर दिया गया हो । अगर आप ठीक तरह से पढ़ें और बजट के अन्दर जायें तो देखेंगे कि ७९—८० में ३ लाख ३५ हजार २०७ लाख रुपया व्यय हुआ, ८०—८१ में अनुमानित है उसमें ५ हजार ६४५.०० अनुमानित है, ८१—८२ में ५ हजार ३३७ है जब ८० का बजट पास हो जायेगा, ८१ में जो असर होगा इसलिए थोड़ा डाउन हो सकता है ५ हजार ३३७.४१ लाख रुपया व्यय होना अनुमानित है ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि कम्पोनेन्ट स्कीम पर माननीय मंत्री जी पुनर्विचार करें । ए० डी० एम० इसका इन्चार्ज होगा । हर जिले में इसका निर्माण होगा, लेकिन जो विभाग है कोआपरेटिव अपना अलग खर्च करेगा, ए० पी० सी० के द्वारा वह देखा जायेगा,, हरिजन विभाग अलग होगा दूसरे विभाग अलग खर्च करेंगे । अपने-अपने विभाग में सब पैसा खर्च करेंगे । इन विभागों में कितना कोआरडिनेशन होगा इतने रुपये का एलोकेशन होगा । मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान भर में इस वक्त हिसाब लगा लें हरिजनों को इतना रुपया कभी नहीं मिला । अच्छा होता कि सारा पैसा हरिजन विभाग खर्च करती तो इस पर निगाह रहती इसमें मुख्य सचिव होंगे, ए० पी० सी० होंगे, कोआपरेटिव सैक्रेटरी होंगे हालांकि मैं सरकार में रहा हूं लेकिन तजुर्बा आपको ज्यादा हो सकता है मैं इस बात को महसूस करता हूं अगर यह पैसा आपकी आज्ञा से खर्च होता तो ज्यादा अच्छा होता ।

मान्यवर, जो हरिजन विभाग का बजट है वह बहुत कम है उसके बारे में मेरा निवेदन यह है । १९८०-८१ में जो कम्पोनेन्ट की स्कीम में पैसा खर्च होगा वह २ हजार लाख के करीब है । सरकार इस बात पर विचार करें कि अलग-अलग विभागों में को आर्डीनेशन कैसे होगा । हम लोग गरीब घरों में पैदा हुए हैं । मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि आप हमारा घर, मकान देखें चल कर, आज भी उसी तरह से चला आ रहा है जैसा पहले था । आप क्या समझें, हमने अपना भी जमाना देखा है और आपका भी देखा है । हम तो गांधी जी के अनुयायी हैं, एक ही नेतृत्व में विश्वास करते हैं, श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में- - - - -

(शोर)

श्री किरन पाल सिंह—

आज के अखबार में देखिए बाबू जगजीवन राम की कमलापति त्रिपाठी से झड़प हो गई और उन्होंने कहा है कि आप हमको इन्सान नहीं समझते——।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय किरनपाल सिंह जी, यह एक अच्छी प्रथा नहीं है कि बिना चेयर की इजाजत के बोलें ।

श्री धर्म सिंह—

हम तो हरिजन और गरीब हैं । आप भी हैं लेकिन ये कहां से आ गये जिनके रिजीम में वोट नहीं डालने दिया गया । मैं कैबिनेट में बैठा था, पुरानी बातें भी याद हैं, याद न दिलाइये, बी० के० डी० की सरकार का जमाना था, सवाल यह आया कि हरिजनों का रिजर्वेशन समाप्त कर दिया जाये, फीस माफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, विद ड्यू रेस्पेक्ट, विद ड्यू रिगार्ड टू चौधरी चरण सिंह भी, लीजिए स्तीफा और कैबिनेट से भी, लोकल बाडीज में रिजर्वेशन की । दावा यह था कि असेम्बली में कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है । कांस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है कि असेम्बली में, पार्लियामेन्ट में होगा, पंचायतों में कोई आवश्यकता नहीं है । जब हमने कान्स्टीट्यूशन दिखाया तब आंख खुली । मान्यवर, कहनी और करनी में बड़ा अन्तर है । नेहरू जी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, उधर के भी लोग थे, इधर के भी थे । इधर के लोग उधर चले गये, उधर के लोग इधर चले आये, लेकिन गांधी जी की जो नीतियां थीं जो नेतृत्व था और जहां तक यहां की सरकार का सम्बन्ध है, मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि गरीबी इस तरीके से दूर नहीं होगी । सब लोग आयें और कन्धे से कन्धा मिलाकर चलें । मैं देखता हूं कि जब कोई टुकड़ा फेंकता है, पत्तल को फेंकता है तो एक तरफ इन्सान लपकने के लिए बढ़ता है, दूसरी तरफ कुत्ता बढ़ता है, यह इन्सानियत है इस मुल्क की । जिस तरह से हरिजनों का उत्थान किया है यहां के लोगों ने, वे लोग जिनका कोई पता नहीं था हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में । मैं दावत देता हूं आपको आइये इस मैदान में, जाइये उन गरीब लोगों में । उन लोगों की समस्यायें ऐसे ही दूर नहीं होंगी जब तक इस मुल्क में आर्थिक और सामाजिक अव्यवस्था रहेगी । एक जो फैलाव है, जब तक वह दूर नहीं होगा हजार तरह की सरकार कोशिश कर ले, पहले इस समाज को बदलना पड़ेगा, उनकी जेहनियत को बदलना पड़ेगा । मैं गांधी जी के नेतृत्व में विश्वास करने वाला हूं, हिंसा वाला नहीं । जिन बातों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उसको लेकर चलना पड़ेगा और उस विचारधारा को लेना पड़ेगा जिन्होंने हमेशा से लड़ाई लड़ी । जैसा कि मैंने कहा था कि चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों अगर मिलकर कोशिश करेंगे तो—आवास विकास की बात में कुछ बातों से मैं सहमत हूं कि उसमें धन की व्यवस्था होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी की बात मैंने कह ही दी है । अत्याचारों का जहां तक संबंध है, जो थोड़ी सी कमी मुझको नजर आती है, उस पर विचार कर लें । बड़े और छोटे आदमियों में जो विषमता चली आ रही है, उसे भी देखना होगा । हम जानते हैं उस बात को, वे नहीं जानते हैं, उनको क्या पता । जिसको जो दर्द होता है वही जानता है, जिसको जूती काटती है, उसी को पता चलता है । हम तो बुनियादी "डाउन ट्रोडेन"

[श्री धर्म सिंह—]

हैं। इस देश में हम पैदा हुए, कमाते हम हैं, खेतों में हम कमाते हैं, दूध को हम बेचते हैं, आप लोग तो मलाई खाने वाले हैं, आपसे क्या मतलब है ?

एक सदस्य—

आप भी तो मलाई खाते हैं।

श्री धर्म सिंह—

एक बात मैं कहता हूं। आपने कान्स्टीट्यूशन के द्वारा मुल्क में गरीबी दूर करने का जो बीड़ा उठाने की बात कही है, जब तक गरीबी दूर नहीं होगी डेमोक्रेसी कामयाब नहीं हो सकती। यह जनतन्त्र खतरे में है, डेमोक्रेटिक सेटअप छिन्न-भिन्न हो जायगा। इस तरफ प्रयत्न किया जा रहा है, मैं जानता हूं कि विचारधारा अच्छी है, तमाम चीजें हैं लेकिन जब तक नीयत ठीक नहीं होगी, जब तक विचारों में परिवर्तन नहीं आयेगा, तब तक समाज को बदलने की कोशिश नहीं होगी, जब तक इन परम्पराओं रूढ़िवादी परम्पराओं को समाप्त नहीं किया जायगा तब तक उत्थान नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं और दावत देता हूं उधर के लोगों को और इधर के लोगों को भी दावत देता हूं कि कन्धे से कन्धा मिलाकर चलें और पिछड़ी जातियों का उत्थान करें ताकि हम आगे बढ़ सकें और हमारा देश आगे बढ़ सके। जब गरीब लोग आगे बढ़ेंगे तब देश आगे बढ़ेगा और जो महात्मा गांधी का भी स्वप्न था वह पूरा होगा। वरना आपकी यह जो डेमोक्रेसी है वह समाप्त हो जायगी। इसलिए मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि पूरा सोच और विचार करें और उसके बाद निर्णय लें।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, आज जो अनुदान ५३ करोड़ का मंत्री जी ने मांगा है, और यह जो कटौती के प्रस्ताव की जो फारमैलिटी है उसके आधार पर बहस हुई तो मुझे आश्चर्य हुआ, आश्चर्य इस बात पर हुआ कि माननीय मंत्री जी ने पिछले साल के मुकाबले में ३ करोड़ रुपये की कटौती स्वयं एक्सेप्ट कर ली। इस पर मुझे खेद है और इससे जाहिर होता है कि शासक दल के अन्दर माननीय मंत्री जी को भी अनुसूचित जाति का कहूं या हरिजन कहूं या क्या कहूं यही समझ कर ३ करोड़ रुपये की कटौती कर दी गयी और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली ? इनका पिछले साल से १० करोड़ रुपया ज्यादा होना चाहिए था, सब चीजों की कीमत बढ़ी है घटी नहीं है। मगर वह यह नहीं कर सके इसके ऊपर मुझे खेद है। माननीय धर्मसिंह जी ने कोट कर दिया पंत जी को। यह एक पुस्तिका है इसमें पन्त जी से लेकर, २४ जुलाई १९४७ से लेकर २० अगस्त ७७ तक के सारे आदेश हैं जो हरिजनों के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये हैं। एक दो महीने छोड़कर यह सारी रिजीम कांग्रेस सरकार की हो रही है। इसके अन्दर आप देखें, मैंने गिने हैं, १७ आदेश ऐसे हैं जो केवल इस बात के लिए समय-समय पर जारी किये गये हैं, मंत्री जी सफा ११६ और सफा ११३ देख लें कि क्लास १, क्लास २, क्लास थ्री, क्लास फोर के अन्दर रिजर्वेशन पूरा क्यों नहीं हुआ ? जो होना चाहिए ? यह आदेश कांग्रेस सरकार के जमाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में जारी हुए लेकिन लज्जाजनक बात यह है कि रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है। पन्त जी के जमाने में यह उत्थान की बात चली लेकिन आज भी जो सबसे पिछड़े हुए हरिजन हैं उनके अन्दर भी ऐसे हरिजन हैं जैसे शिल्पकार जो भोटिया ट्राइब के साथ आगे-आगे चलते हैं वह बहुत बुरी दशा में हैं। पहाड़ों पर बन रावत हैं जो आज भी मकानों में घुसकुनिये बनाकर रहते हैं। थारू भुक्सा और पूरब में मुसहर, गौंड़ की भी यही हालत है। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हरिजनों के उत्थान के लिए माननीय सदन की एक कमेटी भी बनी है, उस कमेटी के साथ और अपनी कमेटी के साथ पूरे प्रदेश में केवल हरिजनों के मामले में मुझे देखने का अवसर मिला है। उन कमेटी की जो रिकमेन्डेशन्स हुई हैं, मुझे बड़ी तकलीफ इस बात पर होती है कि इस माननीय सदन के अन्दर किसी भी समिति का प्रतिवेदन रखा जाय जो कि एक मिनी हाउस की हैसियत से रखा जाता है और उस प्रतिवेदन के ऊपर अमल न हो। तो मैं यह मानकर चलता हूं कि उन अधिकारियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जाय। मैं दो प्रतिवेदनों का हवाला देना चाहता हूं जो मेरे पास हैं, सप्तम और अष्टम। सप्तम प्रतिवेदन में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि ३०-४-७६ को शासन का कुछ आदेश जारी हुआ और उसमें यह स्पष्ट है कि हर साल १० जनवरी तक जिले-जिले में जो डिपार्टमेन्टल हेड्स हैं, वे अपने विभाग में रिजर्वेशन की परसेन्टेज की रिपोर्ट जिला लेवेल पर भेज देंगे और २० जनवरी तक यह रिपोर्ट सेक्रेटेरियेट में आ जायेगी। लेकिन इसके ऊपर अमल-दरामद नहीं हुआ तो समिति का आबजरवेशन क्या है, यह मैं आपको पढ़कर बता दूं :

> "इस बात की जांच कराई जाय कि शासन के आदेश दिनांक २०-४-७६ की सामूहिक रूप से अवहेलना क्यों की गई ? जांचोपरान्त जो अधिकारी दोषी पाये जायें उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय।" मैं चाहूंगा कि जब मंत्री जी डिबेट का जवाब दें तो वह बता दें कि इस सिफारिश के ऊपर कितने अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने कठोर कार्यवाही की और नहीं की तो क्यों नहीं की गई ? नम्बर दो सिफारिश पर लिखा है "भविष्य में उपरिलिखित आदेश के अनुसार कार्यवाही अवश्य किये जाने पर बल दिया जाय।" तो आगे के लिए भी इसमें संकेत किया गया है। इसका भी मुझे उत्तर चाहिए कि इसके विषय में क्या कार्यवाही की गई ? श्रीमन्, इस वक्त जो हालात हैं वह तो पान्डे जी ने भी सुनाये लेकिन इस समीति के आठवें प्रतिवेदन के अनुसार अनुसूचित जातियों का परसेन्टेज क्लास-१ में २.७९ प्रतिशत, क्लास-२ में ४.४३, क्लास-३ में ८.१८ और क्लास-४ में १५.५१ है। अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्लास-१ में .०८, क्लास-२ में .३२, क्लास-३ में .२२ और क्लास-४ में .४८ है। इसको मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं कि इस परसेन्टेज के ही संबंध में हर सरकारों ने समय-समय पर यह आदेश जारी किया कि यह परसेन्टेज जब तक क्लास-३ में निर्धारित परसेन्टेज तक न पहुंचे उस वक्त तक ३२ प्रति-

[श्री रियासत हुसैन—]

शत और क्लास-४ में जब तक न पहुंच जाये तब तक ३० प्रतिशत तक इनकी भरती की जाय। इस आदेश के होने के बावजूद भी यह परसेन्टेज इतना ही रह गया। इसका दोषी कौन है ?

अब मैं दूसरी तरफ आता हूं। आज हरिजनों के अन्दर आपकी ६६ सब कास्ट शामिल हैं तो हरिजनों का जब ६६ सब कास्ट में क्लासिफिकेशन हो गया तो एक हरिजन दूसरे हरिजन को नीचा समझने लगा और आपस में नफरत पैदा होती गई और इतनी डीप चली गई कि सदस्यों के पास जो फार्म आता है वेरीफिकेशन का फार्म उसमें जब किसी लड़के से पूछो कि तुम हरिजन हो तो वह कहता है कि मैं हरिजन नहीं हूं, मैं फलां जाति का हूं। क्या हो भाई तो अपनी सब कास्ट बतलाते हैं कि मैं जो हूं। वह यह समझता है कि हरिजन केवल भंगी के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए वह हरिजन कहलाना पसन्द नहीं करते। यह जो डीप रूटेड नफरत पहुंच गयी है कि हरिजन केवल भंगी हैं जिससे वह अपने को हरिजन नहीं कहता निहायत नामुनासिब है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप स्वयं अपने विभाग को दो हिस्सों में बांट रहे हैं हरिजन और सोशल वेलफेयर को अलग-अलग कर रहे हैं। आप अपने विभाग को एक करके नहीं चलना चाहते और स्वयं एक अलगाव पैदा कर रहे हैं। यह किसके दिमाग की उपज है जब कि राष्ट्रीय एकीकरण का जमाना है और दूसरी ओर आप अपने हरिजन तथा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट के दो भाग कर रहे हैं यह कहां की अक्लमन्दी है, कैसे आप नेशनल इंटिग्रेशन की बात करते हैं ? जिला स्तर पर भी आपका विभाग अनटचेबिल की तरह रखा जाता है। जीप गाड़ियां हैं नहीं और अगर हैं भी कुछ तो २५ दिन वर्कशाप में खड़ी रहती हैं। वहां पर आपके अधिकारीगण उसी तरह से समझे जाते हैं।

मैं मान्यवर, दो तीन सुझाव देना चाहता हूं। आपकी जो बैकवर्ड की लिस्ट है उसमें ३७ कम्युनिटीज हैं। एक खादी बिरादरी है जो पल्ले बनाती है और नदियों के पेटे में गंगा और जमुना के किनारे विस्टर्न यू० पी० में रहती है और मजदूरी करके अपनी गुजर करती हैं। लिखा-पढ़ी चल रही है। खादी बिरादरी को बैकवर्ड में शामिल किया जाय। इसी तरह से मुसलमानों में १९ कम्युनिटीज हैं। उनमें एक छीपी बिरादरी को शामिल नहीं किया गया है जब कि हिन्दू छीपी शामिल हैं जब कि मुसलमान छीपी इन १९ में शामिल नहीं हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि गोरखपुर आजमगढ़ में हलालखोर मुसलमान मेहतर हैं जो सफाई का काम करते हैं। उनका मनोबल गिरा हुआ है क्योंकि वह शेड्यूल कास्ट में शामिल नहीं हैं। वह इस पेशे को करते हैं और आज भी इस पेशे को करने में अपनी बेइज्जती नहीं समझते तो उनको वह सुविधा मिलनी चाहिए जो साधारण तौर पर शेड्यूल्ड कास्ट को मिलती है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक उत्थान का दूसरा जरिया आपका है आश्रम टाइप स्कूल। आपके प्रदेश में मनकापुर से लेकर धारचूला तक यू० पी० में जगह-जगह ये स्कूल ७० रुपया महीना इनमें बच्चों को दिया जाता है जिसमें रहना, खाना तथा कपड़ा सब होता है। ७० रुपये में आज आप उनको कितनी तालीम दे सकेंगे। कम से कम आपको

२५० रुपये महीने के हिसाब से हर बच्चे को देना चाहिये। ताकि वह तसल्ली के साथ तालीम पा सकें।

श्रीमन्, जो लोन देने के लिए आपने निगम बना रखे हैं उनका रेट आफ इन्टरेस्ट ज्यादा है। चूंकि उद्योग में रुपया लगाने के बाद भी गारन्टी नहीं होती है कि उसमें मुनाफा होगा। आपका जो गिरा हुआ समाज का गरीब आदमी है उसको आप लोन उसकी मदद के लिए देते हैं कि वह अपना जीवनस्तर ऊंचा उठा सके तो उससे आप सूद क्यों लेते हैं? उससे बिजनेस क्यों करते हैं? यदि आप की नियत साफ है तो उसको बिना सूद के रकम दें और निगाह रखें कि वह रकम बरबाद न हो। इसलिए इस तरफ मंत्री जी को ध्यान देने की जरूरत है।

मान्यवर, इस विभाग के नारी निकेतन जगह-जगह चल रहे हैं लेकिन उनकी हालत को देखें तो अदालत में झगड़ा कि औरत और लड़की पेश हो। जब कभी औरत का झगड़ा हो या उसका दिमाग अपसेट हो तो उसको नारी निकेतन में भेज दिया जाता है। वहां हर कौम की औरतें हैं तो उनके लिए क्या आपने कभी सोचा है कि नारी निकेतन में गार्ड होना चाहिए? एक महिला सुपरिन्टेन्डेन्ट झगड़े वाली औरतों को रखेगी, दिमाग अपसेट होगा तो उनको भी रखेगी और यदि उसके यहां रात में १००-२०० आदमी आ जांय झगड़ा करने को तो आप क्या करेंगे? इसलिए वहां गार्ड का इंतजाम होना चाहिए। इसके साथ ही साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है कि नारी निकेतन में हर लड़की को चाहे अदालत से या और कहीं से इज्जत की सुरक्षा के लिए उसको वहां भेजा जाता है, इसलिए नहीं कि आपके जिले के अधिकारियों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए नारी निकेतन माध्यम हों। इसलिए खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस ओर आपको ध्यान देने की जरूरत है।

श्रीमन्, अब मैं अपने जिले मुरादाबाद में जो बैकवर्ड मुसलमान हैं उनके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे यहां तहसील बिलारी के अन्दर ५ लेखपाल अन्सारी बिरादरी के हैं जो बैकवर्ड हैं। उनको हाकिम परगना ने दूसरी तहसील को ट्रांसफर करा दिया कि वह अन्सारी बिरादरी के इकट्ठे क्यों एक साथ हो गये और उनको अलग-अलग तहसीलों में जाने के आर्डर कर दिये। तो मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि वह बैकवर्ड क्लास के हैं इसलिए जब उन्होंने अपनी फरियाद राजस्व मंत्री और मुख्य मंत्री को पेश किया तो मुख्य मंत्री के डाइरेक्शन में राजस्व मंत्री ने डी० एम० को १२ अगस्त को आदेश दिया कि उनको वापस बुला लिया जाय। लेकिन उस आदेश का पालन नहीं हुआ और डी० एम० ने जो बैकवर्ड पटवारी हैं उनको नोटिस दिया कि तुमने आर्डर का पालन नहीं किया इसलिए क्यों न तुम्हारे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री के आदेश का पालन डी० एम० न करे तो उसके खिलाफ डिसीप्लीनरी एक्शन होना चाहिये या आपके आदेश का पालन लेखपाल करे तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। अब यह मामला यहां भी पेश हुआ है इसलिए अब देखना है कि इसमें क्या होगा?

[श्री रियासत हुसैन—]

श्रीमन्, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो सुझाव दिये हैं उनमें सोच करके, एक साइक्लोजिकल चीज में कहना चाहता हूं कि इस माननीय सदन में और पूरे प्रदेश में जो कटौती के प्रस्ताव के सहारे जो सुझाव आपको दिये हैं वह न एक पंडित और पांडेय ने दिये हैं बल्कि मैं मुसलमान हूं और मैं भी अदालत करना जानता हूं कि किस के साथ और कहां ज्यादती हो रही है। मैंने पूरे सूबे का दौरा करके देखा है कि किस तरीके से उनसे बेगार ली जाती है, किस तरीके से उनका शोषण होता है, किस तरीके से उनके साथ ज्यादतियां होती हैं ? लेकिन साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि ताल्लुकात अच्छे रहें, अगर आप सबसे समर्थन लेना चाहते हैं तो आपकी इस भावना से कोई आपका समर्थन नहीं करेगा कोई भी बात नहीं करेगा। कहेगा कि जब आपकी यह भावना है तो फिर मैं आपको समर्थन क्यों दूं ? यह बात खासतौर से जो पिछला इलेक्शन हुआ है, खुलासा सामने आयी कि जो पिछला इलेक्शन जिसमें जनता पार्टी ने कहा कि जनता पार्टी को चलाया करेंगे पर जब बाबू जगजीवन राम को प्रधान मंत्री बनाने की बात आयी तो आपकी राजनीति में जो अपर क्लास के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं उनके गले से नहीं उतरा। जब इलेक्शन बन्द हो गया तो मैं बताऊं कि मेरे सामने माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की मौजूदगी में, जी हां, नारायण दत्त तिवारी जी की मौजूदगी की बात को बताता हूं कि हम और वे बैठे हुए थे, कुछ अपर कास्ट के लोग आये और उन्होंने कहा कि इलेक्शन के समय आप भी जनता पार्टी का वोट मांग रहे थे। उस समय नहीं कहा पर अब कह रहे हैं कि जूता कितना भी कीमती हो, उसकी कीमत चाहे जितनी ज्यादा क्यों न हो पर जूता से सिर नहीं ढका जाता है, चाहे वह मखमल का ही क्यों न हो ? तो यह जो भावना है, यह जो विचार हैं, तो श्रीमन्, इसके ऊपर सोचना चाहिए कि क्यों ऐसी बात है, क्यों यह भावना पैदा हो गयी ?

श्रीमन्, इस वक्त यह भी पूछा जाता है कि तेरा नाम क्यों है और थाने में रपट दर्ज करायी जाती है ३२३ की ? तो जो थाने में रपट लिखाते हैं तो दरोगा इनक्वायरी के लिए फौरन आ जाता है क्योंकि जो लोग शासन कर रहे हैं उनके समर्थन के लिए दरोगा इन्क्वायरी के लिए जाता है। यदि दरोगा इनक्वायरी न करे तो फिर तो न मालूम क्या हश्र हो, किस तरीके से बदला लिया जाय ?

तो इस तरीके से कहीं बाबू जगजीवन राम प्रधान मंत्री हो जाते तब तो उन्हें गांव ही छोड़ना पड़ जाता। तो इस तरीके से पूरे समाज में समाज के हर वर्ग में ऊंच-नीच के विचार, जातपांत की भावना और नफरत १९६७ के बाद से ही इस प्रदेश के अंदर फैली है। जात-पांत की भावना को लाने की जिम्मेदारी किसकी है और इसको कैसे दूर किया जाय ? इस चीज को बैठकर सोचना पड़ेगा हम सबको, और यह बहुत ही जरूरी है, इस भावना को समाप्त करना होगा। पूरे समाज में से अगर एक आदमी जात-पांत की बात सोचेगा तो उसका रिएक्शन जरूर होगा। पिछली बार १९६७ के बाद से राजनैतिक क्षेत्र में यह घिनौनापन आया है। लेकिन इनसानियत के लिए जो गरीब इस मुल्क के हैं, उनको उठाने के लिए समाज को सोशल और एजूकेशनल तरीके से बराबर करना होगा। सबको बराबर का अवसर मिले, हम सबको इस बात को गम्भीरता से सोचना पड़ेगा।

आखिर में एक बात को मैं जरूर इस माननीय सदन के जरिये से अपना यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि जो यह ६६ बिरादरी हैं, यह ३७ बिरादरी हैं और २१ मुसलमानों की बिरादरी हैं, इन सबसे बिरादरियों के लिए उम्मीद करता हूं कि और शासन से प्रार्थना करता हूं कि उनको जो ताकत मिली है, उस ताकत का वे मिसयूज न करें और जो भी सुविधाएं गरीबों के लिए हैं, उन तक सही तौर से पहुंचायें और इस तरह से हम पूरे प्रदेश की जनता आपके साथ हैं।

श्रीमती कमला साहनी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया, मैं आभारी हूं। विपक्ष द्वारा कटौती का जो प्रस्ताव रखा गया है यह उनकी आचार संहिता के अनुकूल ही है। बहुत पहले की बात जब देश आजाद नहीं हुआ था और यह गरीब, पिछड़े लोग, हरिजन लोग इन तथाकथित बड़े लोगों का काम करते थे, इनका जखीरा भरते थे तब यह उनकी मजदूरी में कटौती किया करते थे और उनको सेर और छटांक के हिसाब से मजदूरी देते थे। आज अपनी उसी विचारधारा के अनुसार और अपनी आचार संहिता के अनुसार ही बजट में कटौती का प्रस्ताव कर रहे हैं इसलिए ये बधाई के पात्र हैं।

(तालियां बजाई गईं)

भारत के संविधान में पहली बार आजादी के बाद उन गिरे हुए लोगों, कुचले हुए लोगों समाज में सताये हुए लोगों की बात कही गई जिनके बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं गया था, उनके बारे में सोचा गया। आजादी के इन तीस सालों में घुरहू जो एक हरवाह था उसने जगजीवनराम तक की मंजिल तय की। जग्गू से जगजीवन राम बने। यह सब किसके शासन काल में हुआ ? मान्यवर, यह सब कांग्रेस के शासन काल में हुआ है। कांग्रेस के शासन काल में हरिजनों के उत्थान के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए कार्य किये गये। किन्तु जब जनता पार्टी की सरकार आई तो तमाम देहात के जो तथा कथित बड़े लोग थे उन लोगों ने यह कह कर कि अब हमारी सरकार है, अब हमारा शासन आ गया है, अब तुम लोगों का क्या है ? गरीबों की जमीनें ले लीं। मान्यवर, इनके किये हुए कुकृत्यों को आज पुनः हम भोग रहे हैं। इनके छोड़े हुए कामों को पूरी ताकत से पुनः करने में तत्पर हैं और उन्हें पुनः स्थापित करने और आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मान्यवर, एक निवेदन इस सम्बन्ध में अपने मंत्री जी से करना चाहती हूं कि हरिजन बच्चों के जो गार्जियन हैं, माता-पिता हैं जिनकी अधिकतम आय साढ़े सात सौ रुपया है, उनके बच्चों को सहायता दी जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है। मैं माननीय मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहती हूं कि अधिकतम आय की सीमा बढ़ाकर १,००० रुपया कर दी जाय और उनकी फीस माफ की जाय।

(तालियां तथा मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, आप सुनें। दूसरी बात पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में कहना चाहती हूं। पिछड़े वर्ग के लोग जिनका नाम तो पिछड़ा वर्ग दे दिया गया है लेकिन अभी तक उनको कोई

[श्रीमती कमला साहनी—]

सहायता विशेष रूप से नहीं मिल पाई है। एक बात मैं कहना चाहती हूं कि हरिजनों को बरगलाने के लिए जिस तरह जगजीवन राम का ढांचा खड़ा कर दिया गया था वैसे ही पिछड़े वर्ग के लोगों को भी बरगलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक शेर कहना चाहूंगी—

हद से बढ़ जाती है जब आदमी की मजबूरी,
अमन पसन्द बगावत की बात करते हैं।

(शोर) (विजय सिंह राना के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

राना जी आप बैठ जाइये। माननीया साहनी बोल रही हैं उनके मुकाबले में आप नहीं बोल पायेंगे।

श्रीमती कमला साहनी—

पिछड़े वर्ग के लोगों के सम्बन्ध में अपने मंत्री जी को सुझाव दे रही हूं कि वह समय रहते ही सर्तक हो जाय ताकि हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को बरगलाया न जाय। वस्तुतः जगजीवन राम का ताजिया खड़ा करके हरिजनों को बरगलाने का काम किया गया। हालांकि असफल रहे वैसे ही चरण सिंह पिछड़ी जाति के लोगों को बरगलाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि समय रहते ही पिछड़े वर्ग के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें। उन्हें कुछ दें। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि सन् ७५ में छेदा लाल साथी की अध्यक्षता में एक अत्यन्त पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। उन्होंने अपनी संस्तुति सन् ७७ में पेश कर दी। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहां पिजन होल में हम लोगों को उसकी प्रिन्टेड कापी मिली। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि उस अत्यन्त पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सदन की कार्यवाही में शामिल करें, उस पर चर्चा हो। पिछड़े वर्ग के लोगों को भी अवसर दें जिससे लोग उनको बरगला न सकें।

हमारे हरिजन भाइयों पर जब कहीं पर अत्याचार होते हैं इस समस्या को दूर करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। लेकिन पुनः मैं अपने मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि सामान्य कानून से थोड़ा हट कर भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे हरिजन, पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग के लोगों को विशेष अवसर मिल सके और वे कुछ आगे बढ़ सके और उन पर होने वाले अत्याचार रुक सकें और अत्याचारी दंडित हो सकें।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूं। धन्यवाद।

श्री गिरधारी प्रसाद विशारद—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मेरी तबियत कुछ खराब है . . .।

श्री उपाध्यक्ष—

आप के मुख्य सचेतक ने आपका नाम भेजा है . . . ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

वैसी खराब नहीं है लेकिन जो दर्द हरिजन समाज कल्याण विभाग का माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने प्रस्तुत किया है और इस सरकार की पूरी तस्वीर सामने रख दी है वह सबको विदित हो गई है। मान्यवर, इस सरकार ने बार बार यह प्रयास किया कि हरिजनों के वोट लिये जायं और उनकी पीठ पर बैठ कर सवारी करके यहां पर आया जाय। यह बात पूर्ण रूप से सही है क्योंकि आज अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या जो कि माननीय मंत्री जी ने बताई है प्रदेश में २१ प्रतिशत है। उसी के साथ-साथ उनको यह भी बताना चाहिए कि उन पर प्रति वर्ष क्या खर्च होता है। यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। इतना ही नहीं वित्त विकास निगम, कम्पोनेन्ट प्लान्ट, वगैरह बता कर जो ठगी की भाषा इन्होंने इस सदन में प्रकट की है यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी माननीय रियासत जी ने इस बात की चर्चा अपने भाषा में की कि जो हरिजनों और जो अल्पसंख्यक हैं जिसमें १७ मुसलमान गरीब जाति के लोग आते हैं किसी जाति का इन्होंने कोटा पूरी नहीं किया। समय-समय पर निर्गत जो राज्यादेश हैं उनका भी हवाला दिया गया। १८ प्रतिशत का कोटा आज के समय तक पूरा नहीं हुआ। यह कांग्रेस सरकार चाहती है कि इनके सामने कुछ लालची चीज रख कर कोटा बढ़ाने की घोषणा कर दें। कभी २५ प्रतिशत, कभी ५० प्रतिशत जबकि १८ प्रतिशत कोटा पूरा करने की बात बार-बार सदन में आती है। अब यह समाज जागरूक हो चुका है। इनकी सारी चतुराई वह समझने लगा है। अधिक दिनों तक यह चतुराई नहीं चल पायेगी।

माननीय धर्म सिंह जी ने कहा कि आखिर उस पक्ष से क्यों कटौती का प्रस्ताव पांडेय जी ने रखा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं और उसे पांडेय जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि सदन में हमारे दल ने उनकी परेशानियों को उनके निकट जाकर समझा है और इसी नाते एक सवर्ण व्यक्ति ने खुले दिल से इसको रखा है जिसको कि कांग्रेस आज तक करने में असफल रही है।

मान्यवर, हम पूर्ण रूप से जानते हैं और आप प्रदेश का सर्वेक्षण कर लें कि जो आज हरिजनों की संख्या है उनमें कितने लोगों के छप्पर के घर हैं और कितनों के खपरैल के घर हैं और कितनों के एक-आध कमरे पक्के बने हुये हैं। इसके अलावा आप उनके भोजन और कपड़े की भी व्यवस्था देख लें। अगर यह सर्वेक्षण करा दिया जाय तो जिनके घरों के लोग बम्बई कलकत्ता या किसी सरकारी नौकरी में होंगे उनके ही घरों के एक आध कमरे पक्के होंगे नहीं तो सबके छप्पर के ही मकान मिलेंगे। मान्यवर, इसके पीछे कौन लोग हैं। ये कांग्रेसी ही हैं जो इनके घरों को फुंकवाते हैं और जिलाधिकारी के पास जाते हैं और २५/३० रूपये का लालच देकर ऐसा करवाते हैं। आज तक जितनी भी रिपोर्ट्स हरिजनों की आपको मिली हैं उसमें मान्यवर, हम देखते हैं कि आज भी स्कूलों

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—]

में जो हरिजन अध्यापक हैं वे अपने लिये घरों से गिलास ले जाते हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज भी जिला परिषद् के या मान्यता प्राप्त स्कूलों अथवा डिग्री कालेजों में जो बुद्धिजीवी रहते हैं वहां भी यही भावना है। लेकिन समय-समय पर सरकार की तरफ से और उसके विभागों की तरफ से सरकुलर निकाले जाते हैं कि यदि कहीं से ऐसी बात पायी जायेगी तो उसको सेवा से निकाल दिया जायेगा। इसका मंत्री जी के पास सबूत हो सकता है कि ऐसी कितनी रिपोर्ट आई हैं और उनमें से कितनों को निलम्बित किया गया है अथवा उनको किसी प्रकार का दन्ड दिया गया है। अभी इधर एक बड़ी बात यह सुनी गई और जैसा कि कल मैंने अपने प्रश्न के दौरान भी जिक्र किया था कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहार और जो भड़भूजा जाति है वह अपने को गोंड लिखकर अनुसूचित जाति को जो सुविधायें मिलती हैं उसको लेता है। संयोग की बात है कि हमारे एक माननीय सदस्य श्री पन्नेलाल जी सत्ता पक्ष के सदस्य जो सदन में मौजूद हैं उन्हें भी जानकारी है। गोरखपुर के मुंडेरा बाजार क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं सरजू प्रसाद, जिसकी दुकान शहर के मुहल्ला बेतिया हाता में चल रही है और मकान भी है, भड़भूजा जाति के हैं उसने जिलाधिकारी से फर्जी गोंड़ जाति का प्रमाण-पत्र लेकर इसी गठित विधान सभा का चुनाव लड़ा। मान्यवर, आप भी गोरखपुर से आते हैं, आपको भी इसके बारे में मालूम होगा।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का हरिजन जिसका कोटा १८ प्रतिशत का पूरा नहीं हुआ और उसमें नई जाति गोंड़ लिखकर उनको वजीफा दिया जा रहा है और वे लोग सरकारी नौकरियों में घुसकर काम कर रहे हैं। पिछले साल भी उन लोगों को वजीफा मिला था और इस साल भी ले रहे हैं। मैं इस बात को नहीं कहता कि उनको क्यों दिया गया लेकिन यदि हरिजनों की लिस्ट में यदि उस कहार व भड़भूजा जाति को भी जोड़ दिया जाता है तो उसी के मुकाबले में कोटे की सीमा भी बढ़ाई जाय। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में हरिजन और समाज कल्याण वित्तीय वर्ष १९८०-८१ की पुस्तिका के पृष्ठ ३६ पर उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की सूची में गोंड़ जाति का ६६ वां नम्बर है। इसके साथ ही साथ पृष्ठ ३९ में अन्य पिछड़ी जातियों का उल्लेख किया गया है और ८वें क्रम पर भुरजी या भड़भूजा दिया गया है तथा १९वें नम्बर पर कहार दिया गया है। स्कूलों में जिनकी टी० सी० बनी हुई हैं उनमें उनकी जाति भड़भूजा और कहार लिखा हुआ है। मान्यवर, गोरखपुर में गोंड जाति का एक महासंघ बना हुआ है जो यह सब करा रहा है।

मान्यवर, इसी के साथ ही साथ जो इस विभाग के आश्रम टाइप स्कूल चल रहे हैं उनमें और जो मान्यता प्राप्त तथा सरकारी स्कूल हैं उनके वेतनमानों में बड़ी भिन्नता है। ए० टी० एस० विद्यालयों में ऐसे जाति के लोगों की भर्ती होती है जिनका इतिहास कुछ अपराधिक प्रवृत्ति का होता है जैसे पासी, मल्लाह केवट आदि और उनको निशुल्क शिक्षा दी जाती है। मैं गोरखपुर का उदाहरण देना चाहता हूं वहां भी एक विद्यालय चल रहा है वहां एक टीचर हैं जो स्थानीय पोलिटिक्स में काम करते हैं जिनका नाम है श्रीराम भजन जो कि गांव की पोलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं और थोड़ी दूर पर उनका गांव है। वे डकैती वगैरह के मामले में दूसरों के फर्जी नाम देते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विशेष

रूप से कहना चाहता हूं कि अगर इनको यहां से नहीं हटाया गया तो निश्चित ही उस गांव में झगड़ा और बलवा हो जायेगा ।

[समय ३ बजे]

इसके अलावा एक बड़ी विडंबना की बात यह है कि मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं उनमें हरिजन छात्रों के लिए हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से अनुदान जाता है लेकिन प्रबंधक उन हरिजनों को होस्टल में रहने की सुविधायें नहीं देते हैं । बहुत से इंटर कालेज हैं जहां के प्रबन्धक हरिजनों को होस्टल में रहने नहीं देते हैं । मुझे पता चला है कि जो आजमगढ़ के बृहमचारी जी सत्ता कांग्रेस के विधायक हैं वह स्वयं अपने डिग्री कालेज में जिसको सरकार सहायता देती है और अनुदान देती है उसमें जो दूर से हरिजन छात्र पढ़ने के लिए आते हैं उनको होस्टल में नहीं रहने देते । तो वह उसे अपनी निजी संपत्ति मानते हैं . . . ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

(श्री चन्द्रबली बृहमचारी का नाम पुकारे जाने पर)—

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, मेरा एक निवेदन सुन लीजिये ।

श्री चन्द्रबली बृहमचारी—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं इस समय हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, मुझे बड़ा हर्ष है कि हमारे हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है अपने सीमित साधनों से वह बहुत ही सराहनीय है । श्रीमन्, मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि हरिजनों के संबंध में जो विचार व्यक्त किये जा रहे हैं वह बहुत अतिरंजित भी किये जा रहे हैं । आज हरिजनों के संबंध में जितना बन पा रहा है वह हम सब चेष्टा कर रहे हैं । उनकी जो भी कुछ उन्नति हो सके, उनकी जो भी सहायता हो सके उसको करने के लए हम सब लोग और हमारी सरकार करने के लिए कटिबद्ध है। ।

अभी अभी श्रीमन्, एक वक्ता ने यह कह दिया कि आजमगढ़ के बृहमचारी के महाविद्यालय में हरिजनों को छात्रावास में नहीं रहने दिया जाता है । यह बिलकुल असत्य है, निराधार है । हरिजन कल्याण मंत्री जी को और आप सबको मैं आह्वान करता हूं कि वहां जाकर देखें । हमारे छात्रावास में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मुसलमान और हरिजन सब

[श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी—]

को ठीक से रखा गया है और सबकी बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाई की जा रही है। मैं कहता हूं कि पूरे प्रदेश में इस प्रकार की सुंदर व्यवस्था कहीं पर नहीं है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय हरिजन कल्याण मंत्री जी से चाहता हूं कि वे मेरे सुझाव जो हैं उनको नोट कर लें और उनके आधार पर चलें। पहला सुझाव मेरा यह है कि हमारे प्रदेश में हर विद्यालय में हरिजन छात्रावास बनाया जाय और उनके लिए वे जो कुछ भी सहायता दे सकें, अवश्य दें। पढ़ाई-लिखाई का जहां तक सम्बन्ध है उसमें कहीं पर भी विषमता नहीं है। हरिजनों के बच्चों के लिए पढ़ाई-लिखाई की पूरी व्यवस्था है। सरकार की ओर से हरिजन छात्रों को पूरी छात्रवृत्ति दी जा रही है। यह कहना सही नहीं है कि उनको नहीं दी जा रही है। चूंकि यह काम बहुत बड़ा काम है अतः कहीं-कहीं पर किसी प्रकार की गड़बड़ी हो। (अत्यधिक शोर)।

(विपक्ष की ओर इशारा करते हुए)

आप जो बात कहते हैं उसको हम सुनते हैं तो जो बात हम अपनी जानकारी से कहते हैं उसको भी तो आपको सुनना चाहिए। जो हमारी बातें सही हों उनको आप सुनें और उन पर ध्यान दें। मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी अगर हरिजन छात्रावासों के लिए कुछ काम कर सकें तो बहुत अच्छा हो। कुछ जगहों में ऐसा भी है कि उनके रहने की व्यवस्था कहीं कहीं पर गड़बड़ है। मेरी प्रार्थना है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए मकान बनाये जायं, उनके लिए अवश्य ही सहायता दी जाय। जहां तक उनको सर्विस में लेने की बात है हम स्वयं उस अनुपात से हरिजनों को अपने विद्यालयों में जगहें दे रहे हैं।

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बजट पर बोलने में इतना तरस नहीं आ रहा है जितना कि खुद मंत्री जी पर आ रहा है। एक भोले भाले सीधे आदमी को इस प्रकार के फरेबी और नाटक का सूत्र धार बनना पड़ा है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि वे हरिजनों और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं परन्तु बजट के देखने से पता चलता है कि पिछले साल के मुकाबले में इस बढ़ती हुयी मंहगाई और भयंकर मुद्रास्फीति के बाद भी बजट पिछले वर्ष के मुकाबले कम कर दिया गया है। इनके बजट में पर्वतीय क्षेत्र में विकास और महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष १९८०-८१ के आय व्ययक में .०१९ करोड़ का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार से सारा बजट मात्र एक फरेब है। मंत्री जी भी अपने और साथियों की तरह से कह रहे हैं कि हम क्रांति लाने वाले हैं।

मान्यवर, मनोज कुमार की तो क्रांति आ गयी, मैं इनकी क्रांति कह ही रहा हूं, कोई देख नहीं रहा है, कब आने वाली है। हमारे पर्वतीय अंचल में, जनपद चमोली में दो आश्रम पद्धति विद्यालय हैं। मैंने पिछले वर्ष भी माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि उस विद्यालय में न तो कोई भवन वहां पर उपलब्ध है और न छात्रावास

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिए ही कोई भवन वहां पर है। जो भवन वहां किराये पर लिया है छात्रावास के लिए, वह १० बाई ११ फिट है। वहां एक कमरे में १२ लड़के रह रहे हैं और उसकी सारी छत जो है वह खराब हो चुकी है। मैंने पिछले साल भी मंत्री जी से आग्रह किया था कि आप वहां उसकी व्यवस्था करा दीजिए, लेकिन अभी तक उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया है। जनघोटिया और जनआश्रम विद्यालय वहां पर हैं। उस आश्रम को भीम तल्ला में लाना पड़ा, क्योंकि वहां पर कोई विद्यालय नहीं था और वह एक साधारण मकान में वह विद्यालय चल रहा था। तो मेरा निवेदन है कि आप उन दोनों विद्यालयों के लिए भवन और छात्रावास का निर्माण करा दीजिए। गोपेश्वर में हरिजन बालकों के लिए किराये पर कमरा लिया गया, उसके लिए शायद भूमि उपलब्ध कराई गयी है, लेकिन छात्रावास के लिए कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। गोपेश्वर से तमाम प्रार्थना-पत्र आपके पास आ चुके हैं लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मेरा निवेदन है कि इन दोनों विद्यालयों के छात्रावास का निर्माण करा दिया जाय। मान्यवर, हमेशा बजट में विधवाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाती है, पर कितने वर्षों से विधवाओं को पेंशन नहीं मिल पा रही है, इसको आप भी जानते हैं। जो असहाय विधवायें हैं, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उनको पेंशन के लिए कुछ उपाय करें। वहां के क्षेत्रों की स्थिति को देखते हुए सारे क्षेत्र में सम्मिलित बाल विकास योजना आप चालू करें और उसका कार्यान्वयन करें और वहां पर जब यह योजना शुरू करें, तो वहां पर इन योजनाओं को तत्काल लागू कर दी जाय। मेरा यह माननीय मंत्री जी से निवेदन है। धन्यवाद।

श्री राम जी राम—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी के हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की मांग का समर्थन करता हूं। मैं सबसे पहले अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ११९ करोड़ रूपया उत्तर प्रदेश के हरिजनों के लिए दिया, ये बधाई के पात्र हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो कई मामलों में पिछड़ा है, उसमें अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति को जो सुविधायें दी जा रही हैं वह संविधान के अन्तर्गत हैं। संविधान की धारा १५ भाग (४) धारा १६ भाग (४), धारा ३२०, धारा ४६ और धारा ३३५ के अन्तर्गत इस उत्तर प्रदेश प्रशासन ने आजादी के बाद अब तक १०६ शासकीय आदेश प्रसारित किये हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी ये विरोधी इसे क्या जानें, ये तो सिर्फ इसलिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं कि इनकी पब्लिसिटी हो। आज बजट में कहा गया कि पिछले बजट से ३० करोड़ रुपया कम किया गया है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट जो है, वह निश्चित है। सिर्फ बजट ही के माध्यम से हरिजनों पर ५३-०० करोड़ से ज्यादा रूपये खर्च करने का प्राविधान है। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिये जो विभागवाइज कार्यक्रम हैं, मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं ताकि हमारे विरोधी पक्ष के

[श्री राम जी राम—]

भाई इसको समझ सकें और महसूस कर सकें। यह समाज का कोढ़ है। चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, सभी इस बात को जानते हैं कि यह समाज का कोढ़ है। सभी जानते हैं कि समाज में अछूत के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। कभी उनके चूतर काट दिये जाते थे, कभी कान में शीसा डाल दी जाती थी, कभी जबान काट दी जाती थी। इसलिये हमारी नेता इन्दिरा गांधी जी ने घोषणा की है कि आरक्षण रहेगा चाहे हजारों आन्दोलन जारी रहें। यह तब तक रहेगा, जब तक कि समाज का यह पददलित वर्ग समाज के बराबर नहीं लाया जाता। इसीलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। लेकिन जो छात्रवृत्ति देने के लिए विद्यालय के मैनेजर हैं, प्रिन्सपल हैं, ये कौन हैं? ये उच्च वर्गों के ही हैं। ये ऐसे लोग हैं कि जब अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए स्कालरशिप दी जाती है, तो उसको खा जाते हैं। अभी फैजाबाद के एक विद्यालय का मामला उठा। ४ लाख २६ हजार का गबन पाया गया। समाज के इन अराजक तत्वों ने हरिजनों के अनुदान को हड़पने की कोशिश की। इनके लिए छात्रावास सबसे विकट समस्या है। कभी इन लोगों ने आवाज उठायी? आखिर ये लड़के कम्पटीशन में कैसे आ सकते हैं? रहने के लिए जगह नहीं। तालीम हासिल करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। जनरल हास्टल में रहने के लिये व्यवस्था नहीं। इसलिये सुझाव के रूप में कहना चाहूंगा कि आप बजट के माध्यम से ही हर जिले में हरिजन छात्रावास कायम करने के विषय में निर्णय करें। यह बेहतर जगह है जहां वे रहकर तालीम हासिल कर सकते हैं। इसलिये आश्रम पद्धति छात्रावास के स्वास्थ की बात है, जो छात्रावास हैं जिन्होंने गड़बड़ी पैदा की, उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। हम कहते हैं कि हरिजन छात्रों के लिए जो इन्जीनियरिंग में जाना चाहते हैं, जो मेडिकल में जाना चाहते हैं, उनके लिये अलग से पहले कोचिंग क्लासेस की व्यवस्था होनी चाहिये और इसमें सुविधा प्रदान की जाय ताकि कोई बच्चा उन सुविधाओं से वंचित न रह जाय। इसलिये आप अपने सेंटरों को विकसित कीजिए। प्रदेश में बढ़ाइये ताकि समाज में समूचे तौर से उनको लाभ मिल सके।

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि समाज में छुआछूत इनकी तरफ से है।

एक सदस्य—

चारों तरफ से है।

श्री रामजी राम—

हां, चारों तरफ से है। इसलिये छुआछूत निवारण अधिनियम जो बना है, उसको कड़ाई से लागू करना चाहिए।

यह सिर्फ कानून के बल पर, कानूनी अफसरों के बल पर, पुलिस के बल पर इस छुआछूत को दूर नहीं कर सकते हैं। यह ऐसी कोढ़ है जिसके कारण गांवों में अराजकता फैलती है। इनका कत्लेआम किया जाता है लोगों में यह भावना रहती है, कोई बड़ा है कोई छोटा, कोई राज्य करने के लिये पैदा हुआ है, कोई सिर्फ मजदूरी करने के लिये

पैदा हुआ है। अगर कोई अपनी मजदूरी की मांग करता है दासता से निकलने की बात करता है तो शोषक उसे दबाते हैं चाहे इधर के लोग हों चाहे उधर के लोग हों और मैं कहता हूं कि यह जलाने और दबाने का काम इस बात का लक्षण है कि उनका विकास होगा। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसके लिये एक व्यवस्था रहा है चाहिये और समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। उत्पीड़न के संबंध में एक बात उठाई गई थी कि गांव में सामूहिक रूप से घर जलाने के बात हो, कत्ल करने की बात हो, मारने की बात हो, तो यह क्या है। मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से यह अनुसूचित जाति और जन जाति के विकास का लक्षण है वह उठ रहे हैं और उस समय यह होना स्वाभाविक है और समाज में ऐसे लोग हैं जो उनको दबा कर रखना चाहते हैं। यह स्वाभाविक है कि उनमें संघर्ष होगा। यह सरकार को देखने की चीज है कि इस संघर्ष में उनको सही रूप से कानूनी संरक्षण मिलना चाहिये।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति निगम और हरिजन निर्बल वर्ग विकास आवास निगम के जरिए से हरिजन को अनुसूचित जातियों, जन जातियों को सहायता दी जाती है माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वह पैसा कानूनी अड़चनों के कारण उनको नहीं मिल पाता है। मैं चाहता हूं कि जो कानूनी अड़चनें हैं उनको सही तौर से दूर करने की कृपा करें ताकि वह सही माने में पैसा लेकर अपना कारोबार कर सकें। मैं एक बात कहना चाहता हूं नौकरी के मुताल्लिक। आरक्षण की बात की गई। मैं कहता हूं कि आरक्षण की बात हल की जा सकती है सिर्फ एक काम कर देना चाहिये। जो चयन समिति है इसमें एक वर्ग के लोग न हों। ५ वर्ग के लोग हों ब्राह्मण, ठाकुर, मुसलमान, पिछड़े वर्ग और हरिजन सभी हों और चयन समिति का अध्यक्ष अनुसूचित जाति का हो। तो यह आरक्षण की बात हल की जा सकती है। जो कहते हैं कि सुटेबुल कैन्डीडेट नहीं मिले। सुटेबुल कैन्डीडेट इसलिये नहीं मिलता है कि उसमें इस वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं होता है। अन्त में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अतिरिक्त २ मिनट का समय दिया।

श्री राम सागर—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय पाण्डेय द्वारा हरिजन समाज कल्याण के बजट पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में हरिजन के ऊपर अत्याचार बढ़ा है, उनमें बेरोजगारी बढ़ी है और उनकी आवासीय समस्या बढ़ी है। लेकिन मान्यवर, यह जो माननीय मंत्री जी ने बजट पेश किया है देखा जाय तो इसके हर मद में जो बजट है वह कम हुआ है। इसलिये मान्यवर, इस बजट से हरिजन का उत्थान कैसे हो सकता है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट को देखते हुए हरिजनों की समस्यायें ज्यों की त्यों रहने के बजाय और बढ़ेंगी। कांग्रेस का यह हरिजन बजट बिल्कुल उसी तरह से है जैसे गांवों में सिर पर रख कर लोग वाईस्कोप दिखाने वाले आते हैं और कहते हैं कि यह लालकिला देखो, ताजमहल देखो। ये इमारतें सुन्दर-सुन्दर दिखती हैं लेकिन क्या हरिजनों

[श्री राम सागर—]

के मकान भी इतने सुन्दर होते हैं गांवों में। उसी तरह से इनका यह बजट है। वोट मांगने के लिए विभाग हरिजन मंत्री को दे दिया और शोहरत हो गई कि हरिजनों को हरिजन विभाग सौंपा गया है और ये हरिजनों का कल्याण कर देंगे। यह कांग्रेस का शाइस्कोप है। मंत्री जी को मौका मिला कि हरिजनों के लिए बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन हरिजनों के लिए मुख्य मंत्री के पास जाकर कुछ कह नहीं सकते कि इस बजट को बढ़ा दिया जाये। उनके साथ भी हरिजनों जैसा ही व्यवहार होगा, डांट कर भगा दिये जायेंगे। हरिजनों के लिए जो आवासी समस्या है उसके निराकरण के लिए एक हजार रुपया १८ सौ रूपये का प्राविधान किया गया है लेकिन मान्यवर, आप देखें पिछले साल से कितनी मंहगाई बढ़ गई है। ईटों का क्या भाव हो गया, दो हजार में तो नीव भी नहीं हो सकती। तो इससे ये आवासी समस्या का निराकरण चाहते हैं और जो पैसा देते हैं उसमें भी घपलेबाजी होती है।

हरिजनों के नाम पर बड़े-बड़े लोग फायदा उठा रहे हैं। मैं एक उदाहरण आप को बताऊं, मेरे जिले बाराबंकी में सिद्धौर ब्लाक में एक नसीपुर गांव है वहां हरिजनों के नाम पर रामफेर, जगन्नाथ, सुनाथा, राम प्रकार केदार आदि के घर बन रहे हैं और ये सभी सवर्ण हैं। तो मान्यवर यह है हरिजनों की स्थिति और यह है इनकी व्यवस्था। शिक्षा के विषय में मान्यवर, छात्रवृत्ति का मामला है। जो देहातों में संस्थागत स्कूल हैं, सारे माननीय सदस्य सुन रहे हैं उनके जो प्रधानाचार्य हैं उनकी जो कमेटी है, छात्रवृत्ति एवं दूसरा पैसा खा जाते हैं और जो पुस्तकीय सहायता जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है हरिजन छात्रों के लिए वह उनको समय से नहीं मिलती और जो मिलती भी है वह कटौती करने के बाद मिलती है। पुस्तकीय सहायता तब मिलती है। जब छात्रों को उसकी आवश्यकता नहीं रहती, कक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं। इस संबंध में ऐसा कुछ कर दें कि जो इस तरह की सहायता दें उसका सदुपयोग छात्र करें। अन्य जितनी भी समाज की व्यवस्थायें हैं जो भी प्रशासनिक तौर से सुविधायें दी जाती हैं उस व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण हो रहा है।

हरिजनों को पहले कुटीर उद्योग धंधे का पैसा दिया जाता था, हर जिले में बांटा जाता था, जिला हरिजन अधिकारी यह देता था। लेकिन अब प्रदेश के जितने भी हरिजन अधिकारी हैं, उनको कुटीर उद्योग धन्धे का पैसा देने का कोई अधिकारी नहीं है, वह पैसा लखनऊ में एक कार्यालय है, वहां से वितरित होता है। यदि कोई हरिजन अपना प्रार्थना-पत्र दे दे तो उसका पता चलने वाला नहीं है कि वह प्रार्थना-पत्र कहां गया। मान्यवर, हरिजन विभाग के जो अधिकारी हैं, वे चाहे जिस जाति के हों, उनको हरिजन ही माना गया है। मान्यवर, सारे जिलों में किसी विभाग का कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जिसके पास जीप की व्यवस्था न हो लेकिन जिले के हरिजन अधिकारी के पास गाड़ी की सुविधा नहीं है। प्रदेश में हरिजनों की समस्यायें अगर कोई खड़ी हो जाय, तो वह कैसे देखेगा। इन्होंने इस मद का अनुदान भी कर दिया है। यही नहीं, प्रदेश में हरिजनों के उत्पीड़न की आये दिन घटनायें हो रही हैं और प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें गम्भीर घटनायें न हो रही हों। अभी फैजाबाद में १३ तारीख की घटना है,

वहां पालपुर गांव है, उसमें ठाकुर और हरिजनों की बिरादरी है। वहां के ठाकुर लोग हरिजनों से ४ आने पर काम कराते हैं . . . . .

(शेम-शेम की आवाजें)

. . .उसके विरुद्ध आवाज उठाने पर उन्होंने कहा कि तुम गांव छोड़ दो, जब वे गांव छोड़ने के लिये तैयार नहीं हुए तो सवर्ण इकट्ठा हुए और पालपुर गांव को घेर लिया और लोगों को मारा जिससे २ लोगों की घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी और बीसों लोग घायल हैं लेकिन उसके लिये कोई आंसू बहाने को नहीं हैं न उनका कोई बजट है। अगर बजट देखा जाय तो छोटे और बड़े मन्त्री का खर्चा ज्यादा है और हरिजनों को जो दिया जा रहा है वह कम है।

मान्यवर, हमारे जिले में एक ओंकार हरिजन था ब्लाक सिद्धौर थाना कोठी में उसे तरह-तरह से परेशान किया गया और उसे गांव छोड़ना पड़ा। जब वह चला गया तो उसके लड़के और उसके भाई को कत्ल कर दिया गया। कई बार प्रशासन को लिखा गया लेकिन प्रशासन में क्षमता नहीं है कि उसको वापस लाकर बसा सकें।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं देखिये यह कल का प्रार्थना-पत्र है हमारे जिले के सियाराम पुत्र गुरुदीन, निवासी गैंसवा उसमानपुर, हैदरगढ़, जिला बाराबंकी का जो परगना मैजिस्ट्रेट महोदय हैदरगढ़, बाराबंकी के नाम है। इस पर उन्होंने थानाध्यक्ष लोनी कटरा को लिखा कि-"बाद जांच आवश्यक कार्यवाही करें तथा न्यायालय पर आख्या भेजें।" मान्यवर, यह हरिजन प्रार्थना-पत्र लेकर गया और श्री राम किंकर की चिट्ठी भी लेकर गया। उस हरिजन के सामने परगनाधिकारी को और जो पार्लियामेण्ट के मेम्बर थे उनको बुरे बुरे अल्फाज कहे गये और कहा गया कि भाग जाओ नहीं तो तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम्हारी हालत खराब हो जायगी।

तो मान्यवर, इस प्रकार के मामलों में इनको देखना चाहिये और हरिजन कल्याण विभाग को ऐसे मामलों में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप विराजें, आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राम सागर—

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं पांडे जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री पन्ने लाल—

माननीय उपाध्यक्ष जी, हरिजन समाज कल्याण के बजट पर आपने बोलने का अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय पांडेय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया

[श्री पन्ने लाल—]

हैं मैं उसका विरोध करता हूं। एक बात की खुशी जरूर है कि पांडेय जी के दिल में हरिजनों के लिये दुख हो न हो लेकिन समाज को दिखाने के लिये उनके प्रति दुख जरूर है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष जी के माध्यम से, कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति में ६६ जातियां हैं और जन जातियां ५ प्रकार की पायी जाती हैं। माननीय मंत्री जी ने लगभग ५२ करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है, जो हमारी १९७१ की जनगणना है उसके आधार पर हरिजनों की जनसंख्या १ करोड़ ८५ लाख है। इस हिसाब से अगर देखा जाय तो २९ रुपया प्रति व्यक्ति आता है। लेकिन १६ फरवरी को श्रीमती इंदिरा गांधी ने हरिजनों के लिये ६०० करोड़ रुपये की धनराशि एलाट किया है। इसी प्रकार से ४७० करोड़ रुपया जन जातियों के लिये एलाट किया है। ३६ लाख रुपया भवन निर्माण के लिये और १ करोड़ २५ लाख रुपया गाय और भैंस खरीदने के लिये एलाट किया। ३ करोड़ रुपया जो उद्योग, कांपोनेंट प्लान चल रहा है उसके लिये एलाट किया है। हमारी सरकार जो श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार है वह हरिजनों के उद्धार के लिये बचनबद्ध है। हमारे माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं उनसे स्पष्ट है कि हरिजनों का उत्थान होगा।

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कुछ बातें सुझाव के रूप में अपने बजट में नोट करने की कृपा करें। पहली चीज है औद्योगिक शिक्षा, आपके लखनऊ में १३ उद्योगों की शिक्षा दी जाती है जिसमें लगभग २०० लड़के शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से गोरखपुर में प्रशिक्षण केन्द्र हैं जिसमें ४ प्रकार की औद्योगिक शिक्षा दी जाती है। इसमें ६४ लड़के अध्ययन करते हैं। जो नैनीताल में प्रशिक्षण केन्द्र है उसमें ९६ लड़के अध्ययन करते हैं और ६ प्रकार की शिक्षा दी जाती है। माननीय मंत्री जी गोरखपुर जिला पूर्वांचल का बहुत पिछड़ा जिला है, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया भी उसी मंडल में आते हैं जो कि पिछड़े हुये हैं। यहां पर खेतिहर मजदूर हैं, ८५ प्रतिशत लोग जो गांवों में निवास करते हैं उसमें से ५० परसेंट लोग भूमिहीन हैं। यहां पर उद्योग धंधे नहीं हैं। सबको विदित है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के मजदूर अपने देश में ही नहीं विदेशों में, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे १३ जिलों में जहां कहीं जायं वहां जरूर मिलेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से १३ उद्योगों की शिक्षा लखनऊ में दे रहे हैं तो अगर इससे अधिक नहीं दे सकते तो कम से कम १३ उद्योगों की शिक्षा गोरखपुर में करने का कष्ट करें। माननीय मंत्री जी ने छात्रावासों के लिये बजट में प्राविधान किया है। मैं मंत्री जी का ध्यान गोरखपुर जनपद की तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां पर विश्वविद्यालय और ४ डिग्री कालेज हैं। लगभग १३ इंटरमीडियेट कालेज हैं और इसके अलावा भी और तमाम कालेज हैं। गोरखपुर जनपद में छात्राओं के लिये कम से कम एक छात्रावास की व्यवस्था करें। क्योंकि छात्र तो कहीं भी रह सकते हैं लेकिन छात्राओं के लिये रहने की समस्या है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां पर छात्राओं के लिये एक छात्रावास की व्यवस्था करें।

हमारे बहुत से साथियों ने निवेदन किया कि हरिजनों को जो धनराशि जाती है उसमें बहुत घोटाला होता है। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि विकास खंड गगहा

में खखाइजरखार एक ग्राम है, वहां एक भी हरिजन घर नहीं है और हरिजन के नाम पर सरकारी कुआं बना हुआ है, ३१०० रुपये पेमेंट किया गया है। इसके लिये विकास खंड अधिकारी को शिकायत की गई थी। खाद्यान्न योजना में भी यह घोटाला किये हैं। इस संबंध में इनका स्थानान्तरण वहां से हो गया है। ८९ टन गेहूं वहां खाद्यान्न योजना का पड़ा है जिसका उन्होंने चार्ज नहीं दिया है। वह ८९ टन गेहूं जुलाई, १९७९ से सड़ रहा है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही करें, उनको सस्पेंड ही नहीं बल्कि डिसमिस करें। अगर इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करेंगे तो इस विभाग में सुधार संभव नहीं है क्योंकि उनके ऊपर बैठे अधिकारी अधिकांशत: सवर्ण हैं जो यह नहीं चाहते कि गरीबों का उद्धार हो। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इतना बजट दिया है हरिजनों के उद्धार के लिये, अभी बहुत से सदस्यों ने कहा कि यह केवल दिखावा मात्र है। मैं १९६७ की संविद सरकार की बात बताना चाहता हूं, उस समय किसानों के रहनुमा चौधरी चरण सिंह ने हरिजनों की स्कालरशिप में कटौती कर दी और तमाम छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने हमको पैसा नहीं दिया इसलिये हम नहीं दे पाये। उस समय हरिजनों ने चौधरी चरण सिंह को हरिजन विरोधी भी कहा था।

दो सुझाव मैं देना चाहता हूं। पहला यह कि मंत्री जी जो उद्योग के लिये पैसा देते हैं, मैं चाहता हूं कि वह सारे पैसे से उद्योग खुद खोलकर उसमें हरिजनों को नौकरी दें। इससे उनका बहुत उद्धार होगा। दूसरी बात यह है कि आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है कि आप हरिजनों का १८ परसेंट कोटा पूरा कर दें तो भी ५० परसेंट हरिजनों का कल्याण हो जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

श्री रामधनी—

माननीय, उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। जो बजट मंत्री जी ने हरिजन कल्याण का रखा है वह बजट मेरे ख्याल से कोरी कल्पना ही है। मैंने अपनी जिन्दगी के अनुभव में देखा है कि हरिजन कल्याण विभाग से जो भी अनुदान, छात्रवृत्तियां अथवा सुख-सुविधायें दी जाती हैं वह सब बड़े-बड़े अधिकारियों तक ही सीमित रह जाती हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरी समझ से मंत्री जी का यह बजट वैसा ही है जैसे मछली को फंसाने के लिये कांटा में चारे की जरूरत पड़ती है। चारे के माध्यम से मछली को फंसा दिया जाता है वैसे ही माननीय मंत्री जी का जो बजट है वह मात्र हरिजनों को फांसाने के लिए ही है। उपाध्यक्ष महोदय जी, यह बात सही हो सकती है जिन-जिन लोगों को सुविधाएं मिलती हैं या ऐसा अवसर मिलता हो वही हरिजन कल्याण के बजट की तारीफ कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी को ऐसा अवसर मिला है जिससे वह इस बजट की तारीफ कर रहे हैं। मेरी समझ से माननीय मंत्री जी की बात उतनी ही सही है जिस तरह से किसी नाऊ ने राजा से कहा कि उसको खाने को भात व दूध मिल रहा है और सारी प्रजा को भी भात व दूध

[श्री राम धनी—]

मिल रहा है। इसी तरह से मंत्री जी इस बजट की प्रशंसा कर रहे हैं कि सारे समाज को आज दूध व भात मिल रहा है। जो सुविधाएं आज हरिजनों को मिल रही हैं वे क्या इन्दिरा गांधी की देन हैं ? जिस समय डा० भीमराव अम्बेदकर लड़ाई लड़ रहे थे गरीबों और दलितों को ऊंचा उठाने के लिए उस समय इन्दिरा गांधी की कौन कहे कांग्रेस के जन्म-दाता और उसके रहनुमा दिखाई नहीं देते थे। मुझे तथा मंत्री जी को जो आज यहां आने का अवसर मिला तो यह बाबा साहब डा० अम्बेदकर की देन है। यह न इन्दिरा गांधी की देन है और न किसी अन्य की देन है। मुझे वह भी इतिहास याद है जब अंग्रेजी हुकूमत थी उस समय हमको यह पढ़ने को नहीं मिलता है कि हरिजनों की बस्तियां जला दी गयी, या उन पर बलात्कार किया गया। लेकिन जब से कांग्रेस की हुकूमत आई है तब से हरिजनों के घर, उनको जिन्दा जलाने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, इसमें कमी नही आ रही है। ये घटनाएं आखिर क्यों बढ़ रही हैं। हमारे यहां होली का पर्व एक दिन होता है लेकिन आज अखबारों में देखते हैं कि हरिजनों के घर हर महीने जलाकर होली खेली जाती है। इसके लिए एकमात्र दोषी हमारा यह प्रशासन है। मंत्री जी ने कहा कि जिनका घर जला दिया जायगा या जिसको जिन्दा जला दिया जायगा उसको ५ हजार अथवा दो हजार रुपया दिया जायगा। इस तरह से मेरा तो यह खयाल है कि इस बजट से इस तरह के अमानवीय कुकर्म बजाय घटने के बढ़ेंगे। इसकी जगह बजट में अगर यह बात लिखी गयी होती कि समाज में जो ऐसा दुष्कर्म करेगा उसको कठोर दंड दिया जायगा ताकि भविष्य में किसी की हिम्मत न हो कि इस तरह का कुकर्म करने की।

बनारस की घटना है कि २५ घर जला दिये गये और उनको थोड़ा सा रुपया देकर शान्त कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के घर जलाये गये आखिर प्रशासन उनके लिए क्या कर रहा है ? क्या उनको रोकने का प्राविधान लाया गया है। इसलिए मांग करता हूं कि उस जगह जो छोटा सा अनुदान दिये हैं, अच्छा होता कि इस बजट में संविधान में सदन के सामने एक ऐसा निर्णय लेते कि जितने जघन्य कार्य और कुकर्म समाज में हो रहे हैं वे समाप्त हो जाते।

मान्यवर, हरिजनों की बात आयी है तो जो मुसहर जाति के लोग हैं जिनके बच्चे किसी के यहां जब दावत में जाते हैं तो एक तरफ उनके बच्चे पत्तल की तरफ दौड़ते हैं और दूसरी तरफ कुत्ते दौड़ते हैं, यह कांग्रेस की देन है। इसी प्रकार आज भी मनुष्य, मनुष्य के मैले को ढोने का कार्य करते हैं।

मान्यवर, २-३ सुझाव मैं और देना चाहता हूं कि आज मान्यता प्राप्त जितने हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेजज हैं उनको देखने से ऐसा लगता है कि कहीं न चपरासी हैं और न अध्यापक हैं। मैं इसलिए चाहता हूं कि इन मान्यता प्राप्त कालेजों में आरक्षण की जगह चपरासी और अध्यापक रखे जायं। इसके अलावा प्रदेश में जहां भी आरक्षण है चाहे वह प्रमोशन का हो या पोस्टिंग का हो सब में आरक्षण रखा जाय।

मान्यवर, गाजीपुर में हरिजन सहायक समिति बनी है उसमें सारे लोग सवर्ण हैं, उसका अध्यक्ष पंडित है, पता नहीं वह क्या करते हैं, कोई जानकारी नहीं होती है, उसमें बड़ा घोटाला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसकी जांच हो जाय। इसके साथ ही पूर्वांचल के सम्बन्ध में जो पटेल आयोग की सिफारिशें हैं और मंगल देव विशारद की रिपोर्ट जो है उसको लागू किया जाय जिससे हरिजनों का उद्धार हो। गाजीपुर में १५ दिन से बिजली गायब है इसलिए वहां बिजली चालू की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

बिजली के सम्बन्ध में बिजली अनुदान में बोलेंगे। आपका समय समाप्त। आप बैठ जायं।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

उपाध्यक्ष जी, आपने आज हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के बजट पर मुझे विचार व्यक्त करने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, बहुत देर से सुन रहा हूं कि हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण विभाग इस देश और उ० प्र० की सरकार में अलग से विभाग कायम किया गया है। मान्यवर, इस विभाग में हरिजन कल्याण के सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हरिजनों के उत्थान से सम्बन्धित चार मुद्दे निर्धारित किये गये हैं—एक तो आर्थिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा शैक्षिक और चौथा राजनीतिक। इन मुद्दों में बांटकर हरिजनों के कल्याण का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है और जब से आजादी हुई है उससे पहले ही एक विचार निश्चित कर लिया गया था और उसके बाद उसको कार्यान्वित किया जा रहा है, इन मुद्दों में बांटकर। मैं कहना चाहता हूं कि इस हिन्दुस्तान की धरती पर जैसे सब लोग हैं वैसे ही हम हरिजन लोग भी हैं लेकिन उनके कल्याण से संबंधित चार मुद्दों में उनके विकास का निर्णय लिया गया। आखिर इसके पीछे राज क्या है। यह क्यों सोचा गया, क्यों आजादी के बाद उनके कल्याण के लिए विभाग बना दिया गया। जब इस पर विचार करते हैं तो एक श्लोक याद आता है जिसको आपके सामने में प्रस्तुत करना चाहता हूं और वैसी ही अनेक बातें आपके सामने आयी होंगी।

"उच्छिष्टमन्नं दातव्यम जीर्णानि बसनानिच,
पुलकश्चैव धान्यानाम जीर्णाश्च परिच्छदा।"

इसका उल्लेख करने में तो समय ज्यादा हो जायेगा अगर आप आज्ञा दें तो मैं इसकी व्याख्या कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष—

व्याख्या अवश्य कर दें।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

इसकी व्याख्या यों है कि जो सबसे रद्दी जूठा अन्न हो, उसे खाने को दिया जाय। और जो वस्त्र जीर्ण-शीर्ण हो गया हो, पहना हुआ पुराना और फटा हो उनको पहनने के लिए दिये जायं, जिसमें कोई दम न हो ऐसे अन्न दिये जायं। उनको मकान बनाने के लिए ऐसा सामान दिया जाय जो बिलकुल बेकार हो जैसे पुराना सड़ा रद्दी बांस वगैरह, उसी को उन्हें घर बनाने के लिए दिया जाय। मनुःस्मृति में इस तरह की व्यवस्था आज हरिजन कहे जाने वाले लोगों के लिए पहले थी।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको पढ़ने से ऐसा नहीं लगा कि यह किसके लिए कहा गया है। रिफरेन्स टू कान्टेस्ट बताना चाहिए।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मेरा मतलब यह है कि यही हिन्दुस्तान है, इसी हिन्दुस्तान में समाज को बनाने वाले लोग हैं। जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके लिए इस तरह की उक्त व्यवस्था थी लेकिन जब हमारे हिन्दुस्तान में पूरी परिस्थितियों का अध्ययन करने वाले निकले, तो सबने समझा कि यह हमारे हिन्दुस्तान की धरती पर जितने भी मानव हैं, जो पिछड़े हैं, उनका भी विकास होना चाहिए। जब देश आजाद हुआ है तो इसमें जो हरिजन लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनका भी कल्याण किया जाना चाहिए और यह जो बराबर पुरानी मान्यताएं चली आ रही हैं, इनको समाप्त करना चाहिए।

हमारे महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस चली तो इसी कांग्रेस ने उनके कल्याण के लिए फैसला लिया। अभी-अभी हमारे मित्र रामधनी जी कह रहे थे कि इसको श्री भीम राव अम्बेदकर ने इसमें लड़ाई लड़े लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे नेता महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने, उनकी कांग्रेस ने, उनकी सरकार ने इनको मान्यता दी थी। इसके बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देखा कि इनका कल्याण जितना करना चाहिए था, उतना नहीं किया जा रहा है तो इसके लिए उन्होंने आगे चलकर बीस सूत्रीय कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया और उसके अनुसार कल्याण कार्य किया जा रहा है।

जहां-जहां कुछ नहीं था, आजादी की लड़ाई के बाद वहां बहुत कुछ मिल रहा है। मैं वही व्यक्ति हूं मुझे याद है कि बचपन में चारपाई पर बैठने नहीं दिया जाता था और आज भी वही व्यक्ति हूं कि आज विधान सभा में सब लोगों के साथ बैठ रहा हूं, सबके साथ चल रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है।

आप सब विरोधी दल के लोग धीरज से सुनें। जहां तक शिक्षा का सवाल है, सुविधाएं मिल रही हैं, वजीफा मिल रहा है। बस एक निवेदन है कि अगर सरकार कर सके, अगर उसका बजट उसे अनुमति दे तो जैसे कि कक्षा १० से ऊपर के सभी लड़कों को, सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दे दी गयी है, उसी तरह से कक्षा १० से नीचे वाली कक्षाओं

के सभी बच्चों को भी छात्रवृत्ति देने का प्राविधान कर दें ताकि वे १० कक्षा तक पहुंच जायं । कम से कम कक्षा दस तक तो उनको पहुंचा ही दें ।

इसके बाद आर्थिक मामले का जहां तक प्रश्न है सरकार ने निर्णय लिया है कि हरिजनों का, पिछड़ी जातियों का, अनुसूचित जातियों का उत्थान किया जाय । इसके लिए सरकार उनको जो अनुदान देती रही है, परन्तु वे गरीब लोगों के, पैसों को अन्य लोग खा जाते हैं, इसलिए इससे उनको लाभ नहीं मिल पाता है । इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि इनको अनुदान हम देंगे लेकिन साथ ही साथ यह भी है कि जब यह कर्ज लेंगे बैंक से । ऐसी स्थिति में एक परेशानी है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और सुझाव देना चाहता हूं कि यह बैंकों के लोग गारन्टी मांगते हैं और यह गारन्टी उनको मिल नहीं पाती है जिससे अनुदान की धनराशि बेकार पड़ी रह जायेगी इसलिए सरकार से और हरिजन विभाग के मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आप बैंक से तो यह कहने जायेंगे नहीं कि इनको कर्जा दे दें । इसलिए सरकार से मेरा सुझाव है कि वे इस हरिजन मद में जितनी धनराशि खर्च करते हैं उतना पैसा और बढ़ा दें और उससे एक उद्योग प्रत्येक जिले में खड़ा कर दें तो ज्यादा फायदा होगा या सरकार बैंक की गारन्टी स्वयं ले ले । इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि एक अभियान चलाया जा रहा है हरिजन विभाग और समाज कल्याण विभाग को अलग करने का । मैं इस पक्ष में नहीं हूं । हरिजन को समाज कल्याण विभाग के साथ जोड़कर जो कुछ लगाव रखा गया है समाज से यदि वह भी खत्म कर दिया जाय तो उचित नहीं है । अन्त में एक मांग करना चाहता हूं कि हरिजन कल्याण का मामला बहुत विस्तृत है । हर तरह से यह पिछड़ा हुआ है इसके लिए हरिजन कल्याण विभाग आज तीन हिस्सों में बांट दिया गया । अनुसूचित जाति, वित्त निगम और कम्पोनेन्ट

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

प्लान । हरिजन कल्याण विभाग में जो सुपरवाइजर बनाये गये हैं और जिनको १५ रु० भत्ता दिया गया है उसके सम्बन्ध में मैं सरकार से मांग करता हूं और माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि एक-एक ब्लाक स्तर पर एक-एक सुपरवाइजर की नियुक्ति कर दें । अगर ऐसा कर दें तो बड़ी बारीकी से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय मंत्री महोदय ने हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

[समय ४ बजे]

श्री राम स्वरूप निम—

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय पाण्डेय द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय अध्यक्ष जी अखबारों में एक नाटक पढ़ा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी फतेहपुर सीकरी में एक मीटिंग बुला रही हैं और वह भाषण दे रही हैं कि हम देश की एकता को कायम रखना चाहते हैं । दूसरा नाटक यह पढ़ा कि नेशनल इन्टीग्रेशन के नाम से एक मीटिंग बुलाई गई । उसमें विरोध पक्ष के लोगों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम स्वरूप निर्म—]

को भी बुलाया गया। यह केवल चौधरी चरण सिंह थे जिन्होंने यह समझा कि यह केवल एक नाटक है और कुछ नहीं है और इसीलिए वह नेशनल इन्टीग्रेशन की मीटिंग में नहीं गये। ठीक वही स्थिति आज है इस हरिजन बजट की। इन सामन्तों के बीच जो आज मंत्रि-परिषद् में बैठे हैं, उनकी कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई और छेदालाल जी से कहा गया कि आपको हरिजन कल्याण विभाग के लिए इतना पैसा स्वीकार किया जायेगा और इस पैसे के आधार पर ही आपको मंत्री पद दिया जायेगा, आप क्या कह रहे हैं ? तो मंत्री जी को कहना था कि मुझे मंत्री बना रहने दीजिए, मैं इसी में काम करता रहूंगा, बात मान ली। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि इस हरिजन कल्याण और समाज कल्याण को हम बांटना चाहते हैं। आपको इस में अपनी संस्तुति देनी होगी। माननीय मंत्री जी चुप रहे। अच्छा है यह भी कर लिया। माननीय मंत्री जी मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि इतिहास और ये हरिजन लोग आपको बकसेंगे नहीं। ये कहेंगे कि अगर किसी ने भी विश्वासघात किया है तो हमारे अपने ने किया है। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में वह सोचें और समझें। अगर अलगाव और बंटवारे की कांग्रेस सरकार की नीति रही तो इसका परिणाम उन्हें खुद भी भुगतना पड़ेगा। वह मंत्री हमेशा नहीं रह पायेंगे। मेरा नम्र निवेदन है कि पिछले साल जो बजट एलाट किया गया था उसके हर मद में कटौती की गई। यहां तक कि जो पैसा सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह पर खर्च की जानी थी उसमें भी कमी आई है। मैं नहीं समझता कि उसमें माननीय मंत्री जी ने किस तरह से कटौती की है। क्या इन्होंने स्टाफ घटाया या उन की तनख्वाह कम कर दी ? वह अच्छी तरह समझते होंगे। शायद उन पर दबाव पड़ा हो कि इतना कम कर दीजिए और उन्होंने कहा हो कि अच्छा करता हूं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसी तरह की नीतियों से परेशान होकर डा० भीम राव अम्बेदकर ने जब आजादी आई तो कहा था कि आजादी कहां है। आजादी में जब हमको कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता, स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता, कहां की आजादी है ? उन्होंने लड़ाई छेड़ी, अनशन किया। उस समय वह मजबूर थे। परिणाम यह हुआ कि पूना पैक्ट हुआ और हम लोगों के सामने उन्हें झुकना पड़ा। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पक्ष के लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने यह कार्य किया है, वह डा० भीम राव अम्बेदकर थे। जिन्होंने कांग्रेस की कैबिनेट से इस्तीफा देकर यह घोषणा की थी कि ये इतने अत्याचारी और अन्यायी हैं कि इनके साथ रहकर काम नहीं हो सकता। उन्होंने मांग की थी कि हरिजनों का भला होना है तो जो लोग हरिजन हैं उन्हें अपने धर्म को परिवर्तित करना होगा। क्यों, उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म को मैं अच्छा मानता हूं। अगर सारे हरिजन बौद्ध हो जायं तो दूसरे बौद्ध देश चीन, मलाया, जितने भी दुनियां के देश हैं अगर उन लोगों पर अत्याचार होंगे तो वे चिल्लायेंगे कि मेरे लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। इसीलिए उन्होंने बौद्ध होने की यह बात कही थी। तो इसी तरह से इस सरकार के आंकड़ों के हर मद को जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि हरिजन को हर मसले पर इन्होंने ऋण दे दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब मारुति लिमिटेड नहीं चल पायी तो सरकार ने उसका

राष्ट्रीयकरण किया क्योंकि उस पर करोड़ों रुपये का गबन हो गया। हरिजनों को कोई पैसा बाकी रह जाता है, पहले तो पैसा दिया ही नहीं जाता, दिया भी जाता है तो पहले ही कटौती कर ली जाती है, तो उसको ऐसी पट्टी पढ़ाई जाती है कि वह उस कर्ज का ब्याज ही इतना हो जाता है कि उसको देते-देते वह पैसा नहीं बचा पाता है। जो यह कम्पोनेन्ट प्लान्ट है इसके बारे में मैंने पिछले साल भी बजट पर कहा था यह केवल एक धोखा है। सरकार कुछ भी हरिजनों के लिए नहीं करना चाहती है। मेरा दावा है कि उनकी लिस्ट भी नहीं बन पाई है कि कितने लोगों को कम्पोनेन्ट प्लान्ट के अन्दर क्या राहत देना चाहती है। उन्होंने कागजों पर प्लान बना लिया और उसके अनुसार आप उनके लिए भैंस खरीदवाना चाहते हैं, उनको छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे दिलाना चाहते हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उस पक्ष के एक सज्जन ने मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कहा था कि ३-४ हजार रुपये में डेढ़ सुअर भी नहीं आता है। तो कौन सी इण्डस्ट्री वह इतने पैसे में लगायेगा, कैसे वह कोई स्माल स्केल इण्डस्ट्री खोल पायेगा। इसका क्या औचित्य है।

मैं चाहूंगा और मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री जी बजट के इस पैसे को हरिजनों के बच्चों पर शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने की कृपा करें ताकि अगर वे पढ़-लिख जायेंगे तो वे अपने आप यह विचार कर लेंगे कि हमको क्या करना है और वह कुछ न कुछ करने के लिए अपना रास्ता खोज लेंगे। इसके अलावा जैसा कि माननीय पांडेय जी ने कहा कि डेढ़ हजार रुपया आप उनको मकान बनवाने के लिए दे रहे हैं और उतने में मंत्री जी अपनी भैंस को रखने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। आज ऐसी स्थिति है कि इतने पैसे से, इस तरह के लालच से क्या हालत होने वाली है। मैं चाहूंगा कि बजट के सारे पैसों को खर्च करने के लिए एक ठोस स्कीम हरिजनों के लिए बनायी जाय और उसी के हिसाब से पैसा एलाट किया जाय। आज सरकार एक तरफ हरिजन और किसानों के लिए दुहाई देती है और दूसरी ओर शेखूवाला और कफल्टा कांड कराकर उनको जलाया जाता है, उनको लूटा जाता है और आज उनको राहत देने के बारे में बात कही जाती है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि दो बार हमारी यहां की एक समिति ने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया लेकिन बहुमत आपका है, सरकार आपके हाथ में है इसलिए वह कार्यक्रम भी पूरा नहीं होने पाता है। अगर हरिजनों के ऊपर इसी तरह से अत्याचार होता रहा और मंत्री जी इसी तरह से कैबिनेट में बैठे रहे तो उनका कोई भला होने वाला नहीं है। मान्यवर, मैंने हरिजन कल्याण मंत्री और राजस्व मंत्री से कहा था कि अगर इसी तरह से हरिजनों के साथ अन्याय किया जाता रहा और इसी तरह से आप उनके लिए बंटवारा करते रहे और जाति से उनको अलग करते रहे तो वह दिन दूर नहीं है कि जिस तरह से बाबू जगजीवन राम के ऊपर हरिजनों के नाम पर कालिमा पोती गई उसी तरह आपके ऊपर भी वही कालिमा पोती जायेगी। अन्त में समय का ध्यान रखते हुए मैं पांडेय जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री जी जो

[श्री राम स्वरूप निम—]

बजट लाये हैं उससे हरिजनों के बच्चों का भला होने वाला नहीं है उसका मैं विरोध करता हूं ।

*श्री हरदेव—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हरिजन समाज कल्याण के बजट पर मुझे अपनी भावनायें व्यक्त करने का अवसर दिया है इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को जो हरिजन कल्याण का बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसका हार्दिक स्वागत करता हूं साथ ही पक्ष और विपक्ष के वाद-विवाद जो हरिजन कल्याण सम्बन्धी योजनाओं और स्कीमों के बारे में यहां पर कहे गये हैं, उनको सुना और उनका अध्ययन भी किया । मान्यवर, हरिजनों की कुछ विचित्र समस्यायें हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हरिजन जब खेत में काम करता है तो वह भगवान है, जब खान में मजदूरी करता है तब भगवान है, जब राजनीति में हम सबको यहां भेजने में सहयोग करता है तब भगवान है और समाज के हर समय सेवा और कल्याण करने में लीन है तब भगवान है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हम जन प्रतिनिधि यहां उनके द्वारा भेजे जाते हैं तो वे हमारे भाग्य विधाता के रूप में मानते हैं । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी बहुत बड़ी समस्यायें हैं जैसे आवास की, भोजन की, कपड़े की, शिक्षा की जिसको उसे उपलब्ध कराया जाय ताकि वह समाज में सम्मान के साथ रह सके । आप लोगों ने इस पर गौर नहीं किया । मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से समाज कल्याण मंत्री जी से कि हरिजन समाज में मेहनत करने वाला मजदूर है वह इन्साफ पसन्द व्यक्ति है । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी उसे इन्सानियत की जिन्दगी बिताने का विशेष अवसर नहीं मिल पाया है । आज भी उसके बच्चे जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं उसको होस्टल में जाड़ों में सिसकते हुए देखा है और बिना भोजन के वह रहता है । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो मजदूर हैं, हरिजन हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके बच्चों को होस्टल में भोजन और कपड़े की व्यवस्था होनी चाहिए । इन्सान बिना आग के रह सकता है लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकता । पहले उसके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, फिर बाकी चीजों की । आज भी बलिया, आजमगढ़ आदि हर जिले में ऐसे क्षेत्र हैं जहां हरिजनों के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पायी है । उसके लिए कुंए में १०, ५ हैंडपम्प लगा दिये जायं जिससे वह पानी ले सकते हैं तो इससे उनकी पानी की समस्या हल हो सकती है । पिछली सरकार ने हरिजनों के लिए जो भी अनुदान रहे उससे उन्हें अनुदान रहित कर दिया ।

लेकिन हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हरिजन उत्थान के लिए ११९ करोड़ रुपये की जो स्कीम दी है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को भी जिन्होंने इस कार्य में दिलचस्पी ली है बधाई देता हूं । उनके लिए एक स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की योजना दी है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसके लिए जैसे हिल डेवेलपमेन्ट के लिए सचिव रखे गये हैं वैसे ही अलग से सचिव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रखे जायं उन्हीं के माध्यम से यह पैसा खर्च होना चाहिए जिससे कमजोर वर्ग और हरिजनों के लिए जो पैसा रखा गया है वह उन तक पहुंच सके। और जिसका हिसाब किताब हमें और आपको मिल सके नहीं तो वह बेकार ही पैसा वितरित हो जायेगा और कोई भला कमजोर वर्ग का नहीं होगा।

दूसरी बात छात्रवृत्तियों की है उसमें बड़ी अनियमितताएं हैं यह अफसोस की बात है कि जो गरीब छात्र हैं उनको ६ महीनों से पैसा न मिलने से भोजन नहीं मिल पाया है। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो उनका मस्तिष्क कैसे विकसित होगा। तो उनको अगस्त से अगर जुलाई से नहीं तो छात्रवृत्ति मिल जानी चाहिए और वह इतनी मिलनी चाहिए जिससे वह अपने भोजन की व्यवस्था कर सके ताकि संविधान में जो प्रदत्त सुविधाएं हैं पढ़ाई की उसको वह ग्रहण कर सके। मैंने देखा है कि जो समाज में उच्च वर्ग के लोग हैं वह इन्टर और हाइस्कूलों में प्रिन्सिपल हैं वह सारे स्कालरशिप के पैसे का गबन कर देते हैं और उस धन के वितरण की व्यवस्था आप ठीक तरह से करायें।

एक बात और कहना चाहता हूं कि हरिजन लड़कियों और बहनों को सिलाई की मशीन हर जिले में दी जायं और उनके लिए सिलाई केन्द्र खोले जायं जिससे हमारी बहनें और बेटियां सिलाई का काम सीखकर समाज की सेवा कर सकें और अपने भोजन के लिए कमाई कर सकें। हर जिले में इस प्रकार की स्कीम होनी चाहिए। उनके लिए कालीन उद्योग कताई-बुनाई का काम आदि स्कीम भी चलाई जाय। हरिजनों के साथ ही साथ कमजोर वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनके उत्थान के लिए भी बजट में पैसा मिलना चाहिए ताकि वह भी इन्सानियत की जिन्दगी बिता सकें।

निराश्रित तथा विधवाओं की परवरिश के लिए भी जो बजट में व्यवस्था है उसे बढ़ाया जाय। उनका ४०—५० रुपये में भरण-पोषण नहीं हो सकता है। उसको कम से कम ९० रुपये होना चाहिए।

आपने प्रदेश में जो पौष्टिक आहार की योजना चलायी है उनसे इन लोगों को कोई लाभ नहीं हो पाता है। मेरी प्रार्थना है कि इस योजना को रसरा, बलिया और आजमगढ़ में भी चलायी जाय जिससे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रह सके। आप कैबिनेट में बैठते हैं और कैबिनेट की मीटिंग में आप अपने सहयोगियों पर इस बात का जोर डालें कि जो पिछड़ी जातियों के सुटेबिल अभ्यर्थी हों उनको चुना जाय ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र ज्ञानपुर में एक विद्यालय है जिसमें हरिजन कल्याण के नाम पर लाखों रुपया ले लिया जाता है लेकिन न वहां पर कोई हरिजन का लड़का है न उनकी शिक्षा की ही कोई व्यवस्था है। फर्जी नाम से पैसा ले लिया जाता है और उसे गोल कर दिया जाता है। मान्यवर, हमारे इलाके में गोंड़, बियार, मल्लाह, भर, कहार आदि ऐसी जातियां हैं जो कमजोर वर्ग और बैकवर्ड की श्रेणी में आती हैं। हमारे

श्री हरदेव—

पूर्वान्चल में ये जातियां अन्टचेबिलिटी में भी नहीं आती हैं, वे बड़े-बड़े घरानों में सेवा भी करते हैं। उनके उत्थान के लिए भी सरकार को सहायता करनी चाहिए।

उदाहरण के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हाल में कोआपरेटिव संस्थाओं के भंडार निगमों में २६ आदमियों का इन्टरव्यू हुआ जिसमें कम से कम ४—६ हरिजनों को अवश्य लिया जाना चाहिए था लेकिन एक को भी नहीं लिया गया। हरिजन जो समाज के कमजोर वर्ग के आदमी हैं, उनको रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था की जाय। उनकी भलाई के लिए उनको दवाई आदि भी दी जाय। जितने भी हरिजनों के छात्र हैं उनके लिए स्कूल और छात्रावास खोले जायं। उनमें टीचर्स रखे जायं उनको १०० और ५० रुपया न देकर उचित तनख्वाहें दी जायं।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे हरिजन समाज कल्याण के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, इस विभाग का बड़ा सुन्दर नाम रखा गया है लेकिन जिस प्रकार से सुन्दर इसका नामकरण किया गया है, हरिजनों को उन्हें उस प्रकार का लाभ और दी जाने वाली सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जिससे उनका कल्याण हो सकता है लेकिन सबसे बड़ी जो कमी है, इस विभाग के अधिकारी तानाशाही करके उसका लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचने देते हैं, जिनको मिलना चाहिए। अभी हाल में यह हुआ था कि हरिजनों के लिए तमाम किस्म की सुविधाएं दी जायेंगी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा था लेकिन बजट को देखने के बाद देखने में आया कि यह शून्य ही है। इसमें सत्ता पक्ष की ओर से दिखावा मात्र ही रखा गया है। मान्यवर, हरिजनों को सुविधाएं जो दी जाती हैं, उस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि हरिजनों के नाम पर जो सुविधाएं दी जाती हैं, वहां के सरकस और बड़े लोग सारी सुविधाएं ले लेते हैं। जैसे आपने हैंड पाइप की सुविधा दे दिया, स्कूल खोलने के लिए सुविधा दे दिया, तो उसमें बड़े लोग हैं, सरकारी लोग हैं, वे स्कूल खोल लेते हैं और हरिजनों को कोई लाभ नहीं हो पाता है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारे क्षेत्र में इस तरीके की बात आई थी और यह हुआ था कि जो हरिजनों का १८ प्रतिशत का कोटा पूरा नहीं हो रहा है और इसी सम्बन्ध में पिछले सत्र में एक प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से रखा गया कि हरिजनों का १८ प्रतिशत का कोटा जो नहीं पूरा हो रहा है इसके लिए एक उच्च अधिकारी की नियुक्ति की जाय। मान्यवर, हम लोगों ने इसका समर्थन किया लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों ने इसका घोर विरोध किया और कहा कि अगर इस तरह से किया गया, तो सरकार फेल हो जायेगी। मान्यवर, इस १८ प्रतिशत कोटा पूरा करने के लिए एक उच्च अधिकारी की नियुक्ति तत्काल होनी चाहिए जो कि वह देखे कि हरिजनों का कोटा पूरा हो रहा है कि नहीं।

अभी एक श्रीवास्तव जी हैं, उनके सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहूंगा। इस प्रदेश में विकलांग दिवश मनाया जा रहा था, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की तरफ से उसमें यह कहा जाता है कि हरिजन और अनुसूचित जाति को और विकलांगों को सुविधाएं दी जायेंगी। मैं तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि०, लखनऊ के अन्तर्गत कार्यरत श्री श्याम जी श्रीवास्तव का उदाहरण पेश कर रहा हूं। उक्त निगम में श्री श्याम जी श्रीवास्तव की आशुलिपिक के पद पर ३० मार्च, १९७८ से १९ मई, १९७८ तक दैनिक वेतन पर तथा १२ मई, १९७८ को नियमित रूप से नियुक्ति हुई थी। दो साल से ऊपर की अवधि तक कार्य करने के बाद उन्हें अकारण निकाल दिया गया। इसी सम्बन्ध में एक अतारांकित सवाल किया गया था और जवाब आ गया कि इसे पुनः सर्विस में रखा जा रहा है और नियुक्ति आदेश भी दे दिया गया, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से यह नवजवान भूखों मर रहा है। ये अधिकारी लोग कहते हैं कि हुए होंगे मंत्री जी के आदेश, ऐसे आदेश बहुत से आया करते हैं। तो मान्यवर, ये अधिकारी लोग इस प्रकार से मंत्री जी के आदेशों का भी उल्लंघन करते हैं। मान्यवर, मैंने इसका उदाहरण भी पेश कर दिया कि श्याम जी श्रीवास्तव के साथ इस प्रकार का व्यवहार करके शासन के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस विभाग में घोर अनियमितताएं हैं, इसको शासन देख भी रहा है और इसमें बहुत बड़ी घपलेबाजी हो रही है। हमारे हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री जी जो हैं, इनका तो सिर्फ उसी प्रकार का हाल है, जैसे—"मूंदौ आंख कतहुं कछु नाहीं।" इनको उनकी सुविधाओं से कोई सरोकार नहीं है। मान्यवर, ये तो स्वयं कुछ अपने दिमाग से करते नहीं हैं, अपने पी० ए० के इशारे पर चलते हैं। मेरा निवेदन है कि स्वयं ये मंत्री जी इस विभाग को अच्छी तरह से देखें। इसका ये सर्वेक्षण कराकर स्वयं निरीक्षण करें और जो लाभ हरिजनों को नहीं मिल रहा है, उस लाभ को बड़े और सरकारी लोग ले रहे हैं, वह सारी सुविधाएं इन हरिजनों को प्रदान करने का माननीय मंत्री जी कष्ट करें।

श्री सुन्दर सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे इस हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, आज विरोधी पक्ष के लोगों ने बड़े ऊंचे स्वर में इस हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के बजट पर, इस सभा मंडप तक आवाज पहुंचाई है। मान्यवर, आज यह हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग एक राष्ट्रीय मुद्दा है जिस पर हर इन्सान को पीड़ा है। लेकिन आज हमारे विरोधी पक्ष के लोग यदि कटौती के प्रस्ताव के बजाय बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखते तब मैं समझता कि ये इस प्रदेश की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं। मान्यवर, जब लोकदल और जनता पार्टी का शासन था, उस समय जब इनको अवसर मिला था इस देश का शासन करने के लिए, तो उस समय आपने इस देश के करोड़ों शोषित और दलित लोगों की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। आपके किसी विरोधी पक्ष के भाई ने कहा कि कांग्रेस वाले बाइस-कोप दिखाते हैं। किसी ने कहा कि हरिजनों को फंसाने के लिए हम कांटा डालते हैं।

[श्री सुन्दर सिंह—]

हम पूंछना चाहते हैं कि लोकदल और जनता पार्टी के शासन में हरिजनों के लिए कौन से कार्यक्रम बनाये गये ? मैं तो कहना चाहता हूं कि जब बी० के० डी० या लोकदल का शासन था तो गरीब हरिजनों को जिन्हें मतदान देने का मौलिक अधिकार है, उनको मतदान तक नहीं करने दिया गया । तो फिर किस मुंह से हरिजनों की भलाई की बात यह कर रहे हैं । अगर कांग्रेस की नेता प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी हरिजनों का कल्याण नहीं कर सकीं, तो तुम सदियों तक नहीं कर सकते हो । तुम्हारे दामन पर हरिजनों के खून का दाग है । माननीय कर्पूरी ठाकुर साहब जब बिहार के मुख्य मंत्री थे तो बेलछा काण्ड हरिजनों पर किया गया था । तब आपके घड़ियाली आंसू कहां थे ? आपके शासन में सैकड़ों हरिजनों को जिन्दा जलाया गया था ।

श्री कुबेर भंडारी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । अभी माननीय सदस्य जो बोल रहे थे, अपने भाषण में 'तुम' शब्द का प्रयोग किया है । मान्यवर, 'तुम' शब्द का प्रयोग कहां तक संसदीय है ?

श्री सुन्दर सिंह—

मान्यवर, हमारे विपक्ष के साथी को सुनने का भी साहस नहीं है । हम लोग तो बहुत कुछ सुनते रहे हैं । आपके विरोधी पक्ष की तो यह नीति ही है कि विरोध करना है—चाहे अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो । लेकिन कांग्रेस का एक आदर्श रहा है, एक इतिहास रहा है, एक परम्परा रही है । आपकी न कोई परम्परा रही है, न इतिहास रहा है और न कोई आदर्श रहा है । जब देश की करोड़ों जनता ने आपको सत्ता सौंपी, तो आपके सामने एक ही लक्ष्य था वह था कि चरन सिंह जी, जगजीवन राम और मोरार जी देसाई भारत के प्रधान मंत्री बनना चाहते थे और इसीलिए ये तीनों महान नेता आपस में लड़ते रहे और राजनारायण भी उन्हीं के साथ लड़ते रहे । इस तरह से उस 'जनता सरकार रूपी दुल्हन का बलात्कार होता रहा । जब आपने अपनी पार्टी के साथ बलात्कार किया, तो हरिजनों के लिए क्या करेंगे । मैं कहना चाहता हूं अभी हमारे साथी माननीय रियासत हुसैन जी कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग जगजीवन राम को प्रधान मंत्री नहीं बनाना चाहते थे । जब जनता पार्टी का शासन आया तो उन्होंने कहा कि दी स्टरडी जाट लीडर चरनसिंह रिफ्यूज्ड टू वर्क अन्डर श्री जगजीवनराम । आपके चौधरी साहब ने जगजीवन राम के अण्डर में काम करने से मना कर दिया । फिर जनता पार्टी ने सारे वोट घसीटने की कोशिश किया और जगजीवन राम को मुद्दा बनाकर कि इस बार जगजीवन राम को प्रधान मंत्री बनायेंगे, इस बात की घोषणा की । लेकिन देश की जनता होशियार थी । वह आपके नारे से गुमराह नहीं हुई ।

इन शब्दों के साथ अब मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं । मान्यवर, जो भी बजट हमारे माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बहुत सराहनीय है । हरिजनों के लिए शैक्षिक, स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक सुधार के लिए जो तमाम विसंगतियां हैं, और जिन विसंगतियों के हरिजन शिकार होते थे, उनको दूर करने का प्रयास किया गया

हैं। हरिजन सहायक विभाग तो उनकी सहायता के लिए थोड़ा सा रास्ता बनाता है कि किस तरह से उनको आगे ला सकते हैं। इस तरह से मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस शासन ने कितना-कितना हरिजनों के लिए किया है, किसी भी शासन ने नहीं किया है। तो, मान्यवर, आज इस बजट के माध्यम से जो हरिजनों के उत्थान के लिए प्रस्ताव किया गया है, उसके लिए मैं शासन को बधाई देना चाहता हूं। वैसे तो सारे बजट का किसी न किसी प्रकार से उपयोग किया ही जाता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचलों में गरीब हरिजनों को जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पायी, उसके लिए काफी प्रयास होना चाहिए ताकि वे अपना सुधार कर सकें क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही अपना सुधार कर सकता है। जिसके पास शिक्षा नहीं रही, वह हमेशा पीछे रहा। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रस्ताव मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। आश्रम पद्धति के स्कूल उन क्षेत्रों में जहां हरिजन आबादी ५० प्रतिशत से अधिक हो सर्वेक्षण कराकर हरिजन आश्रम पद्धति के स्कूल खोले जायं और उन हरिजन बच्चों को जिनको पेट भर भोजन नहीं मिलता है जो अपने स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर पाते हैं उन गरीब हरिजन बच्चों के साथ अच्छे पोषण की व्यवस्था की जाय। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस बजट का समर्थन करने का अवसर दिया।

श्री सन्त बख्श रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट हरिजनों के लिए लुभावना स्वप्न है और हरिजन विरोधी है। स्पेशल कम्पोनेन्ट स्कीम के नाम पर प्रदेश के १० प्रतिशत हरिजनों को उन्नयन में विचार किया जा रहा है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस स्कीम में साजिश की जा रही है हरिजनों के उत्थान के कुचक्र की। इसमें ३३ प्रतिशत से ५० प्रतिशत तक हरिजनों को अनुदान देने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत विकास खण्डों पर जो अनुदान दिया जाता है उसमें से ४ सौ रुपया डाक्टर लेता है दो सौ बी० एल० डब्लू० लेता है तथा तमाम ऐसे कर्मचारी और अधिकारी हैं जो पैसा लेते हैं। इस प्रकार देखा जाय तो इस स्कीम के अन्तर्गत ५० प्रतिशत धनराशि मिलती है। मान्यवर, आने वाले १० वर्षों में १० प्रतिशत हरिजन गरीबी की रेखा से नीचे पहुंच जायेंगे, उनका कल्याण नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह षड्यन्त्र माननीय मुख्य मंत्री ने आपके कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है और यह प्रदेश के हरिजनों के साथ विश्वासघात किया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस कलंक से बचने के लिए आप त्याग-पत्र दें।

मान्यवर, आज स्थिति यह है कि आजादी के ३३ वर्षों के बाद आज तक हरिजनों का आरक्षण पूर्ण नहीं है। १९७९ की रिपोर्ट है उसके अनुसार समूह "क" श्रेणी (१) कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या ४ हजार ३६ में १८८ अनुसूचित जाति, प्रतिशत ४.६५, समूह "ख" श्रेणी (२) १९०९३ अनुसूचित जाति ८३८, प्रतिशत ४.३८, समूह "ग" श्रेणी (३) ३,१९,८४२ में २३१२७९, प्रतिशत ९.७७ है। मान्यवर, आज सहकारिता विभाग का एक प्रश्न मैंने

[श्री सन्त बख्श रावत—]

किया था जिसमें उत्तर दिया गया कि भूमि विकास बैंक में शाखा स्तर के कितने कर्मचारी हैं ? जिसका उत्तर दिया गया २८५ शाखा प्रबन्धक स्तर के कुल अधिकारी हैं जिसमें अनुसूचित जाति का एक २७-७-७९ को ५३ लोगों को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया लेकिन उनको पदोन्नति नहीं दी गई। इसी प्रकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट के छात्रों को तो मिल जाती है। किन्तु जो प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस अनुदान का वितरण हरिजन विभाग से करायें।

आवासीय सुविधा के लिए पिछले वर्ष १ हजार रुपया मैदानी तथा १६ सौ रुपये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए किया गया था जिसे बढ़ाकर इस वर्ष २ हजार और ३ हजार कर दिया गया है। बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह राशि घटी ही है। हरिजनों को गृह अनुदान भी पूर्व की भांति दिया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति विकास निगम से जो कुटीर उद्योग के लिए जो सहायता दी जाती थी वह आज सुचारुरूप से नहीं मिल रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे इस सहायता को दिलायें। मान्यवर, हरिजन और समाज कल्याण विभाग को अलग-अलग करने का षड्यन्त्र किया जा रहा है। प्रदेश के हरिजन ऐसा अहसास कर रहे हैं कि उनके साथ षड्यन्त्र किया जा रहा है। इस प्रकार से अलगाव की भावना उत्पन्न करने से अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हरिजनों के उत्थान के लिए आवश्यक है कि उन्हें अधिक से अधिक धनराशि दी जाये। अनुसूचित जाति के लोगों में पदोन्नतियों में, यह एक अधीनस्थ विधायन का संकलन है, इसमें दिया हुआ है कि रिक्तियों पदोन्नतियों में पहला स्थान अनुसूचित जाति को मिलेगा। फिर २ से ६ तक अनारक्षित और ७ वां स्थान अनुसूचित जाति को मिलेगा। ८ से १२ अनारक्षित तथा १३ स्थान अनुसूचित जाति के लिए, १४ से १८ तक अनारक्षित १९ वां स्थान अनुसूचित जाति के लिए २० से २४ अनारक्षित और २५ वां स्थान अनुसूचित जाति का होगा। इस तरह से देखा जाये कहीं भी किसी विभाग में अनुसूचित जाति के लोगों को इन नियुक्तियों में स्थान और सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। मान्यवर, अनुसूचित जाति की जो सदन की कमेटी है इसका जो षष्टम प्रतिवेदन है उसमें सिफारिश की गई है कि राजकीय सेवाओं, पदों पर आरक्षण प्रदान किये जाने के उपरान्त जब अनुसूचित जातियों का निर्धारित प्रतिशत नहीं पूरा हुआ तो १९५९ में श्री राधाकृष्णन की अध्यक्षता में शासन ने एक समिति गठित की जिसके प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के आधार पर शासन ने कई कदम उठाये थे . .

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री सन्त बख्श रावत—

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर विवाद समाप्त होता है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मेरे कटौती के प्रस्ताव पर जिन सम्मानित सदस्यों ने हिस्सा लिया मैं उन सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं । माननीय धर्म सिंह जी ने सर्वप्रथम, कटौती के प्रस्ताव को पेश करने के फलस्वरूप, कहा कि वह सवर्ण हैं और कहा कि हमारे दल की नीति हरिजन विरोधी हो सकती है, किसी हरिजन से पेश कराना चाहिए था । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वे इस भावना को छोड़ें । जब तक आप समाज से मिलकर, साथ लेकर, नहीं चलेंगे, तब तक आपका कुछ भला होने वाला नहीं है । इसलिए जब हम आपकी वकालत करते हैं जब हम आपके लिए अच्छी बात कहते हैं तो आपको उसे स्वीकार करना चाहिए । मान्यवर, उन्होंने गांधीवाद की बात की । मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि गांधी जी ने जिस रामराज्य की कल्पना की थी वह था स्वराज्य लाये थे रामराज्य के लिए । रामराज्य क्या है ?

दैहिक दैविक भौतिक तापा ।

राम राज्य काहू नहिं व्यापा ॥

जबकि हमारे सामने आपके राज्य में तो सारे ही ताप व्याप रहे हैं ।

श्री रियासत हुसैन जी ने भी अपने विचार प्रकट किये । माननीया साहनी जी ने कटाक्ष करते हुए कहा इन लोगों की प्रवृत्ति रही है, मजदूरी में कटौती करने की । जब वे मेरे क्षेत्र की बहू बनकर आयीं थीं तो वे खुद मजदूरी कराया करती थीं, मजदूरों की कटौती के बारे में तो उनको ज्ञान ही नहीं होगा । मेरे कटौती के प्रस्ताव पर जो मैंने बातें कहीं, उनको कुछ दायें-बायें घुमाकर करीब-करीब सभी ने स्वीकार किया । सभी के दिलों में यह बात है कि उनके प्रति अत्याचार हो रहा है । माननीय पन्नेलाल जी ने आरोप लगाया कि १९६७ में संविद सरकार थी, हरिजनों को वजीफा नहीं दिया गया । उस समय जो कुछ भी दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से दिया था, केन्द्र सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की थी । उस समय केन्द्र में कांग्रेस की हुकूमत थी, जिसकी माला को जपकर आप रोडवेज से यहां पहुंच गये । एक सम्मानित सदस्य ने संविधान के आर्टीकिल्स का जिक्र किया । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे संविधान के आर्टीकिल ४६ को देखें तो समझ में आ जायेगा कि यह सरकार संविधान विरोधी होती जा रही है । उसमें व्यवस्था है कि इनके विकास की जिम्मेदारी सरकार की है । इसके साथ मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

मान्यवर, समाज कल्याण का बजट बहुत कम रखा है । पहले इस बजट एवं हरिजन बजट पर बहुत थोड़े अन्तर हुआ करता था । समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत विधवा को २० रु०, एक बच्चा हो तो ४० रु० और दो बच्चे हों तो ५० रु० । अब सरकार इस धन-

[श्री माता प्रसाद पाण्डेय—]

राशि को ५० रु० से बढ़ाकर ६० रु० करने जा रही हैं, जो कि पर्याप्त नहीं है। इसमें आपने १० रु० बढ़ाये। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस धन को आप आगे बढ़ायें। मान्यवर, आपकी विकास योजनाओं के अन्तर्गत विकलांग वर्ष मनाया जा रहा है। विकलांगों के लिए भी योजनाएं होनी चाहिए।

दूसरी बात यह कि आवास की बात चलायी गयी। पहले जो जमीन आवंटित होती थी उस पर यह व्यवस्था थी कि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के अन्तर्गत वह उसका विरोध कर सकता था और एस० डी० एम० के यहां ३ महीने के अन्दर। आज वह व्यवस्था बदल दी गई। साथ ही साथ एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि यह जो जमीन किसी के पिछवाड़े, किसी के अगवाड़े, किसी के खलिहान आवंटित कर दिये जाते हैं, इसको आप बन्द करिये। जितने हरिजन भूमिहीन हैं, सबको अगर आपको जमीन देनी है तो उनके चक बनाकर, चकबन्दी कराकर, सार्वजनिक रूप से अलग कर दीजिए तो यह जो ९० हजार मुकदमें पड़े हैं, जिसके लिए आपको आर्डीनेन्स जारी करना पड़ा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस इच्छाविहीन सरकार को, जिसके दिल में हरिजनों के लिए दर्द नहीं है, इसका पक्ष न लें और इस कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

श्री छेदा लाल चौधरी—

मान्यवर, मैं अत्यन्त आभारी हूं विरोधी पक्ष और अपने पक्ष के लोगों का कि उन्होंने बहुत उपयोगी और बड़े लाभप्रद सुझाव दिये हैं। जहां तक राजनैतिक भावना की जो बातें कहीं गयीं कि हम कर सकते हैं आप नहीं कर सकते वह गलत है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बात चाहे किसी ढंग से की गयी हो लोगों की भावना अच्छी है। मैं गम्भीरता से इन सुझावों पर गौर करूंगा। मैं भाई रियासत हुसैन का अहसानमन्द हूं, वह मेरे हमदर्द हैं और पुराने वरिष्ठ सदस्य हैं, जब वह कोई बात कहते हैं, अच्छी कहते हैं। कुछ जातियों के बारे में उन्होंने मेन्शन किया है कि यह पिछड़ी जातियों की सूची में आनी चाहिए, लेकिन यह विषय केन्द्र से संबंधित है जो सूची वह देंगे हम उस पर आगे कार्यवाही करेंगे। आरक्षण के सम्बन्ध में उन्होंने किताब से जो रिफरेन्स दिया है मैं उसको देखूंगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे जो मुख्य मंत्री हैं वह बहुत सहृदय हैं, भगवान गौतम बुद्ध जिस तरह से गरीबों के प्रति संवेदनशील थे, उसी तरह से उन्होंने यह आदेश कर दिया है कि आरक्षण के सम्बन्ध में जहां कोटा पूरा नहीं है और कहा जाता है कि उपयुक्त कन्डीडेट नहीं मिलते वहां कहा गया है कि दोबारा चुनाव करें और हरिजनों में से करें। तो जिन बातों की तरफ ध्यान दिलाया गया है उन पर गम्भीरता से अमल किया जायेगा। मुझे विश्वास है कि पांडेय जी उदार हैं वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और उदारता की एक परम्परा कायम करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं माता प्रसाद पांडेय जी से कहना चाहूंगा कि जो उदारता का विशेषण उनको दिया गया है उसको वह सार्थक करेंगे या नहीं।

श्री माता प्रसाद पान्डेय—

मान्यवर, यह इच्छाविहीन सरकार है, मैं प्रस्ताव वापस नहीं लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४६—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५२,३५,४७,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८५—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८५—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५५,००,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री हरिवंश राय, श्री नन्द किशोर सिंह एवं श्री मोहन सिंह की एक सूचना प्राप्त हुई है कि दिनांक २३/२४ फरवरी, १९८१ को मैनपुरी जिले के थाना सिरसागंज के ग्राम जमई में डाकुओं द्वारा दस व्यक्तियों की निर्मम हत्या एवं कई अन्य लोगों को गम्भीर रूप से घायल कर देने से उत्पन्न आतंक एवं असुरक्षा के सम्बन्ध में है, इसको मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है । ७ तारीख

[श्री अध्यक्ष—]

को इस पर वक्तव्य होगा । शेष सभी सूचनाओं को मैंने अस्वीकार किया है ।

अब हम उठते हैं । कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
२६ फरवरी, १९८१

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४६ पर)

तालिका 'क'

डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसियेशन की मांगें

१. डिप्लोमा फार्मेसिस्टों एवं फार्मेसिस्टों को उनकी तकनीकी प्रशिक्षण व शैक्षिक योग्यता एवं उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए इनके वेतनमानों में व्याप्त विसंगतियों को समाप्त करते हुए उच्चतर वेतनमान दिया जाये ।

२. फार्मेसी का पृथक निदेशालय बनाकर इस वर्ग में प्रोन्नति के मार्ग प्रशस्त किये जायें तथा अविलम्ब निम्नलिखित पदों पर सृजन जनहित में किया जाये :

(क) ३० प्रतिशत फार्मेसिस्टों को सेलेक्शन ग्रेड तथा २० प्रतिशत को सुपर सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था की जाये ।

(ख) जिला फार्मेसी अधिकारी,

(ग) मन्डलीय फार्मेसी अधिकारी,

(घ) उप निदेशक फार्मेसी,

(ङ) संयुक्त निदेशक फार्मेसी,

(च) निदेशक फार्मेसी ।

३. समस्त ऐसे राजकीय चिकित्सालयों में जहां पर वरिष्ठ अधीक्षक के पद हैं, वहां पर भी चीफ फार्मेसिस्ट के पद का सृजन किया जाये ।

४. हाथी आयोग एवं कानपुर ग्लूकोज कान्ड पर गठित जांच समिति की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए फार्मेसी विशेषज्ञों को औषधि नियंत्रक के प्रशासन में सम्मिलित किया जाय ।

५. फार्मेसी काउन्सिल आफ इन्डिया की आचार संहिता लागू कर फार्मेसी पाठ्यक्रम के अनुसार ही कार्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किये जायें तथा प्रदेश शासन के निर्णयानुसार इस वर्ग की सेवाओं का अविलम्ब प्रान्तीयकरण किया जाय एवं सेवा नियम बनाये जायें ।

६. डिप्लोमा फार्मेसी संस्थाओं में व्याप्त कमियों को शीघ्र ही पूर्ण करके तथा उन्हें विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कराकर इस वर्ष से उच्च शिक्षा जैसे बी० फार्मा एवं एम० फार्मा के पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाये, एवं उच्च शिक्षा हेतु विभागीय सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था जनहित को ध्यान में रखकर की जाय ।

७. राज्य कर्मचारी बीमा चिकित्सालयों (ई० एस० आई०) एवं कुष्ठ चिकित्सालयों व केन्द्रों में सेवारत फार्मेसिस्टों को डाक्टरों की भांति ई० एस० आई० व जोखिम भत्ता दिया जाये ।

८. जिला स्तर पर हास्पिटल फार्मेसी की स्थापना की जाय तथा फार्मेसिस्टों की वरिष्ठता सूची प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाये ।

९. फार्मेसिस्टों को डाक्टर की भांति नानप्रैक्टिसिंग वेतन व भत्ता दिया जाय तथा चिकित्सकों के अभाव वाले चिकित्सालयों में फार्मेसिस्टों को चार्ज एलाउन्स के रूप में १० रु० के स्थान पर ५० रु० प्रतिमास दिया जाय ।

१०. जनहित को ध्यान में रखते हुये ड्रग एक्ट की धारा ६५(१५)सी को निरस्त किया जाये ।

११. स्टेट फार्मेसी कौंसिल उत्तर प्रदेश तथा फार्मेसी कौंसिल आफ इंडिया में डिप्लोमा फार्मेसी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के निर्णयानुसार कम से कम एक एक सदस्य को मनोनीत किया जाय ।

१२. आवासीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आवासीय सुविधा प्रदान की जाय एवं जब तक उक्त व्यवस्था न हो जाय २५ प्रतिशत आवासीय भत्ता दिया जाय ।

१३. पंजीकृत अप्रशिक्षित फार्मेसिस्टों को कन्डेन्स कोर्स कराकर प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाय तथा भविष्य में अप्रशिक्षितों के पंजीकरण को न किया जाये ।

१४. फार्मेसिस्टों का रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य सेवा निदेशक के पत्र संख्या फ० (२) १५७६, दिनांक, ८ अप्रैल, १९७५ की संस्तुति के आधार पर डाक्टरों एवं नर्सों की भांति एक ही बार किया जाये ।

१५. डिप्लोमा अपरेन्टिस काल में फार्मेसिस्टों को २५० रु० प्रतिमाह दिया जाये ।

१६ (क) उन चिकित्सालयों में जहां पर फार्मेसिस्टों के पदों का सृजन नहीं किया गया है वहां पर अविलम्ब फार्मेसिस्टों का सृजन कर उनकी नियुक्ति की जाये ।

(ख) राज्यपाल के पत्रांक ३३७५/१६ पी० एच० ८५८५६, दिनांक ११-६-१९५७ के अनुसार ड्रग रूल को ध्यान में रखते हुए स्टोरों, वार्डों में दवाओं की डिस्पेन्सिंग एवं वितरण प्रशिक्षित फार्मेसिस्टों से ही कराया जाये ।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कम से कम एक और फार्मेसिस्ट के पदों का सृजन किया जाये ।

१७. (क) डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के एवं उसकी उप शाखाओं के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण बदले की भावना से कर दिया जाता है उसे अविलम्ब बन्द किया जाये । एसोसियेशन के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण तब तक न किया जाय जब तक कि संघ की सहमति न मिल जाये ।

(ख) स्थानन्तरण की एक ठोस नीति निर्धारित की जाये तथा उसका पालन सुनिश्चित किया जाये ।

(ग) फार्मेसिस्टों की शिकायत मिलने पर उनका स्थानान्तरण न किया जाये जब तक जांच के दौरान उनको दोषी न पाया जाये। जांच कमेटी में संघ का एक प्रतिनिधि भी शामिल किया जाये।

१८. ३ साल से ज्यादा कार्यरत फार्मेसिस्टों को तुरन्त स्थायी किया जाये।

तालिका "ख"

डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन की उन मांगों का विवरण जिन्हें शासन ने स्वीकार किया था।

१. चीफ फार्मेसिस्टों के पदों का सृजन

४००—५५० रु० के वेतनमान में प्रदेश के बड़े-बड़े अस्पतालों के लिए ७० चीफ फार्मेसिस्टों के पद सृजित किये गये।

२. फार्मेसिस्टों के सेलेक्शन ग्रेड के वेतनमान में वृद्धि :—

फार्मेसिस्टों के सेलेक्शन ग्रेड का वेतनमान २८०—४६० रु० से बढ़ाकर ३००—५०० रु० कर दिया गया।

३. फार्मेसिस्टों की सेवाओं का प्रान्तीयकरण

फार्मेसिस्ट काडर पहले जिला काडर था। एसोसिएशन की मांग पर इसे राज्य काडर बना दिया गया।

४. फार्मेसी प्रशिक्षण केन्द्रों की कमियां दूर करना

फार्मेसी प्रशिक्षण केन्द्रों में अतिरिक्त साज सज्जा, संयंत्र आदि क्रय करने हेतु धन स्वीकृत किया गया तथा अध्यापकों के अतिरिक्त पद सृजित किये गये।

५. फार्मेसी कौंसिल आफ इंडिया में एक सदस्य का मनोनयन :

फार्मेसी कौंसिल आफ इन्डिया में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने हेतु एक डिप्लोमा फार्मेसिस्ट को सदस्य मनोनीत कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ . .562 पर ।)

जनवरी, 1980 से जून, 1980 तक कोयले का मासिक कोटा एवं एजेन्टों को आवंटित कोयला का विवरण

	1980					
	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
	मी0 टन					
मासिक कोटा	1905	1905	2040	3810	3810	3810

एजेन्टों को आवंटित कोयले का विवरण

क्रम सं0	एजेन्ट का नाम						
1	मेसर्स के0 पी0 कोल कं0, मालगोदाम रोड़, बलिया	—	1000	—	—	—	—
2	मेसर्स आर0 एल0 कोल कं0, बलिया	—	500	—	—	—	—
3	मेसर्स शारदा कोल कमीशन एजेन्ट, बलिया	—	500	—	—	—	—
4	मेसर्स शक्ति कोल ट्रेडर्स, बलिया	575	—	—	275	—	—
5	मेसर्स कोल ट्रेडिंग कारपोरेशन, बलिया	—	500	—	—	—	—
6	मेसर्स कुमार एण्ड ब्रदर्स, बलिया	—	500	—	—	—	—
7	मेसर्स कौशल कान्त मिश्रा, बलिया	—	1000	—	—	—	—
8	मेसर्स ब्लैक डायमंड कोल एजेन्ट, बलिया	—	500	—	—	—	—
9	मेसर्स के0 एन0 कोल कं0, बलिया	—	500	—	—	—	—
10	मेसर्स मनोहर कोल ट्रेडर्स, बलिया	—	1000	—	—	—	—
11	मेसर्स मिनरल इन्टर-प्राइजेज, बलिया	—	500	—	—	—	—
12	मेसर्स वी0 एन0 सिंह कोल एजेन्ट, रसड़ा, बलिया	—	—	475	—	—	—
13	मेसर्स भवानी कोल ट्रेडर्स, बलिया	—	—	475	—	300	—

		1980					
		जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
14	मेसर्स मारूति कोल कं0, बलिया	—	—	475	—	—	—
15	मेसर्स एम0 सी0 चौधरी, बलिया	—	6	—	500	—	—
16	मेसर्स ईंट भट्ठा, संघ, बलिया	—	—	—	950	800	—
17	मेसर्स सिंह कोल कं0, बलिया	—	—	—	500	—	—
18	मेसर्स ट्रेडर्स बलिया	—	—	—	500	—	—
19	मेसर्स पाण्डेय कोल डिपो, गुदरी बाजार, बलिया	—	—	—	500	—	—
20	मेसर्स एस0 एस0 मिश्र एण्ड कं0, बलिया	—	—	—	—	390	—

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 573 पर ।)

संलग्नक

डीजल

	माह	आवटन (मात्रा किलो लिटर में)	उठान (मात्रा किलो लिटर में
1	अक्तूबर, 79	1,33,098	1,22,975
2	नवम्बर, 79	1,21,480	1,11,993
3	दिसम्बर, 79	1,21,965	1,11,769
4	जनवरी, 80	72,600	67,167
5	फरवरी, 80	90,583	80,542
6	मार्च, 80	1,02,850	90,600

पी0 यस0 यू0 पी0-62 वि0 सभा0 23-3-81—835 प्रति (ला0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा